

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व) का प्रतिवेदन**



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का**

**31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व) का प्रतिवेदन**

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii

अध्याय - I: विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
बकाये राजस्व का विश्लेषण	1.3	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति	1.4	7
लेखापरीक्षा पर विभागों/ सरकार की प्रतिक्रिया	1.5	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	10
इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र	1.7	10
इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	1.8	10
अध्याय - II: कर प्राप्तियां		
वाणिज्य कर विभाग		
कर प्रशासन	2.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	18
ट्रांजिशनल क्रेडिट	2.3	20
अस्वीकृत छूटों और रियायतों पर ब्याज का अनारोपण	2.4	45
झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन क्रय आवर्त का छिपाया जाना	2.5	46
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमिततायें	2.6	47
अर्थदंड का अनारोपण	2.7	48
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	2.8	49
छुट की गलत अनुमति	2.9	51
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
कर प्रशासन	2.10	52
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.11	52
शराब का कम उठाव एवं विलम्ब शुल्क का अनारोपण	2.12	53

	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय - III: गैर-कर प्राप्तियां		
खान एवं भूतत्व विभाग		
कर प्रशासन	3.1	55
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	55
झारखण्ड में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप	3.3	60
स्वामिस्व के गलत दर का अनुप्रयोग	3.4	95
परिशिष्ट		99-121
संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली		123-124

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष का यह प्रतिवेदन झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में झारखंड सरकार के चयनित विभाग जिसमें वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद और खान एवं भूतत्व विभाग शामिल हैं, के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले, जो 2020-21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मानकों के आधार पर की गई है।

अध्याय-।

विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 परिचय

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के कुछ विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए मामलों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उम्मीद है की कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, साथ ही ऐसी नीतियाँ और निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर प्रशासन में योगदान मिलेगा।

प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

- **अध्याय 1** में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों की प्रवृत्ति और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों की वसूली, निरीक्षण प्रतिवेदनों, अनुपालन प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई आदि और इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया शामिल हैं।
- **अध्याय 2** में कर प्राप्तियों से संबंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा तथा वाणिज्य कर विभाग और उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग से संबंधित सात कंडिकाएं शामिल हैं।
- **अध्याय 3** में गैर-कर प्राप्तियों से संबंधित झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप पर अनुपालन लेखापरीक्षा और खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका शामिल है।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में सृजित कर और गैर-कर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों को सौंपे गए विभाज्य राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े तालिका-1.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका - 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	13,299.25	12,353.44	14,752.04	16,771.45	16,880.08
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	15.86	(-) 7.11	19.42	13.69	0.65

तालिका - 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	• गैर-कर राजस्व	5,351.41	7,846.67	8,257.98	8,749.98	7,564.01
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 8.57	46.63	5.24	5.96	(-) 13.55
	कुल	18,650.66	20,200.11	23,010.02	25,521.43	24,444.09
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश	19,141.92	21,143.63	23,906.16	20,593.04	19,712.23
	• सहायता अनुदान	9,261.35	11,412.29	9,235.52	12,302.67	11,993.41
	कुल	28,403.27	32,555.92	33,141.68	32,895.71	31,705.64
3	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	47,053.93	52,756.03	56,151.70	58,417.14	56,149.73
4	1 से 3 की प्रतिशतता	40	38	41	44	44

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 24,444.09 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 44 प्रतिशत था। शेष 56 प्रतिशत प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 के दौरान विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी और भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान थे। राज्य सरकार द्वारा 2019-20 की तुलना में 2020-21 में सृजित कर राजस्व में 0.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में 13.55 प्रतिशत की कमी हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटित प्रतिशत के रूप में ब्योरा चार्ट - 1.1 में दिखाया गया है।



1.2.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका - 1.2 में दिया गया है।


तालिका - 1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या हास (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,549.25	5,714.69	3,474.96	3,996.33	4,300.89	(+) 7.62
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	4,123.88	8,200.84	8,417.72	7,930.56	(-) 5.79
3	राज्य उत्पाद	961.68	840.81	1,082.82	2,009.27	1,821.09	(-) 9.37
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	607.00	469.34	451.04	560.33	708.14	(+) 26.38
5	वाहनों पर कर	681.52	778.37	863.94	1,128.98	976.35	(-) 13.52
6	विद्युत पर कर और शुल्क	151.89	183.50	209.07	236.24	195.26	(-) 17.35
7	भू-राजस्व	240.26	156.01	389.38	337.98	872.93	(+) 158.28
8	आय पर अन्य कर तथा व्यय	67.69	73.98	78.61	83.93	74.77	(-) 10.91
9	अन्य	39.95	12.86	1.38	0.67	0.09	(-) 86.57
कुल		13,299.25	12,353.44	14,752.04	16,771.45	16,880.08	(+) 0.65

स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 के लिए विघटित कर राजस्व का ब्योरा चार्ट - 1.2 में दिखाया गया है।



कर राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में 2019-20 की तुलना में 2020-21 के प्राप्तियों में विविधता के कारण निम्नानुसार थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: 7.62 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय वाणिज्य कर विभाग द्वारा (मई 2022) पेट्रोलियम उत्पादों और भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की कर दरों में संशोधन को दिया गया।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर: 5.79 प्रतिशत की कमी के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा (मई 2022) कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया गया।

राज्य उत्पाद: 9.37 प्रतिशत की कमी के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा (दिसंबर 2021) कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री की मात्रा में कमी को जिम्मेदार ठहराया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: 26.38 प्रतिशत की वृद्धि का कारण निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मई 2020 से महिलाओं के पक्ष में की गई अचल संपत्तियों की बिक्री विलेख पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क की छूट को वापस लेना बताया गया (नवंबर 2021)।

वाहनो पर कर: 13.52 प्रतिशत की कमी के लिए परिवहन विभाग द्वारा (नवंबर 2021) कोविड-19 के प्रसार और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया गया।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: 17.35 प्रतिशत की कमी के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा (मई 2022) कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार बताया गया।

भू-राजस्व: 158.28 प्रतिशत की वृद्धि को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने (नवंबर 2021) सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा ₹ 500 करोड़ के बकाया के भुगतान को श्रेय दिया।

आय पर अन्य कर तथा व्यय: 10.91 प्रतिशत की कमी के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार बताया गया (मई 2022)।

1.2.3 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सृजित गैर-कर राजस्व का विवरण को तालिका-1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3

गैर-कर राजस्व का ब्योरा


(₹ करोड़ में)

क्र.स.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या हास(-)
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4,094.25	5,941.36	5,934.64	5,461.36	5,012.47	(-) 8.22
2	फसल कृषि व्यवस्था	5.89	166.19	15.23	160.40	555.55	(+) 246.35
3	वानिकी और वन्य जीवन	4.48	4.44	14.79	17.59	328.17	(+) 1,765.66
4	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	20.53	14.22	25.58	8.75	270.71	(+) 2,993.83
5	ब्याज प्राप्तियाँ	121.34	168.88	47.20	309.51	81.36	(-) 73.71
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	36.79	135.78	8.46	84.61	18.05	(-) 78.67
7	अन्य ¹	1,068.13	1,415.80	2,212.08	2,707.76	1,297.70	(-) 52.07
	कुल	5,351.41	7,846.67	8,257.98	8,749.98	7,564.01	(-) 13.55

स्रोत: झारखंड सरकार का वित्त लेखा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गैर-कर राजस्व का विघटित ब्योरा चार्ट-1.3 में दिखाया गया है।

¹ अन्य में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।



कई अनुरोधों के बावजूद विभागों द्वारा 2019-20 की तुलना में 2020-21 के प्राप्तियों में विविधता का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया।

ब्याज प्राप्ति: 'ब्याज प्राप्ति' में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 73.71 प्रतिशत की कमी आई है।

फसल कृषि व्यवस्था: पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 'फसल कृषि व्यवस्था' में 246.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 551.38 करोड़ के सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली को लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' के अंतर्गत राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में गलत रूप से दिखाया गया था, जिससे फसल कृषि व्यवस्था की राजस्व में अचानक वृद्धि हुई।

वानिकी और वन्य जीवन: 'वानिकी और वन्य जीवन' के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 1,765.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान, उप-शीर्ष '01-वानिकी' के अंतर्गत लघु शीर्ष '103-पर्यावरण वानिकी से प्राप्ति' और उप-शीर्ष '02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन' के अंतर्गत लघु शीर्ष '112-सार्वजनिक उद्यान' से प्राप्तियों में 2019-20 की तुलना में क्रमशः ₹ 15.62 करोड़ और ₹ 300.34 करोड़ की वृद्धि हुई।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 'चिकित्सा और जन स्वास्थ्य' के प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 2,993.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 260.53 करोड़ के सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली को लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' के अंतर्गत राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में गलत रूप से दिखाया गया था जिसके कारण चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 78.67 प्रतिशत कम हो गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली को लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' के अंतर्गत गलत तरीके से राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था जिसके कारण 2019-20 के दौरान में वृद्धि हुई थी।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2021 को राजस्व के चार प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया राशि ₹ 8,458.41 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 3,485.68 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका-1.4 में वर्णित है।

तालिका-1.4
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक	लंबित बकाए की स्थिति						
				निर्गत मांग पत्र	न्यायाधिकरण द्वारा स्थगित	सरकार द्वारा स्थगित	सुधार/समीक्षा	डीलर/पार्टी का दिवालिया	विलोपित	विशिष्ट कार्यवाही सूचित नहीं किया गया
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,465.84	2,816.16	1,178.23	1,178.64	633.60	79.95	85.12	0	4,310.30
2	वाहनों पर कर	608.22	403.14	54.95	0	0	0	0	0	553.27
3	राज्य उत्पाद	53.88	0.00	25.77	7.65	0.07	0.11	0	0.16	20.12
4	भू-राजस्व	330.47	266.38	बकाए से संबंधित विशिष्ट कार्यवाही नहीं कि गयी (मार्च 2024)						
कुल		8,458.41	3,485.68							

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध की गई सूचना।

लेखापरीक्षा द्वारा सक्रिय अनुपालन के बावजूद अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2021 को राजस्व के बकाया संग्रहण की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2024)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकलाप की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी

लेखापरीक्षा कंडिकाओं और समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही इन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा अवलोकन किया गया हो या नहीं। विभागों को उनके द्वारा की गई या किये जाने वाली प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई को लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित करा कर विस्तृत कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना था। अग्रेत्तर, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 1993) के अनुसार, सरकारी विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन विधान सभा में रखे जाने के तीन महीने के भीतर लोक लेखा समिति (पीएसी) को व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा की गई अनुसंशाओं पर एटीएन को छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, मार्च 2016 और सितंबर 2021 के बीच राज्य विधान सभा के समक्ष रखे गए 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के सीएजी के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 97 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में तीन माह के औसतन विलम्ब के साथ स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब देखा गया।

विभिन्न विभागों² से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधायिका को प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहां व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुए	कंडिकाओं की संख्या जहां व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए
1	2015	15.03.2016	32	4	28
2	2016	02.02.2017	32	14	18
3	2017	20.07.2018	17	4	13
4	2018	21.09.2020	9	1	8
5	2019	08.09.2021	7	0	7
कुल			97	23	74

2020-21 तक, पीएसी ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 18 कंडिकाओं पर चर्चा की है। 2020-21 के दौरान, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आठ कंडिकाओं पर पहली बार चर्चा की गई और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 से संबंधित एक कंडिका पर दूसरी बार चर्चा की गई। इन कंडिकाओं पर अनुसंशाएं नहीं की गई थी।

² वाणिज्य कर (37 कंडिकाएं), उत्पाद एवं मद्य निषेध (6 कंडिकाएं); परिवहन (19 कंडिकाएं); राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार (6 कंडिकाएं) और खान एवं भूतत्व (6 कंडिकाएं)।

1.5 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2020-21 के लिए जारी नि. प्र. की समीक्षा से पता चला कि 1,033 नि. प्र. से संबंधित 9,590 कंडिकाएं अप्रैल 2022 के अंत तक लंबित रहे। इन नि. प्र. में संभावित रूप से वसूली योग्य राजस्व ₹ 17,812.35 करोड़ था, जबकि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2020-21 में ₹ 24,444.09 करोड़ थी। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि. प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	271	5,275	8,218.81
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	55	93.65
2	उत्पाद एवं मदय निषेध	राज्य उत्पाद	165	812	967.47
3	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	98	498	4,386.97
4	परिवहन	वाहनों पर कर	164	1,202	542.81
5	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	140	642	36.73
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	178	1,101	3,556.37
कुल			1,033	9,590	17,812.35

2008-09 से निर्गत किये गये 179 नि. प्र. के प्रथम अनुपालन, जिसे नि. प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना था, वो भी प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के चार विभागों³ को शामिल करते हुए 2020-21 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व तथा खनन प्राप्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 586 इकाइयों में से 25 इकाइयों (4.27 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। इन चार विभागों में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 20,222.66 करोड़ का राजस्व एकत्र किया गया, जिसमें से 25 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 7,851.79 करोड़ (38.83 प्रतिशत) एकत्र किया। 25 लेखापरीक्षित इकाइयों में, 1,413 मामलों में कुल ₹ 910.74 करोड़ (इकाइयों द्वारा एकत्रित राजस्व का 11.60 प्रतिशत) का कम निर्धारण, कर/ब्याज/दंड का गैर/कम आरोपण, राजस्व की हानि आदि को लेखापरीक्षा ने देखा। लेखापरीक्षा ने "ट्रांजिशनल क्रेडिट" और "झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप" पर भी लेखापरीक्षा की, जिसमें ₹ 194.01 करोड़ राशि की अनियमितताएं उजागर हुईं। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 61 मामलों में ₹ 105.85 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य खामियों को स्वीकार किया।

1.7 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में "ट्रांजिशनल क्रेडिट" और "झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप" पर लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षाओं और पूर्व के वर्षों के लेखापरीक्षा जिन्हें पिछली प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, से आठ चयनित कंडिकाएं शामिल हैं, जिसमें ₹ 322.93 करोड़ के वित्तीय मामले शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 105.68 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है और ₹ 44.49 लाख वसूल किए। इन पर अध्याय II और III में चर्चा की गई है।

इंगित की गई त्रुटियां/चूक एक नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर हैं। इसलिए विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और ऐसी ही त्रुटियां/चूक तो नहीं हुई हैं और यदि ऐसा हो, तो उन्हें सुधारें और ऐसी प्रणाली स्थापित करें ताकि ऐसी त्रुटियों/चूक को रोका जा सके।

1.8 इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में कर और गैर-कर प्राप्तियों से संबंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ और आठ अन्य टिप्पणियाँ/कंडिकाएँ शामिल हैं।

³ वाणिज्य कर विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित कंडिका में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

कर प्राप्ति

ट्रांजिशनल क्रेडिट

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था पर जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक अनुपालन लेखा परीक्षा (सीए) संचालित की गई थी। मुख्य लेखा परीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

23 वा.क.अं. में संयुक्त आयुक्तों को ₹ 50 लाख से अधिक के 105 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तथापि, उ.रा.क./स.आ.रा.क./रा.क.प. द्वारा 75 मामलों का सत्यापन किया गया और शेष 30 मामले असत्यापित रहे।

(कंडिका 2.3.7.2)

24 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 14.06 करोड़ के अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कारवाई शुरू नहीं की गई।

(कंडिका 2.3.7.3)

18 वा.क.अं. में 57 करदाताओं ने ₹ 70.42 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेनीत कर लाभ प्राप्त किया। हालांकि, ये करदाता केवल ₹ 33.99 करोड़ के क्रेडिट को अग्रेनीत करने के योग्य थे। इस प्रकार, ₹ 36.43 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट अधिक अग्रेनीत किया गया, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ब्याज और अर्थदंड ₹ 23.65 करोड़ भी आरोपणीय था।

(कंडिका 2.3.8.1)

13 वा.क.अं. में 22 करदाताओं ने ₹ 34.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। हालांकि, प्राप्त दावों में अस्वीकार्य मदों पर ₹ 31.14 करोड़ का क्रेडिट शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.14 करोड़ के अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ₹ 20.17 करोड़ का ब्याज एवं अर्थदंड भी आरोपणीय था।

(कंडिका 2.3.8.2)

पाँच करदाताओं द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 9.03 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का लाभ उठाया गया। हालांकि, इन करदाताओं के पास ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रेनीत करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर कोई अप्रयुक्त क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 2.3.8.3)

चार वा.क.अं. में चार करदाताओं ने स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ₹ 81.53 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.4)

छः वा.क.अं. में आठ करदाताओं ने पारगमन में इनपुट पर ₹ 75.43 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.5)

यद्यपि करदाताओं ने निर्धारित समय सीमा से परे ट्रान-1 दाखिल किया था, या निरसित अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संवेदक के रूप में निबंधित नहीं थे, उन्होंने कार्य संविदा सेवा पर अनियमित रूप से ₹ 1.56 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किया था।

(कंडिका 2.3.8.7)

14 वा.क.अं., के समुचित अधिकारियों ने 24 मामलों में, ₹ 15.91 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे को अस्वीकार किया और ₹ 6.44 करोड़ के आरोपणीय ब्याज और अर्थदंड के बदले ₹ 35.88 लाख का ब्याज और अर्थदंड लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज एवं अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.8.8)

समुचित अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी होने के छः महीने के भीतर मांग में सुधार कर सकता है। तथापि, एक मामले, में ₹ 55.19 लाख की मांग पत्र को बिना कोई कारण बताए 16 महीने की समाप्ति के बाद संशोधित कर गलत तरीके से 'शून्य' दिखलाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया।

(कंडिका 2.3.8.10)

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

वाणिज्य कर विभाग

अस्वीकृत छूटों, रियायतों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के कारण ₹ 61.65 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण प्राधिकारियों, ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप आठ व्यवसायियों द्वारा ₹ 126.48 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹ 26.29 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनियमित हुआ।

(कंडिका 2.5)

क.नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करते समय ₹ 11.36 करोड़ के बदले ₹ 25.82 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की।

(कंडिका 2.6)

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के निर्धारित प्रावधानों के अधीन ₹ 9.68 करोड़, का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 2.7)

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 16.39 करोड़ के बदले ₹ 8.92 करोड़ का कर आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.47 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.8)

क.नि.प्रा. द्वारा कर की अधिक छुट की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.9)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

विभाग द्वारा शराब के कम उठाव के कारण आरोपनीय न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क के समतुल्य उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 19.61 लाख एवं विलम्ब से न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क एवं उत्पाद परिवहन शुल्क की राशि जमा किये जाने के कारण आरोपनीय विलम्ब शुल्क की राशि ₹ 6.23 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.12)

गैर-कर प्राप्ति

खान एवं भूतत्व विभाग

दो जिलों (रांची और साहिबगंज) में, सभी 24 नमूना जांच किए गए मामलों में अनियमित तरीके से खनन पट्टे आवंटित किये गए, 2017-22 के दौरान आवंटित किए गए खनन पट्टों के 65 मामलों में से, जो झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमों का उल्लंघन और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता की सार के विरुद्ध था।

(कंडिका 3.2.1)

झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यकलाप

2015-16 से 2020-21 की अवधि से संबंधित प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत निधियों की संग्रह, योजना, योजनाओं/ परियोजनाओं के चयन और अनुश्रवण को आच्छादित करते हुए लेखापरीक्षा की गई। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए

प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षा का दायरा सीमित था। राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनाए गए प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा नमूने का चयन लेखापरीक्षा इकाईयों की अभिगम्यता के आधार पर किया गया था। अभिलेखों की सुलभता और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

चूंकि आंकड़ों के तीनों समूह (खान निदेशक, जि.ख.कार्या. और डी.एम.एफ.टी. द्वारा) बिना किसी समाशोधन के बनाए गए थे, डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रहण और उसके लेखांकन ने इसकी सत्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सके।

(कंडिका 3.3.6.1)

नमूना जांच किए गए डी.एम.एफ.टी. में से किसी भी शासी परिषद (शा.प.) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। ट्रस्टों के अध्यक्ष (संबंधित जिलों के उपा.) ने भी वार्षिक बजट तैयार नहीं किया (यद्यपि शा.प. की विफलता पर ऐसा करने के लिए आवश्यक था) या न ही राज्य सरकार को प्रदान किया, जबकि डी.एम.एफ.टी. विलेख में ऐसा करना प्रावधानित था।

(कंडिका 3.3.6.2)

विभाग द्वारा (पट्टेदारों और कार्य संवेदकों से) ₹ 11.10 करोड़ एवं ₹ 35.68 करोड़ (संवेदकों से) की अतिरिक्त राशि डी.एम.एफ.टी. अंशदान के रूप में एकत्र किया जा सकता था, यदि राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 के संशोधन के शीघ्र उपरांत डी एम एफ टी नियमावली तैयार कर लिया होता।

(कंडिका 3.3.6.3)

बोकारो, धनबाद और रांची के उपायुक्तों (निधि के प्र.स. के रूप में) ने खनन कार्य से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की पहचान किए बिना और संबंधित गांवों की ग्राम सभा को शामिल किए बिना 2016-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर डी.एम.एफ.टी. निधि से ₹ 1,563.14 करोड़ का व्यय किया। चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा के उपायुक्तों ने पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जि.ख.अधि. और अंचलाधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर पहचान किए गए प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों पर विभिन्न योजनाओं पर ₹ 339.80 करोड़ का व्यय किया।

(कंडिका 3.3.7.1)

पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र (जिसमें कंडिका 3.3.3 में वर्णित आठ प्रकार की सेवाएँ) के योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो योजनाओं (पाइप पेयजल और निजी घरेलू शौचालय) पर ₹ 4,444.05 करोड़ (कुल संग्रह का 64.82 प्रतिशत) संस्वीकृत किया।

(कंडिका 3.3.7.3)

नमूना जांच किए गए छह जिलों में से चार में 2016-20 के दौरान पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के दायरे से हटकर ओपन जिम, पुलिस स्टेशन में शौचालय, डाक बंगला का निर्माण उपायुक्त कार्यालय में सम्मेलन कक्ष का नवीनीकरण, फर्नीचर की खरीद आदि के लिए ₹ 9.02 करोड़ की योजनाओं पर व्यय किया गया।

(कंडिका 3.3.7.4)

डी.एम.एफ.टी., बोकारो और चतरा में 2016-20 के दौरान उपायुक्त./उप वि.आ. द्वारा चयनित ₹ 247.08 करोड़ की नौ योजनाओं को डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(कंडिका 3.3.7.5)

नमूना जांच किए गए छः डी.एम.एफ.टी. में 2016-21 के दौरान प्राक्कलित ₹ 2,269.48 करोड़ की राशि 133 योजनाएं विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई जो अपूर्ण थीं।

(कंडिका 3.3.7.8)

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ की स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 3.4)

अध्याय-॥

वाणिज्य कर प्राप्तियां

अध्याय - II: कर प्राप्तियां

वाणिज्य कर विभाग

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। 1 जुलाई 2017 से, राज्य वस्तु एवं सेवा कर झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.) में, प्रधान/मुख्य आयुक्त राज्य कर, इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें एक अपर आयुक्त एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्तों (रा.क.सं.आ.), राज्य कर संयुक्त आयुक्तों अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के साथ राज्य कर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्य कर प्रमंडलों¹, प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार में एवं 28 अंचलों², प्रत्येक उपायुक्त/सहायक आयुक्त राज्य-कर (उ.रा.क./सं.आ.रा.क.) के प्रभार में विभाजित है। अंचल के उ.रा.क./सं.आ.रा.क., जिन्हें राज्य कर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। सं.आ.रा.क.(प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक उपायुक्त, अ.ब्यू. पदस्थापित होते हैं तथा प्रत्येक प्रमंडल में, मुख्यालय के नियंत्रण में, एक उ.रा.क. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं, वह करदाताओं के गोदाम या मालखानों के निरीक्षण, वस्तुओं या दस्तावेजों की जाँच एवं जब्ती, वस्तुओं के आवागमन का निरीक्षण एवं इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कार्य का निर्वहन करते हैं।

¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग के 44 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों (23 प्रतिशत) में से 10^3 के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान, राज्य में कुल 2,28,771 निर्धारिती निबंधित थे, जिनमें से 49,385 निर्धारिती नमूना जाँच इकाईयों में निबंधित थे। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच इकाईयों में 1,663 कर निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया। इसके अलावा, 'ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर एक लेखापरीक्षा भी संचालित किया गया। विभाग ने 2019-20 के दौरान ₹12,414.05 करोड़ (बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹3,996.33 करोड़ और राज्य वस्तु और सेवा कर: ₹8,417.72 करोड़) राजस्व का संग्रहण किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹6,641.82 करोड़ (53.50 प्रतिशत) संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने 193 मामलों में ₹582.63 करोड़ की राशि की अनियमितताओं की पहचान किया जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	ट्रांजिशनल क्रेडिट	1	138.13
2	आवर्त के छिपाव के कारण कर का अनारोपण/अल्पारोपण	36	205.93
3	ब्याज/अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	12	76.79
4	ब्याज का अनारोपण/अल्पारोपण	30	68.44
5	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	55	41.63
6	कर से छूट की अनियमित अनुमति	27	22.15
7	कर की गलत दरों का अनुप्रयोग	18	8.30
8	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का अल्पारोपण	4	3.29
9	अन्य मामलें	10	17.97
कुल		193	582.63

विभाग ने 65 मामलों में ₹65.37 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 2020-21 में 28 मामलों में ₹44.75 करोड़ और शेष पिछले वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे।

³ राज्य कर उपायुक्त का कार्यालय, आदित्यपुर, बोकारो, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों को कंडिका 2.3 में चर्चा की गई है। तदन्तर, मूल्यवर्द्धित कर (मू.व.क.), से संबंधित ₹ 120.66 करोड़ की राशि के 48 मामलों के अनियमितताओं को कंडिका 2.4 से 2.9 में दर्शाया गया है। मामले जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरंतर प्रतिवेदित रहें, का विवरण तालिका - 2.2 में वर्णित है।

तालिका - 2.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना	18	284.10	108	405.37	1	1.10	3	25.99	39	812.99	169	1,529.55
अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	15	53.14	-	-	2	3.93	2	1.60	9	131.51	28	190.18
अस्वीकृत छूटों/रियायतों पर ब्याज का अनारोपण	19	119.92	62	142.00	6	10.95	2	3.97	40	102.24	129	379.08
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति में अनियमिततायें	11	5.76	26	3.36	-	-	-	-	29	23.81	66	32.93
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	22	15.44	21	11.07	-	-	1	4.39	10	14.53	54	45.43
छूट की गलत अनुमति	-	-	16	15.43	-	-	-	-	-	-	16	15.43

यह पाया गया कि यद्यपि वाणिज्य कर विभाग ने समान प्रकार के लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने का आदेश (मई 2015) कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) को दिया और आश्वासन दिया (अगस्त 2016), कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर समुचित कारवाई की जाएगी, फिर भी समान प्रकार की अनियमिततायें घटित हुईं। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष जारी निरंतर घटित अनियमितताओं को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किया।

2.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट


2.3.1 परिचय

जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) का कार्यान्वयन अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केन्द्र और राज्यों द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। जी.एस.टी. एक गंतव्य आधारित कर है, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, कई चरणों में अधिरोपित किया जाता है जिसमें कर आपूर्ति के साथ-साथ चलेगी। कर, केन्द्र और राज्यों द्वारा एक साथ एक उभय-निष्ठ कर आधार पर अधिरोपित किया जाता है तथा उस कर प्राधिकारी को उपार्जित होगा जिसके पास आपूर्ति के स्थान पर क्षेत्राधिकार हो। इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का आउटपुट कर दायित्व संदाय के लिए उपलब्धता, जी.एस.टी. की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह करों के व्यापक प्रभाव से बचाता है और विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। विद्यमान विधि से जी.एस.टी. व्यवस्था में इनपुट कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.जी.एस.टी.) अधिनियम में 'इनपुट टैक्स के लिए एक प्रावधान ट्रांजिशनल व्यवस्था' को शामिल किया गया था जो कि विद्यमान विधि के अंतर्गत भुगतान किये गए उचित करों के संबंध में इनपुट कर का दावा करने की हकदारी और प्रणाली प्रदान करता है। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यवसाय के लिए, ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान, विद्यमान विधि के विवरणी में संचित क्रेडिट, कच्चे माल से संबंधित इनपुट कर, कार्य में प्रगति, 01 जुलाई 2017 के नियत दिन को भंडारित निर्मित वस्तु के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट का जी.एस.टी. काल में ट्रांजिशन को सुनिश्चित करते हैं। यह प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी अग्रसारित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय के सामान्य क्रियान्वयन में या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता हो।

2.3.2 कर प्रशासन

वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.) झारखण्ड सरकार, 01 जुलाई 2017 से राज्य में झा.जी.एस.टी. प्रशासित कर रहा है। वा.क.वि. में राज्य कर आयुक्त, झा.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्तों, उपायुक्तों एवं सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

विभाग की संगठनात्मक चार्ट नीचे प्रदर्शित है:



2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जी.एस.टी. के अधीन आई.टी.सी. के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था की लेखापरीक्षा निम्न आश्वासन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी:

- क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; और
- क्या निर्धारितियों द्वारा जी.एस.टी. के दौर में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 6, धारा 140 से 142, धारा 161, धारा 50 और धारा 73;
- झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117 और 118; एवं
- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (सी.बी.आई.सी.) और वा.क.वि. द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, कार्यकारी और विभागीय आदेश और निर्देश।

2.3.5 लेखापरीक्षा का दायरा और विस्तार

जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि से संबंधित "ट्रांज़िशनल क्रेडिट" की लेखापरीक्षा जनवरी और सितंबर 2021 के बीच संचालित किया गया। उक्त अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के आँकड़ें वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (व.एवं.से.क.ने.) से प्राप्त किया गया। प्राप्त आँकड़ों में आई.टी.सी. श्रेणी का स्तरीकरण आधारित नमूना⁴ और ट्रान-1 के प्रत्येक आई.टी.सी. स्रोत श्रेणियों⁵ यथा तालिका 5 (सी), तालिका 6 (बी), तालिका 7 (बी), तालिका 7 (सी), तालिका 7 (डी), तालिका 10 (ए) और तालिका 11 (सी) में से 10 प्रतिशत मामलों का चयन किया गया था।

राज्य में करदाताओं द्वारा प्रपत्र ट्रान-1 में किए गए सन्निहित ₹365.13 करोड़ के राज्य वस्तु एवं सेवा कर के ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के 2,845 मामले थे। उपरोक्त नमूना पद्धति के आधार पर, सभी 28 वाणिज्य कर अंचलों⁶, से संबंधित ₹258.07 करोड़ की राशि के ट्रांज़िशनल क्रेडिट के 358 मामलों का चयन किया गया था।

2.3.6 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में आई.टी.सी. का दावा करने के लिए ट्रांज़िशनल व्यवस्था के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा दाखिल प्रपत्र ट्रान-1 की जाँच शामिल थी। इसमें चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया और परिणामों की जाँच भी शामिल थी। व्यक्तिगत ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों को नियत तिथि से तुरंत पहले, विद्यमान विधि के अंतर्गत दाखिल अंतिम छः माह के मू.व.क. काल के अधीन विवरणियों के साथ-साथ ऐसे दावों के समर्थन में दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य से सत्यापित किया गया था। दावों का सत्यापन, जहाँ आवश्यक हो, मू.व.क.

⁴ प्रत्येक स्तर से अलग-अलग मामलों के चयन के लिए जोखिम और भौतिकता पर आधारित स्कोरकार्ड दृष्टिकोण का उपयोग किया गया।

⁵ तालिका 5 (सी)- पिछले मू.व.क. विवरणी में आई.टी.सी. के समापन शेष पर ट्रांज़िशनल क्रेडिट।

तालिका 6 (बी)- पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट।

तालिका 7 (बी)- पारगमन में इनपुट।

तालिका 7 (सी)- कर भुगतान/शुल्क भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट।

तालिका 7 (डी)- मौजूदा कानून के अधीन छूट प्राप्त वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट जो अब कर योग्य हैं।

तालिका 10 (ए) और (बी)- केन्द्रीय रूप से निर्बंधित इकाइयों द्वारा क्रेडिट का हस्तांतरण।

तालिका 11- झा.मू.व.क. अधिनियम और वित्त अधिनियम दोनों के अन्तर्गत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट।

⁶ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

काल के कर-निर्धारण अभिलेखों से भी किया गया। तदन्तर, भण्डारित सामग्री से संबंधित आई.टी.सी. के दावा के सत्यापन में आवश्यक लेखांकन विवरणों, के साथ-साथ ऐसे वस्तुओं की खरीद को साबित करने वाले दस्तावेजों या अभिलेखों की जाँच शामिल थी। 22 जुलाई 2021 को सचिव, वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.), झारखण्ड सरकार, के साथ एक प्रारंभिक बैठक (अंतर्गमन सम्मेलन) आयोजित की गई जिसमें विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का दायरा, नमूना चयन, लेखापरीक्षा पद्धति और तंत्र पर विस्तार से चर्चा की गई।

ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा जनवरी और सितंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी। टिप्पणियों/उत्तरों के लिए मसौदा प्रतिवेदन 30 नवंबर 2021 को विभाग को निर्गत किए गए थे। सचिव, वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, के साथ 16 फरवरी 2022, को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.3.6.1 आभारोक्ति

आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, के सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने मानदंड के विरुद्ध व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे का मूल्यांकन किया और विभागीय गठन द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के तंत्र का भी मूल्यांकन किया और करदाताओं के सत्यापन और झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियम में निर्धारित मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता में कमियों को देखा।

तालिका-2.3 विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की सीमा को दर्शाती है।

तालिका-2.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा परिणामों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		देखी गई कमियों की संख्या		नमूने के प्रतिशतता में कमियाँ
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत	302	247.60	57	60.08	18.87
अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	302	247.60	22	51.31	7.28
पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	13	16.90	05	14.84	38.46
स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	41	3.60	04	1.37	9.75
पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	49	3.47	08	1.25	16.33
प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	16	0.10	01	0.03	6.25
कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	08	1.61	02	2.57	25.00
अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज का अल्पारोपण/अनारोपण	358	258.07	24	6.08	6.70
मू.व.क. विवरणी दाखिल किये बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	358	258.07	04	0.05	1.11
अन्य	358	258.07	02	0.55	0.27
कुल			129	138.13	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने 19 प्रतिशत मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत, सात प्रतिशत मामलों में अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 38 प्रतिशत मामलों में पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 10 प्रतिशत मामलों में स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 16 प्रतिशत मामलों में पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 25 प्रतिशत मामलों में कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ और एक फीसदी मामलों में झा.मू.व.क. विवरणी दाखिल किये बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ को देखा। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने झा.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से अन्य विचलनों को पाया जिसके परिणामस्वरूप सात प्रतिशत मामलों में अस्वीकृत

ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण और अन्य विचलन जैसे, निर्धारित अवधि के उपरान्त मांग पत्र का अनियमित संशोधन और 'कंपोजिशन लेवी' योजना के अन्तर्गत करदाता द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा परिणामों, प्रणाली की खामियों और सुधारात्मक उपायों की चर्चा बाद के कंडिकाओं में की गई है।

2.3.7 प्रणालीगत मुद्दे

2.3.7.1 विभाग द्वारा परिकल्पित चयन तंत्र

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(1) सभी पहलुओं में राज्य कर अधिकारियों और केन्द्रीय कर अधिकारियों दोनों के द्वारा करदाताओं पर दोहरे नियंत्रण की परिकल्पना करती है और निर्दिष्ट करती है कि झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (के.जी.एस.टी.) अधिनियम के उद्देश्य के लिए समुचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं। तदनुसार, प्रधान सचिव सह आयुक्त, वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, ने सभी करदाताओं के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.जी.एस.टी.) क्रेडिट दावों की, चाहे उनके निबंधन का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, सत्यापन प्रक्रिया को 10 अप्रैल 2018 तक पूरा करने का निर्देश दिया (मार्च 2018)। तदन्तर, झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 73(10), निर्धारित करता है कि गलत तरीके से प्राप्त आई.टी.सी. के कर और अर्थदंड के निर्धारण के लिए आदेश उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्गत किया जाएगा, जिसमें आई.टी.सी. का गलत तरीके से लाभ उठाने से संबंधित है।

विभाग ने झा.जी.एस.टी. के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सभी 2,845 मामलों को प्रपत्र ट्रान-1 में सत्यापन के लिए चुना, जिसमें करदाताओं द्वारा दावा किए गए ₹ 365.13 करोड़ शामिल थे। लेखापरीक्षा ने सभी 28 वा.क.अं., पर ट्रांजिशनल क्रेडिट, की सत्यापन प्रतिवेदन की जाँच से पाया कि ₹ 365.13 करोड़ के कुल दावे में से 1,139 करदाताओं के संबंध में ₹ 268.98 करोड़, का दावा सितंबर 2021 तक विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट के 1,706 मामले असत्यापित रहे, जिसके कारण करदाताओं द्वारा ₹ 96.15 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापित नहीं किए गए दावों का लाभ उठाया गया (परिशिष्ट-I)। विभाग ने सत्यापन की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया। असत्यापित दावों की संख्या का पता लगाने और सत्यापन को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सत्यापन प्रतिवेदन का भी विभागीय स्तर पर विश्लेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि के.जी.एस.टी. विभाग ने कुल दावा किए गए आँकड़ों से एक नमूना लेने के तंत्र को अपनाया था और उच्च वित्तीय प्रभाव वाले करदाताओं और जिन्होंने पूर्ववर्ती अवधि से 25 प्रतिशत से अधिक आई.टी.सी. की वृद्धि दिखाई थी उन करदाताओं के दावों का चयन किया था। हालांकि, वा.क.वि. ने बिना किसी मानदंड को आवंटित किए सभी 2,845 मामलों, का चयन किया जिसके परिणामस्वरूप 1,530 मामलों (कुल मामलों का 54 प्रतिशत) का चयन हुआ जहाँ व्यक्तिगत दावा ₹ एक लाख से कम था। विभाग उच्च वित्तीय निहितार्थ वाले दावों का समयबद्ध तरीके से चयन और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कुल दावे से एक नमूना लेने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा, (फरवरी 2022) कि शेष ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को जल्द से जल्द सत्यापित करने के लिए संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं। हालांकि, सत्यापन का परिणाम प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र में अनियमिततायें

प्रधान सचिव सह आयुक्त, वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, ने रा.जी.एस.टी. के सभी दावों को सत्यापन करने का निर्देश पारित किया और ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए एक निदर्शी जाँच सूची निर्धारित (मार्च 2018) की। तदन्तर, अपर आयुक्त, राज्य कर, ने सभी रा.क.सं.आ. (प्रशासन) को ₹ 50 लाख से ऊपर के झा.जी.एस.टी. के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने का निर्देश दिया (मार्च 2018)।

नमूनाकृत 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि समुचित अधिकारियों ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। तदन्तर, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था कि समुचित अधिकारी/रा.क.सं.आ. निर्देशों का पालन करते हैं और अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों पर सुधारात्मक उपाय करते हैं। परिणामस्वरूप, ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को उन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया जो दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं थे और अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली पर अनुवर्ती कार्रवाई में अनियमिततायें थीं, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

2.3.7.2 दावों को सत्यापित करने के लिए अनाधिकृत अधिकारियों द्वारा ट्रांजिशनल दावों का सत्यापन

23 वा.क.अं. में संयुक्त आयुक्तों को ₹ 50 लाख से अधिक के 105 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तथापि, उ.रा.क./स.आ.रा.क./रा.क.प. द्वारा 75 मामलों का सत्यापन किया गया और शेष 30 मामले असत्यापित रहे।

करदाताओं द्वारा दाखिल ट्रान-1 से संबंधित अभिलेखों (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और विभाग द्वारा प्रस्तुत इन ट्रान-1 विवरणियों की सत्यापन प्रतिवेदन की नमूना-जाँच में उद्घटित हुआ कि 105 करदाताओं⁷ ने 23 वाणिज्य कर अंचलो⁸, में ₹ 50 लाख से अधिक के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। निर्देशों के अनुसार, इन सभी दावों को सं.आ.रा.क. के द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था। तथापि, यह देखा गया कि 105 मामलों में से 75 मामलों का सत्यापन उ.रा.क./स.आ.रा.क./रा.क.प. द्वारा किया गया और 30 मामले असत्यापित रहे (सितंबर 2021)। लेखापरीक्षा ने देखा कि, यद्यपि विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, उक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं था। परिणामस्वरूप, 75 मामले उन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए जो इन दावों को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे और 30 मामले असत्यापित रहे।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित (नवम्बर 2021) किया गया; सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि अधिकृत अधिकारियों को दावों के पुनः सत्यापन के लिए निर्देशित किया गया है। सत्यापन के परिणाम प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।

2.3.7.3 अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली पर अनुवर्ती कार्रवाई में अनियमिततायें

24 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 14.06 करोड़ के अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 78 निर्धारित करती है कि, इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सेवा की तारीख से तीन महीने की अवधि

⁷ वा.क.वि., झारखण्ड सरकार के पास दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के 2,845 मामलों में से 105 मामले ₹ 50 लाख के दावे से संबंधित हैं।

⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

के भीतर किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आगे, झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 79 निर्धारित करती है, कि जहाँ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समुचित अधिकारी किसी भी एक या अधिक तरीकों से राशि की वसूली करेगा, अर्थात् ऐसे व्यक्ति को देय किसी भी राशि से देय राशि की कटौती, ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी भी वस्तु को कब्जे में लेना और बेचना, ऐसे व्यक्ति की किसी चल या अचल संपत्ति को रोकना या ऐसे व्यक्ति से उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करना, जैसे कि यह भू-राजस्व आदि का बकाया था।

लेखापरीक्षा ने चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और देखा कि, नौ वा.क.अं.⁹ में, 19 मामलों में इन करदाताओं ने ₹46.01 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। समुचित अधिकारियों, ने इन दावों के सत्यापन पर ₹39.64 करोड़ की राशि को गलत तरीके से ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी और अस्वीकृत क्रेडिट पर ₹8.80 करोड़ का ब्याज और अर्थदंड लगाया। तदनुसार, प्रपत्र डी.आर.सी.-07, में ₹48.44 करोड़, का मांग पत्र निर्गत किया गया (अप्रैल और दिसंबर 2018 के बीच) और समुचित अधिकारियों द्वारा ₹34.38 करोड़ की राशि वसूल की गई। तथापि, ₹14.06 करोड़ की शेष राशि आज तक वसूली नहीं की जा सकी और इन करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक देयता पंजी में बकाया देयता के रूप में दर्शाई गई थी और इसकी वसूली के लिए समुचित अधिकारियों, द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। आगे, यह देखा गया कि विभाग द्वारा जारी जाँच सूची में उनके द्वारा अस्वीकृत दावों पर समुचित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से लिए गए ₹14.06 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली नहीं हुई (सितंबर 2021) (परिशिष्ट-II)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) छः मामलों में ₹36 लाख की राशि वसूल की गई है (ii) शेष मामलों में सभी संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

2.3.8 अनुपालन के मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कर प्राधिकारियों के साथ-साथ करदाताओं द्वारा झा.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमों, के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया और देखा कि विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए निदर्शी जाँच सूची जारी की थी (मार्च 2018)। हालांकि, निर्देशों के पालन की निगरानी न करने के

⁹ बोकारो, चाईबासा, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़ और राँची पूर्वी।

कारण, समुचित अधिकारियों ने झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियमों, में निहित प्रावधानों के साथ-साथ विभाग द्वारा निर्धारित जाँच के अनुसार दावों का सत्यापन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत, पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, स्टॉक में रखे गए इनपुट, पारगमन में इनपुट, प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखी गई वस्तु, कार्य संविदा सेवा और ब्याज और अर्थदंड आदि, का 129 मामलों में, ₹138.13 करोड़, के मूल्य का अनारोपण/अल्पारोपण हुआ, जिसकी चर्चा बाद के कंडिकाओं में की गई है:

2.3.8.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

18 वा.क.अं. में 57 करदाताओं ने ₹70.42 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रणीत कर लाभ प्राप्त किया। हालांकि, ये करदाता केवल ₹33.99 करोड़ के क्रेडिट को अग्रणीत करने के योग्य थे। इस प्रकार, ₹36.43 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट अधिक अग्रणीत किया गया, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ब्याज और अर्थदंड ₹23.65 करोड़ भी आरोपणीय था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, एक निबंधित व्यक्ति मौजूदा कानून के अधीन अग्रणीत जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भरे गए विवरणी में मूल्य वर्द्धित कर, प्रवेश कर की राशि का ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने का हकदार होगा। आगे, निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 18(4)(ii) निर्धारित करती है कि आई.टी.सी. के.वि.क. अधिनियम 1956, के अन्तर्गत देय के.वि.क. की सीमा तक के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान स्वीकार्य होगी और के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत की गई अंतर-राज्यीय बिक्री पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं होगा। तदनुसार, झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन विवरणी में संशोधन किया गया ताकि इन कारकों पर डीलरों द्वारा वापस किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अभिलेखित किया जा सके।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 50(3) और 73(9) समुचित अधिकारी को, आई.टी.सी. के अनुचित या अधिक दावा किए जाने या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाए जाने या उपयोग किये जाने के मामले में 24 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से ब्याज एवं कर के 10 प्रतिशत के समतुल्य या ₹10,000, जो भी अधिक हो, अर्थदंड अधिरोपित करने का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने 302 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों, के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अन्तर्गत अंतिम झा.मू.व.क. विवरणी से क्रेडिट के अंतिम शेष का दावा किया गया और 18 वा.क.अं.¹⁰, में 57 मामलों में देखा गया कि ₹ 75.68 करोड़ का दावा प्रपत्र ट्रान-1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में किया गया था। समुचित अधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तन/अस्वीकृति के बाद, इन करदाताओं ने ₹ 70.42 करोड़ के क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। आगे यह देखा गया कि इन करदाताओं ने जून 2017 को समाप्त अवधि के लिए अपने झा.मू.व.क. विवरणी में आई.टी.सी. को अग्रणीत किए जाने के रूप में ₹ 65.60 करोड़ की राशि दर्शाई थी। आगे मू.व.क. विवरणीयों की झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण आदेशों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों¹¹ के साथ जाँच से उद्घटित हुआ कि इन करदाताओं ने पूर्व अवधियों के अंतिम शेष की तुलना में मू.व.क. विवरणी में आई.टी.सी. के प्रारंभिक शेष को अधिक दिखाया था। के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अन्तर्गत अंतर-राज्यीय बिक्री के कारण आई.टी.सी. को भी वापस नहीं किया गया और जैसा की जाँच-सूची में दिखाया गया, करदाताओं/समुचित अधिकारियों द्वारा दावों को सत्यापित करते समय समायोजित नहीं किया गया था। उपरोक्त समायोजनों के आधार पर अग्रणीत के लिए स्वीकार्य/योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 33.99 करोड़ था। इस प्रकार, इन करदाताओं ने ₹ 36.43 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया था, जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज ₹ 20 करोड़ और ₹ 3.65 करोड़ का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-III)।

उच्चतम वित्तीय निहितार्थों पर आधारित, 57 मामलों, में से दो उदाहरणात्मक मामले, तालिका-2.4 में हैं।

¹⁰ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

¹¹ दावा किए गए आईटीसी के संबंध में प्रपत्र झा.मू.व.क. 404 में घोषणा, के.वि.क. के अन्तर्गत 8 (1) और (2) बिक्री का विवरण और व्यवसायी द्वारा किए गए अंतरराज्यीय बिक्री और स्टॉक ट्रांसफर के संबंध में फॉर्म 'सी' और फॉर्म 'एफ' में घोषणा।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम जी.एस.टी.आई. एन.	अवलोकनों की प्रकृति	आई.टी.सी. अग्रणीत अग्रणीत योग्य आई.टी.सी.	आई.टी.सी. का अधिक अग्रणीत ब्याज और अर्थदंड
1	हजारीबाग 20XXXXXXXXX XXXZP	करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में समुचित अधिकारी द्वारा ₹ 23.43 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, करदाता के कर निर्धारण आदेशों और झा.मू.व.क. विवरणी के अनुसार योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 12.66 करोड़ था जिसे समुचित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।	<u>23.43</u> 12.66	<u>10.77</u> 6.92
2	राँची पश्चिमी 20XXXXXXXXX XXXZT	करदाता के कर निर्धारण आदेश और झा.मू.व.क. विवरणी के अनुसार ₹ 20 लाख ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रणीत के लिए योग्य था। हालांकि, समुचित अधिकारी द्वारा करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 7.70 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति दी गई थी।	<u>7.70</u> 0.20	<u>7.50</u> 4.82

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि पाँच मामलों में ₹ 37.31 लाख राशि की वसूली की गई है और 11 मामलों में ₹ 3.72 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई। शेष मामलों में, संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है। तदंतर, एक मामले में मांग पत्र जारी नहीं किया जा सका क्योंकि करदाता राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार दिवालियेपन की प्रक्रिया के अधीन था।

2.3.8.2 अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

13 वा.क.अं. में 22 करदाताओं ने ₹ 34.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। हालांकि, प्राप्त दावों में अस्वीकार्य मदों पर ₹ 31.14 करोड़ का क्रेडिट शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.14 करोड़ के अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ₹ 20.17 करोड़ का ब्याज एवं अर्थदंड भी आरोपणीय था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140(1), एक निबंधित व्यक्ति को मौजूदा कानून, अर्थात् झारखंड मूल्य वर्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005 के अधीन दायर विवरणियों के लिए जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, निरसित किए गए झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 18(8)(xviii) में प्रावधान है कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान खपत या जले हुए वस्तु¹² के संबंध में निबंधित करदाता को किसी आई.टी.सी. का दावा या अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 302 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अन्तर्गत अंतिम झा.मू.व.क. विवरणी से क्रेडिट के अंतिम शेष का दावा किया गया था और 13 वा.क.अं.¹³, से संबंधित 22 मामलों, में देखा गया कि ₹ 34.58 करोड़ की राशि को ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। करदाताओं द्वारा स्वयं क्रेडिट को वापस करने या समुचित अधिकारीयों द्वारा क्रेडिट की अस्वीकृति के बाद, इन करदाताओं ने ₹ 34.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया था। हालांकि, झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत झा.मू.व.क. विवरणी और निर्धारण आदेशों की आगे जाँच में, यह उद्घटित हुआ कि प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट, में स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) ₹ 9.46 करोड़ और आई.टी.सी. ₹ 21.68 करोड़ के उपभोग के संबंध में जो वस्तु निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल गए थे ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं थे। इस प्रकार, ₹ 31.14 करोड़ की राशि का ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अनियमित रूप से लाभ प्राप्त किया गया था जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 17.05 करोड़ का ब्याज और ₹ 3.12 करोड़, का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-IV)।

¹² कोयले, स्नेहक आदि जैसे सामानों पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है, जो भाप, लोहा और इस्पात आदि जैसे तैयार वस्तु के निर्माण के दौरान जल जाते हैं/खपत हो जाते हैं।

¹³ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

उच्चतम वित्तीय निहितार्थों पर आधारित 22 मामलों में से दो उदाहरणात्मक मामले तालिका-2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम जी.एस.टी.आई एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	अवलोकन की प्रकृति	अनुमत्य ट्रांजिशनल क्रेडिट अस्वीकार्य मदों पर दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट	अस्वीकार्य मदों पर अनुमत्य ट्रांजिशनल क्रेडिट ब्याज एवं अर्थदंड
1	बोकारो 20XXXXXXXXXX XXZP	बोकारो पॉवर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में समुचित अधिकारी द्वारा ₹ 21.68 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, निर्माण प्रक्रिया के दौरान जले हुये वस्तुओं से संबंधित दावा किये गये थे जो ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं था।	21.68 21.68	21.68 13.93
2	गिरिडीह 20XXXXXXXXXX XXZO	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	करदाता के मू.व.क. विवरणी के अनुसार, ₹ 2.16 करोड़ का दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट, टी.डी.एस. का मूल्य था जो ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं था; हालांकि, समुचित अधिकारी ने दावे को पूर्ण रूप से अग्रणीत करने की अनुमति दी।	2.16 2.16	2.16 1.39

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि सभी संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं, और के.जी.एस.टी. विभाग को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किए गए हैं।

2.3.8.3 पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

पाँच करदाताओं द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 9.03 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का लाभ उठाया गया। हालांकि, इन करदाताओं के पास ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रणीत करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर कोई अप्रयुक्त क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) के प्रावधानों के अधीन, एक निबंधित व्यक्ति मौजूदा कानून के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्रयुक्त आई.टी.सी. की राशि का क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने 13 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों, के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 6(बी) के अन्तर्गत किया गया था और चार वा.क.अं.¹⁴, से संबंधित पाँच मामलों, में देखा गया कि ₹ 9.03 करोड़ की राशि पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। इन करदाताओं द्वारा दावा किए गए क्रेडिट का पूरा लाभ उठाया गया। हालांकि, इन करदाताओं के झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन मू.व.क. विवरणी और निर्धारण आदेशों की आगे की जाँच में यह उद्घटित हुआ कि निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम में इन करदाताओं के संबंध में पूंजीगत वस्तुओं पर कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, ये करदाता झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, में पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने के योग्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ के पूंजीगत वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 4.90 करोड़ का ब्याज और अर्थदंड ₹ 90.41 लाख भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-V)।

उच्चतम वित्तीय निहितार्थों पर आधारित पाँच मामलों, में से दो उदाहरणात्मक मामले तालिका-2.6 में दर्शाया गया है।

¹⁴ बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी।

तालिका - 2.6

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम जी.एस.टी.आई. एन.	अवलोकन की प्रकृति	पूँजीगत वस्तुओं पर अनुमत्य ट्रांजिशनल क्रेडिट स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट	ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ ब्याज और अर्थदंड
1	जमशेदपुर नागरीय 20XXXXXXXXXX XXZO	करदाता द्वारा पूँजीगत वस्तुओं पर ₹ 8.95 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया एवं लाभ प्राप्त किया गया। विभिन्न शाखाओं के करदाता के मू.व.क. विवरणी की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि पूँजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. नियत दिन पर उपलब्ध नहीं था और इस प्रकार करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के हकदार नहीं थे।	8.95 0.00	8.95 5.75
2	बोकारो 20XXXXXXXXXX XXZQ	करदाता ने पूँजीगत वस्तुओं पर ₹ 0.05 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। करदाता के मू.व.क. विवरणी की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि पूँजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. नियत दिन पर उपलब्ध नहीं था। हालांकि, समुचित अधिकारी ने करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 0.05 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अनियमित रूप से अनुमति दी।	0.05 0.00	0.05 0.03

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, कहा (फरवरी 2022) कि संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं, और के.जी.एस.टी. विभाग को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

2.3.8.4 स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

चार वा.क.अं. में चार करदाताओं ने स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ₹ 81.53 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ व्यक्ति अधिनियम के अधीन वस्तु की बिक्री के समय इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार था, वह इनपुट या इनपुट पर मूल्यवर्द्धित कर और प्रवेश कर झा.मू.व.क., 2005 के अधीन क्रेडिट लेने का हकदार होगा जहाँ स्टॉक में रखे अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तु में निहित इनपुट इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति के पास 30 जून 2017 से पहले के 12 महीने से पहले निर्गत नहीं किए गए बीजकों और ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन कर के भुगतान का साक्ष्य हो।

लेखापरीक्षा ने 41 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ स्टॉक में रखे गए इनपुट पर क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 7(सी) के अन्तर्गत किया गया था और चार वा.क.अं.¹⁵, से संबंधित चार मामलों में देखा गया, कि स्टॉक में रखे गए इनपुट पर इन करदाताओं द्वारा ₹ 1.28 करोड़ का दावा किया गया था और ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में लाभ प्राप्त किया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ₹ 81.53 लाख की राशि ऐसे इनपुटों के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन, कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाले बीजकों द्वारा समर्थित नहीं थे। तदनुसार, ये करदाता स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ₹ 81.53 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए हकदार नहीं थे, जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 47.49 लाख का ब्याज और ₹ 8.18 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-VI)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) एक मामले में ₹ 3.88 लाख राशि की वसूली की गई है (ii) शेष मामलों में, संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और (iii) के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

2.3.8.5 पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

छ: वा.क.अं. में आठ करदाताओं ने पारगमन में इनपुट पर ₹ 75.43 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निबंधित व्यक्ति, नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्द्धित कर और प्रवेश कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, लेकिन कर के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन करदाता द्वारा भुगतान किया गया हो, इस शर्त के अधीन कि उसके बीजक नियत दिन से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति के लेखा बहियों में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 49 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ पारगमन में इनपुट पर क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 7(बी) के अन्तर्गत किया गया था और छ: वा.क.अं.¹⁶, में आठ मामलों में देखा गया कि ₹ 75.43 लाख का दावा किया गया था और वस्तु के पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में लाभ प्राप्त किया। हालांकि,

¹⁵ बोकारो, पलामू, रामगढ़, और राँची पश्चिमी।

¹⁶ आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़ और सिंहभूम।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन दावों को ट्रान-1, के दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखा बहियों में ऐसे इनपुट के संबंध में बीजकों के लेखांकन की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार, अपेक्षित बीजकों के अभाव में, ये करदाता पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के हकदार नहीं थे। अतः, करदाताओं द्वारा पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 75.43 लाख की राशि का अनियमित रूप से लाभ उठाया गया। इसके अलावा, झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित लाभ के लिए ₹ 41.90 लाख का ब्याज और ₹ 7.59 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-VII)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) एक मामले में ₹ 3.30 लाख राशि की वसूली की गई है (ii) शेष मामलों में संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और (iii) के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

2.3.8.6 प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

समुचित अधिकारी द्वारा ₹ दो लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे को अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी, तथापि ये दावे अपेक्षित बीजकों द्वारा समर्थित नहीं थे।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 142(14) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ प्रधान का कोई वस्तु या पूंजीगत वस्तु नियत दिन को एजेंट के परिसर में पड़ा है, तो एजेंट ऐसी वस्तु या पूंजीगत वस्तु पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि उस व्यक्ति के पास 30 जून 2017 से पूर्व के 12 महीनों से पहले निर्गत नहीं किए गए बीजक हों और ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन कर के भुगतान का साक्ष्य हो।

लेखापरीक्षा ने 16 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2021) जहाँ प्रधान की ओर से एक एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 10(बी) के अन्तर्गत किया गया था और धनबाद नागरीय वा.क.अं. से संबंधित एक मामले में देखा गया कि प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा स्टॉक में रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ दो लाख की राशि का दावा किया गया था। सत्यापन पर समुचित अधिकारी, ने दावे को ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में पूर्ण रूप से अनुमति दी। तथापि, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि इस तरह के इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन कर के भुगतान को प्रमाणित करने वाले अपेक्षित दावे बीजकों द्वारा समर्थित नहीं थे। इस प्रकार, करदाता

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने के हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप समुचित अधिकारी द्वारा ₹ दो लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनियमित अनुमति दी गई। इसके अलावा, झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1.09 लाख का ब्याज और ₹ 0.20 लाख का अर्थदंड भी ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित लाभ के लिए आरोपणीय था (परिशिष्ट-VIII)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि संबंधित करदाता को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

2.3.8.7 कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

यद्यपि करदाताओं ने निर्धारित समय सीमा से परे ट्रान-1 दाखिल किया था, या निरसित अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संवेदक के रूप में निबंधित नहीं थे, उन्होंने कार्य संविदा सेवा पर अनियमित रूप से ₹ 1.56 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किया था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 142(11)(सी) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ किसी भी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया था, झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अन्तर्गत, कर झा.जी.एस.टी. के अन्तर्गत आरोपणीय होगा और झा.जी.एस.टी. अधिनियम और कर योग्य व्यक्ति नियत दिन के बाद की गई आपूर्ति की सीमा तक मौजूदा कानून के अधीन भुगतान किए गए मूल्य वर्द्धित कर या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और इस तरह के क्रेडिट की गणना वैसे ही की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, झा.जी.एस.टी. नियम 2017 के नियम 118 के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उप-धारा (11) के खंड(सी) के प्रावधान लागू होते हैं, नियत दिन से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ट्रान-1 दाखिल करेगा।

लेखापरीक्षा ने आठ ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 11 के अन्तर्गत किया गया था और देखा गया कि(सितंबर 2021) चाईबासा और जमशेदपुर वा.क.अं., से संबंधित दो मामलों में ₹ 1.56 करोड़ की राशि का दावा किया गया था और कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच पर, एक मामले में यह पाया गया कि निर्धारित अवधि के बाद ट्रान-1 दाखिल किया गया था। अन्य मामले में, करदाता निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संवेदक के रूप में निबंधित नहीं थे। इस प्रकार, ये करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत

₹ 1.56 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया गया जिस पर ₹ 85.44 लाख का ब्याज और ₹ 15.58 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-IX)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

2.3.8.8 अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण

14 वा.क.अं., के समुचित अधिकारियों ने 24 मामलों में, ₹ 15.91 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे को अस्वीकार किया और ₹ 6.44 करोड़ के आरोपणीय ब्याज और अर्थदंड के बदले ₹ 35.88 लाख का ब्याज और अर्थदंड लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज एवं अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 50(3) और 73(9) समुचित अधिकारी को, आई.टी.सी. के अनुचित या अधिक दावा किए जाने या इनपुट टैक्स का गलत तरीके से लाभ उठाए जाने या उपयोग किये जाने के मामले में 24 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से ब्याज एवं कर के 10 प्रतिशत के समतुल्य या ₹ 10,000, जो भी अधिक हो, अर्थदंड अधिरोपित करने का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और 14 वा.क.अं.¹⁷ में 24 मामलों में देखा कि इन करदाताओं ने ₹ 16.79 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। समुचित अधिकारियों ने सत्यापन पर ₹ 15.91 करोड़ के दावों को अस्वीकार कर दिया और ₹ 35.88 लाख का ब्याज और अर्थदंड लगाया। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वास्तविक ब्याज और अर्थदंड ₹ 6.44 करोड़ आरोपणीय था। इस प्रकार, समुचित अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ (परिशिष्ट-X) के ब्याज एवं अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण हुआ जैसा कि तालिका-2.7 में दर्शाया गया है।

¹⁷ बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर नागरीय, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, साहिबगंज और सिंहभूम।

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि अनुमत्य राशि	ब्याज और अर्थदंड आरोप्य ब्याज और अर्थदंड आरोपणीय	ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण
1	बोकारो	01	<u>0.02</u> 0.00	<u>0.002</u> 0.004	0.002
2	चाईबासा	01	<u>1.13</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.52	0.52
3	चिरकुंडा	02	<u>0.10</u> 0.03	<u>0.01</u> 0.04	0.03
4	देवघर	01	<u>0.31</u> 0.00	<u>0.07</u> 0.10	0.03
5	धनबाद	02	<u>1.43</u> 0.004	<u>0.00</u> 1.30	1.30
6	दुमका	04	<u>1.00</u> 0.64	<u>0.07</u> 0.12	0.05
7	जमशेदपुर नागरीय	01	<u>0.80</u> 0.00	<u>0.15</u> 0.19	0.04
8	पाकुड़	02	<u>0.08</u> 0.02	<u>0.01</u> 0.02	0.01
9	रामगढ़	01	<u>0.81</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.23	0.23
10	राँची पूर्वी	01	<u>0.03</u> 0.00	<u>0.01</u> 0.02	0.01
11	राँची दक्षिणी	04	<u>2.06</u> 0.11	<u>0.00</u> 1.01	1.01
12	राँची विशेष	02	<u>8.61</u> 0.02	<u>0.00</u> 2.78	2.78
13	साहिबगंज	01	<u>0.07</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.01	0.01
14	सिंहभूम	01	<u>0.31</u> 0.05	<u>0.05</u> 0.10	0.05

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि एक मामले में वसूली हुई है और अन्य मामले में ₹ 0.50 लाख की अतिरिक्त मांग उठाई गई है। शेष मामलों में संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

2.3.8.9 मू.व.क. विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

चार करदाताओं ने ₹2.60 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किया, हालांकि निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन उनके द्वारा निर्धारित विवरणी, दाखिल नहीं किया गया।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, एक निबंधित व्यक्ति को ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ उसने नियत तारीख के तत्काल पूर्व छः महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के अधीन, सभी आवश्यक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करता है।

लेखापरीक्षा ने 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और तीन वा.क.अं.¹⁸ में चार मामलों में देखा कि इन करदाताओं ने ₹2.60 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था और उसका लाभ उठाया। हालांकि, झा.मू.व.क. अधिनियम, के अधीन करदाताओं के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन करदाताओं ने अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्धारित नियत तारीख के तत्काल पूर्व छः महीने की अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार, ये करदाता ₹2.60 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के योग्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट के गलत लाभ के लिए ₹1.48 लाख का ब्याज और ₹0.40 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-XI)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) तीन मामलों में ₹3.48 लाख का अतिरिक्त मांग निर्गत किया गया है (ii) शेष मामलों में संबंधित करदाता को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

¹⁸ देवघर, पलामू और राँची पश्चिमी।

2.3.8.10 निर्धारित समय सीमा से परे मांग आदेश का अनियमित पुनरीक्षण

समुचित अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी होने के छः महीने के भीतर मांग में सुधार कर सकता है। तथापि, एक मामले, में ₹ 55.19 लाख की मांग पत्र को बिना कोई कारण बताए 16 महीने की समाप्ति के बाद संशोधित कर गलत तरीके से 'शून्य' दिखलाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 161 निर्धारित करता है कि कोई भी प्राधिकरण जो किसी पारित या जारी कोई निर्णयों या आदेश में किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे अभिलेख को देखने से ही प्रगट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहाँ ऐसी त्रुटियाँ इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए प्रभावित व्यक्ति के द्वारा उसकी जानकारी में ली जाती है, बशर्ते ऐसा कोई भी आदेश जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि के बाद कोई परिशोधन नहीं किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने सभी 28 वा.क.अं. में 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों, की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और बोकारो वा.क.अं. के एक मामले में देखा कि एक करदाता ने ₹ 43.11 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। समुचित अधिकारी सत्यापन पर गलत तरीके से ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किए जाने के दावे को अस्वीकार कर दिया और 29 सितंबर 2018 को ₹ 55.19 लाख, की राशि के लिए प्रपत्र डी.आर.सी.-07, में मांग पत्र निर्गत किया। हालांकि, समुचित अधिकारी ने, 16 महीने के बाद, उपरोक्त डी.आर.सी.-07, में सुधार किया था और 03 फरवरी 2020 को निर्धारित समय सीमा से परे और बिना कारण बताए एक संशोधित 'शून्य' मांग प्रपत्र डी.आर.सी.-08, बनाया। समुचित अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधान का पालन न करने और निर्धारित समय सीमा से परे मांग की समीक्षा करने के परिणामस्वरूप ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

मामले को बताये जाने पर (सितंबर 2021), बोकारो वा.क.अं. के समुचित अधिकारी ने कहा (सितंबर 2021) कि मामले की समीक्षा की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

2.3.8.11 कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत निबंधित करदाता द्वारा लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन करदाता हालांकि कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत निबंधित था, उसने अनियमित रूप से ₹0.56 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधिनियम के अधीन कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से भिन्न, एक निबंधित व्यक्ति मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, पूँजीगत वस्तु की अप्रयुक्त क्रेडिट जून 2017, को समाप्त अवधि के लिए मौजूदा कानून के अधीन क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और देखा कि धनबाद वा.क.अं., के एक करदाता ने ₹0.56 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया और उसका लाभ उठाया। हालांकि, अभिलेखों की जाँच में उद्घटित हुआ कि करदाता झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत निबंधित था। इस प्रकार, करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹0.56 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज ₹0.03 लाख और ₹0.10 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था।

मामले को बताये जाने पर (सितंबर 2021), धनबाद वा.क.अं., के समुचित अधिकारी ने कहा (सितंबर 2021) कि मामले की समीक्षा की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

2.3.9 निष्कर्ष

विभाग सत्यापन के लिए चयनित 2,845 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में से 1,706 मामलों का सत्यापन नहीं कर सका (सितंबर 2021), जहाँ ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹96.15 करोड़ का दावा किया गया था।

विभाग ने समुचित अधिकारियों, द्वारा निर्देशों के पालन की निगरानी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 105 उच्च मूल्य के मामलों में से 75 करदाताओं के ट्रांजिशनल दावों का सत्यापन उन अधिकारियों द्वारा किया गया जो सत्यापित करने के लिए अधिकृत ही नहीं थे। विभाग द्वारा निर्धारित जाँच सूची विभाग द्वारा सत्यापित मामलों पर प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप

₹ 14.06 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट 24 माह की समाप्ति के बाद भी वसूल नहीं किया गया था।

करदाताओं/समुचित अधिकारियों ने झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। तदंतर, समुचित अधिकारियों ने भी विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों/जाँचों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 57 मामलों, में ₹ 60.08 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ, 22 मामलों में ₹ 51.31 करोड़ की अस्वीकार्य मदों पर अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ और पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, स्टॉक में रखे गए इनपुट, पारगमन में इनपुट, प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर इनपुट और 20 मामलों में ₹ 20.06 करोड़ के लिए कार्य संविदा सेवाओं में अधिक इनपुट का लाभ प्राप्त किया।

समुचित अधिकारियों ने अस्वीकृत 24 मामलों में ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज का अल्पारोपण किये थे। एक मामले में ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट को निर्धारित समय सीमा से परे मांग आदेश में सुधार करके अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम वे हैं जो चयनित लेखापरीक्षा नमूने के भीतर ध्यान में आए और संभावना है कि अन्य ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में भी यही अनियमिततायें जारी रह सकती हैं। वा.क.वि. सभी वाणिज्य कर अंचलों में ऐसे सभी मामलों की पूरी तरह से जाँच कर सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

2.3.10 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- समुचित अधिकारियों द्वारा झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियमों के निर्देशों के पालन और अनुपालन की निगरानी के लिए शीर्ष स्तर पर एक प्रणाली स्थापित करना;
- शेष 1,706 मामलों को समयबद्ध तरीके से सत्यापित करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करना; तथा
- गलत तरीके से लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के कारण बकाया देयता की शीघ्र वसूली के लिए विभाग को निर्देश जारी करना।

अन्य अवलोकनें/ कंडिकार्यें

2.4 अस्वीकृत छूटों और रियायतों पर ब्याज का अनारोपण

अस्वीकृत छूटों, रियायतों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के कारण ₹ 61.65 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अधीन आवश्यक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट, छूटों एवं कटौतियाँ और कोई अन्य छूट या रियायतों पर ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। तदन्तर, अधिनियम निर्धारित अतिरिक्त कर, के भुगतान में विलंब होने पर विलंब होने की तिथि से जब तक उक्त कर के भुगतान में निर्धारिती द्वारा विलंब किया जाता है, प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

सात वाणिज्य कर अंचलों¹⁹, में निबंधित 38,470 व्यवसायियों में से 851 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में (सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच) उद्घटित हुआ कि कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.), ने 10 व्यवसायियों, के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच की अवधि का कर निर्धारण, संपन्न करने के दौरान ₹ 1,444.34 करोड़ के आवर्त के छूटों और रियायतों एवं ₹ 7.10 करोड़ के आवर्त के आई.टी.सी. के समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया। उपरोक्त अस्वीकृत आवर्त पर क.नि.प्रा. द्वारा आई.टी.सी. सहित ₹ 81.41 करोड़ का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया गया। हालांकि, क.नि.प्रा. अस्वीकृत दावों पर ₹ 61.65 करोड़ की राशि का दंडात्मक ब्याज आरोपण में विफल रहे। तदन्तर, यह पाया गया कि कर निर्धारण के दौरान, अस्वीकृत छूट, रियायतें और आई.टी.सी. के समायोजन पर ब्याज का आरोपण समान रूप से उपरोक्त अंचलों में नहीं किया जा रहा था।

मामलों को इंगित किए जाने पर उ.रा.क., गिरिडीह, ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित (अगस्त 2021) किया कि मांग पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं; उ.रा.क., पलामू, ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि मांग पत्र निर्गत किया गया था और उ.रा.क. बोकारो, ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं। तीन उ.रा.क.²⁰ ने कहा (दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। तथापि, उ.रा.क. जमशेदपुर नागरीय, ने कहा (जनवरी 2021) कि दाखिल विवरणियों के आधार पर कर एवं ब्याज आरोपणीय नहीं था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि क.नि.प्रा. द्वारा

¹⁹ बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

²⁰ जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

अतिरिक्त कर का निर्धारण किया गया था जिस पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ब्याज आरोपणीय था। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार/विभाग को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

2.5 झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन क्रय आवर्त का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों, ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप आठ व्यवसायियों द्वारा ₹126.48 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹26.29 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, की धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के ठोस कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा। तदन्तर, अधिनियम क.नि.प्रा. को छिपाए गए आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में निर्धारित अतिरिक्त कर की तीन गुना राशि के समतुल्य राशि के अधिरोपण का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने पाँच वाणिज्य कर अंचलों²¹ में निबंधित 24,759 व्यवसायियों में से 775 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि आठ व्यवसायियों ने 2015-16 से 2016-17 की अवधि के दौरान, आवधिक विवरणियाँ और प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसके आधार पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था (मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच) के द्वारा ₹3,220.15 करोड़ के क्रय आवर्त दर्शाया था। तदन्तर, अभिलेखों²² की जाँच से यह पता चला कि आठ व्यवसायियों का वास्तविक क्रय/विक्रय आवर्त ₹3,346.63 करोड़ था। इस प्रकार, अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचना के साथ विवरणियों का तिर्यक जाँच करने में क.नि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹126.48 करोड़ के आवर्त को छुपाया गया था। फलस्वरूप ₹19.72 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹26.29 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

²¹ आदित्यपुर, बोकारो, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, और राँची पश्चिमी।

²² वार्षिक विवरणियाँ, त्रैमासिक विवरण/झा.मु.व.क.-200, विनिर्माण एवं लाभ और हानि खाता, झा.मु.व.क.-409, झा.मु.व.क.-506 और झा.मु.व.क.-404।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) उ.रा.क., बोकारो ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं। उ.रा.क., गिरिडीह और राँची पश्चिमी ने कहा (नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। उ.रा.क., धनबाद नागरीय ने कहा (अक्टूबर 2021) कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत समाशोधन विवरणी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भंडार अंतरण में कोई विसंगति नहीं देखी गई। तथापि, समाशोधन विवरणी एवं व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.रा.क., आदित्यपुर ने कहा (अप्रैल 2022) कि त्रैमासिक विवरणी में दिखाई गई अंतर-राज्यीय क्रय में के.बि.क. शामिल है, तथापि, व्यापार खाते में दर्ज अंतर-राज्यीय क्रय आवर्त में के.बि.क. शामिल नहीं है। उत्तर अनुरूप नहीं है, क्योंकि झा.मु.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 2 (xlii) में प्रावधान है कि के.बि.क. क्रय को कर सहित व्यापार खाते में दर्ज करना आवश्यक है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमितताएँ

क.नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करते समय ₹ 11.36 करोड़ के बदले ₹ 25.82 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की।

झा.मु.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18(8) के प्रावधानों के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों द्वारा क्रय किए गए वस्तुओं को उसी रूप में बिक्री या अन्य सामग्रियों के निर्माण में उपयोग कर उनकी बिक्री केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (2) के अंतर्गत होने वाले अंतर-राज्यीय व्यापार के द्वारा किए जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट(आई.टी.सी.) की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदन्तर, 17 फरवरी 2017 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, की धारा 8(1) के अंतर्गत होने वाले अंतर-राज्यीय व्यापार बिक्री पर आई.टी.सी. देय कर की सीमा तक स्वीकार्य था। साथ ही, झा.मु.व.क. नियमों के अधीन छूट प्राप्त और अनुसूची-ई वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपभोग किए गए वस्तु के संबंध में ऐसे मामलों में आई.टी.सी. की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ कर योग्य बिक्री का मूल्य कुल आवर्त का पाँच प्रतिशत या उससे कम है।

लेखापरीक्षा ने बोकारो और धनबाद नागरीय वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 8,345 व्यवसायियों में से 246 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच) और पाया कि 11 व्यवसायियों ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 25.88 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (जून 2017 और अगस्त 2020 के बीच) इन व्यवसायियों को ₹ 25.82 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की।

यद्यपि, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि इन व्यवसायियों द्वारा के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री पर आई.टी.सी. को गलत तरीके से आनुपातिक किया गया था; और गलत तरीके से अनुमत्य किया गया था जहाँ कर योग्य बिक्री कुल आवर्त के पाँच प्रतिशत से कम थी और वस्तु अनुसूची-ई और छूट प्राप्त वस्तु के निर्माण में उपयोग किया गया था। ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 11.36 करोड़ के आई.टी.सी. के हकदार थे। फलस्वरूप ₹ 14.46 करोड़ के अतिरिक्त आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

मामलों को इंगित किए जाने (जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच) पर उ.रा.क., धनबाद नागरीय ने सूचित किया कि (अक्टूबर 2021) छः मामलों में मांग पत्र निर्गत किए गए हैं एवं उ.रा.क., बोकारो ने सूचित किया कि (अप्रैल 2022) सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं। वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

2.7 अर्थदंड का अनारोपण

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के निर्धारित प्रावधानों के अधीन ₹ 9.68 करोड़, का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जब कोई व्यवसायी आवर्त के पूरे या किसी हिस्से को विवरणी के माध्यम से छुपाता है और गलत, अधूरा या वास्तविक से कम राशि का ब्यौरा दाखिल करता है, तो विहित प्राधिकारी ऐसे आवर्त पर देय कर की राशि का आकलन कर सकता है और निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के तीन गुना के समतुल्य अर्थदंड लगा सकता है। धारा 47(1)(ब) के अनुसार, यदि एक निबंधित व्यवसायी, उसके द्वारा देय कर से अधिक कर के रूप में कोई राशि एकत्र करता है, तो उसके द्वारा एकत्र किए गए कर के अतिरिक्त, वह कर के दोगुने के बराबर अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, धारा 63(3) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यवसायी जिसका सकल आवर्त ₹ 60 लाख से अधिक है, अपने खातों का लेखापरीक्षा और निर्दिष्ट अवधि के अन्दर झा.मू.व.क.-409 फॉर्म में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी ऐसे आवर्त पर देय कर के अतिरिक्त 0.1 प्रतिशत के बराबर अर्थदंड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने रामगढ़ वाणिज्य कर अंचल में निबंधित 5,398 व्यवसायियों में से 106 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी 2021) और पाया कि क.नि.प्रा. ने तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 9.68 करोड़, का अर्थदंड लगाने में विफल रहे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- दो व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के लिए ₹2,988.68 करोड़, के सकल आवर्त का खुलासा किया था। क.नि.प्रा. ने अगस्त 2020 में कर निर्धारण संपन्न करते समय कर अपवंचना के लिए व्यवसायियों द्वारा किए गए मंशा के कारण आवर्त को बढ़ाकर ₹3,069.88 करोड़ कर दिया। यद्यपि क.नि.प्रा. ने आवर्त में ₹81.19 करोड़, की वृद्धि की और ₹3.18 करोड़, के अतिरिक्त कर का निर्धारण किया, परन्तु निर्धारित अतिरिक्त कर पर ₹9.54 करोड़, का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।
- एक व्यवसायी ने 2016-17 की अवधि के लिए अपनी कर देयता ₹9.52 करोड़ के विरुद्ध ₹9.59 करोड़, का कर एकत्र किया था। क.नि.प्रा. ने व्यवसायी द्वारा संग्रहित अधिक कर के लिए ₹14.54 लाख का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (जनवरी 2021), क.नि.प्रा. ने कहा (जनवरी 2021) कि इन मामलों की समीक्षा की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार/विभाग को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

2.8 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹16.39 करोड़ के बदले ₹8.92 करोड़ का कर आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹7.47 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. नियम, 22(2) के अनुसार, जब किसी संविदा में श्रम, एवं सेवा प्रभार की राशि अभि-निश्चित करने के अयोग्य है, तब उक्त प्रभारों की राशि कुल प्राप्त/प्राप्य के 30 प्रतिशत के रूप में गणना की जाएगी, तथा इसके बाद प्राप्त करदेय आवर्त 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे। तदन्तर नवंबर 2016, में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, भाग-II की अनुसूची-ब के अन्तर्गत वस्तुओं के लिए कर की मौजूदा दर पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दी गई थी। साथ ही, के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जहाँ लेनदेन का समर्थन प्रपत्र "सी" और "ई-1" में घोषणाओं द्वारा किया गया था, कर आरोपणीय नहीं था। प्रपत्र 'ई-1' घोषणा प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, कर की राज्य दर तब लागू होती थी जब विक्रेता और क्रेता व्यवसायी दोनों एक ही राज्य के थे।

लेखापरीक्षा ने चार वाणिज्य कर अंचलों²³ में निबंधित 20,150 में से 632 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और क.नि.प्रा. ने पाया कि 2016-17 की अवधि के लिए, पाँच

²³ आदित्यपुर, बोकारो, गिरिडीह और जमशेदपुर।

व्यवसायियों का कर निर्धारण संपन्न करते समय (जनवरी 2020 और अगस्त 2020 के बीच) कर की गलत दर लागू करने के कारण ₹ 16.39 करोड़ के बदले ₹ 8.92 करोड़ का कर लगाया। परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण ₹ 7.47 करोड़ के कर का अल्पावरोपण हुआ, जैसा कि तालिका 2.8 में विस्तृत है।

तालिका-2.8

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मामलों की संख्या	अवलोकन की प्रवृत्ति	सही दरों पर कर भुगतेय कर भुगतान	कर का अल्पावरोपण
1	03	तत्काल मामलों में, क.नि.प्रा. ने संशोधित दरों पर कर आरोपण में विफल रहें, जो कि क्रमशः 5 और 14 प्रतिशत से 5.5 और 14.5 प्रतिशत में संशोधित किये गये थे।	<u>5.54</u> 5.04	0.50
2	01	तत्काल मामलों में, श्रम और अन्य समान शुल्कों के लिए कटौती की अनुमति देने के बाद, नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने योग्य शेष आवर्त पर क.नि.प्रा. ने 14 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया।	<u>9.19</u> 3.28	5.91
3	01	तत्काल मामलों में, करदाता द्वारा फॉर्म सी में घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहने के बावजूद क.नि.प्रा. ने अंतरराज्यीय पारगमन बिक्री आपूर्ति पर रियायती दर पर कर लगाया।	<u>1.66</u> 0.60	1.06

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच), उ.रा.क., गिरिडीह और जमशेदपुर ने कहा कि (नवंबर और दिसंबर 2020) मामलों की समीक्षा की जाएगी, जबकि उ.रा.क., बोकारो ने सूचित (अप्रैल 2022) किया कि सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं, और उ.रा.क., आदित्यपुर ने सूचित (अप्रैल 2022) किया कि मांग पत्र निर्गत किए गए हैं। वसूली के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

2.9 छूट की गलत अनुमति

क.नि.प्रा. द्वारा कर की अधिक छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 9(5) प्रावधानित करता है कि जब एक निबंधित व्यवसायी किसी बिक्री के क्रम में वस्तुओं की मात्रा के नगद छूट के अलावा व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है तो व्यापार छूट या प्रोत्साहन के रूप में अनुमत्य मात्रा व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री माना जायेगा। आगे, झा.मू.व.क. नियम 2006 के नियम 22(1) (डी) के अन्तर्गत कार्य संविदा में शामिल वस्तु का मूल्य कार्य संवेदक द्वारा अर्जित लाभ सहित श्रम और अन्य समान शुल्कों की कटौती के बाद कर योग्य था, जो कि उनके सकल प्राप्त मूल्य से श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित था। साथ ही के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत प्रपत्र 'I' में घोषणा प्रस्तुत करने पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र बिक्री पर कर से छूट स्वीकार्य थी।

लेखापरीक्षा ने तीन वाणिज्य कर अंचलों²⁴ में निबंधित 15,886 व्यवसायियों, में से 396 व्यवसायियों, के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच) और पाया कि चार व्यवसायियों ने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए व्यापार छूट, रॉयल्टी, श्रम और सेवाओं की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित लाभ के कारण और विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवसायियों को श्रम और सेवाओं की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित ₹ 46.43 करोड़ के आवर्त पर कर से छूट का दावा किया। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2019 और अगस्त 2020 के बीच) पूर्ण छूट की अनुमति प्रदान की। तथापि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन व्यवसायियों को अनुमेय छूट केवल ₹ 36.78 करोड़ के आवर्त पर थी। परिणामस्वरूप ₹ 9.65 करोड़ के आवर्त पर अधिक छूट मिली और ₹ 1.12 करोड़ के कर का अनुवर्ती अल्पारोपण हुआ।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच), उ.रा.क., जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी ने कहा (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी, जबकि उ.रा.क., गिरिडीह ने सूचित (अप्रैल 2022) किया कि मांग पत्र निर्गत किए गए हैं। वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

²⁴ गिरिडीह, जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

2.10 कर प्रशासन

उत्पाद कर का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा यथाअंगीकृत बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों/निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा शासित है। सरकार के स्तर पर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग का प्रमुख है और राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों और कार्यक्रमों के प्रशासन और निष्पादन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। उन्हें मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद का सहयोग प्राप्त होता है। तदन्तर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमंडलों²⁵ में विभक्त है जो प्रत्येक उत्पाद उपायुक्त के नियंत्रणाधीन है। प्रमंडलों को पुनः 24 उत्पाद जिलों में विभाजित किया गया है जो सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन है।

2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा 2020-21 के दौरान विभाग के कुल 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से आठ²⁶ (26 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। 2019-20 के दौरान नमूना जाँच किये गए जिलों में 490 खुदरा बंदोबस्त उत्पाद दुकान थी। लेखापरीक्षा द्वारा सभी बंदोबस्त उत्पाद दुकानों की नमूना जाँच की गयी। विभाग द्वारा 2019-20 के दौरान ₹ 2009.27 करोड़ संग्रहित की गई, जिनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 615.55 करोड़ (30.64 प्रतिशत) संग्रहित किये गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा 1,121 मामलों में ₹ 75.58 करोड़ की अनियमितता पाई गयी जैसा कि तालिका 2.9 में वर्णित है:

²⁵ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची तथा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

²⁶ सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, रांची, सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ एवं अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह, कोडरमा और झारखण्ड स्टेट बेबरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची।

तालिका-2.9

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	उत्पाद परिवहन शुल्क (ई.टी.डी.) के विलम्ब से जमा करने के कारण हुये विलम्ब शुल्क का अनारोपण	392	47.24
2	डेमेरेज चार्ज की कम वसूली	167	7.19
3	न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (एम.जी.डी.) के देर/ नहीं जमा किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना	449	7.18
4	सरकारी राजस्व का जमा नहीं किया जाना	66	3.30
5	बार एवं रेस्टोरेन्ट से परमिट शुल्क के रूप में राजस्व की हानि	01	1.79
6	प्रीमिलेज शुल्क का कम जमा होना	01	5.02
7	विदेशी निर्मित विदेशी शराब के लेबल रजिस्ट्रेशन/ नवीकरण के समय प्रोसेसिंग शुल्क का अनारोपण के कारण राजस्व की हानि	05	0.01
8	ई.टी.डी. का अनारोपण	01	2.99
9	अन्य	39	0.86
कुल		1,121	75.58

178 मामलों में सन्निहित ₹ 6.43 करोड़ से संबन्धित अनियमितताओं की चर्चा नीचे दी गयी कंडिका में की गयी है:

2.12 शराब का कम उठाव एवं विलम्ब शुल्क का अनारोपण

विभाग द्वारा शराब के कम उठाव के कारण आरोपनीय न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क के समतुल्य उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 19.61 लाख एवं विलम्ब से न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क एवं उत्पाद परिवहन शुल्क की राशि जमा किये जाने के कारण आरोपनीय विलम्ब शुल्क की राशि ₹ 6.23 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 सह-पठित (शराब की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संसोधित) नियामवली, 2019 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के लाइसेंस प्राप्त बिक्रेता महीने के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (एम.जी.डी.) के समतुल्य शराब उठाने के लिए बाध्य होगा, जिसमें असफल होने पर कम उठाये गए शराब के समतुल्य एम.जी.डी. की राशि महीने के अंत में जमा करना होगा। खुदरा उत्पाद दुकान के लाइसेंस प्राप्त बिक्रेता को वार्षिक उत्पाद परिवहन शुल्क (ई.टी.डी.) के 12^{वें} भाग को अग्रिम रूप में प्रत्येक महीने के 15 तारीख तक जमा करना होगा। तदन्तर, नियमानुसार एम.जी.डी./ई.टी.डी. के जमा नहीं करने/ कम जमा करने पर पाँच प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क प्रतिदिन आरोपित किया जाएगा।

अभिलेखों²⁷ की जाँच (दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) के दौरान यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये पांच उत्पाद जिलों²⁸ के सभी 490 बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों में 115 खुदरा दुकानों को एम.जी.डी. के समतुल्य ₹ 2 करोड़ की शराब का उठाव करना था। तथापि, इन उत्पाद दुकानों ने निर्धारित तिथि के दरम्यान एम.जी.डी. के समतुल्य ₹ 1.40 करोड़ की शराब का उठाव किया था। बिक्रेताओं ने शराब का कम उठाव किया, जो एम.जी.डी. की ₹ 60.40 लाख की राशि थी, जिसमें से ₹ 40.43 लाख का भुगतान दो से 335 दिनों के मध्य विलम्ब से किया गया। तदन्तर, कुल 63 खुदरा उत्पाद दुकान के बिक्रेताओं ने एक से 89 दिनों के बीच की देरी से ₹ 8.36 करोड़ की ई.टी.डी. जमा किया था। उत्पाद जिलों ने माह एवं माह तक से संबंधित दुकानवार प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त उत्पाद को प्रेषित किया था जिसमें एम.जी.डी. का निर्धारण तथा आरोपनीय ई.टी.डी., उठायी गयी शराब/भुगतीत ई.टी.डी. सम्मिलित था। तथापि, विभाग ने कम उठाई गयी शराब पर एम.जी.डी. के समतुल्य उत्पाद शुल्क और एम.जी.डी. एवं ई.टी.डी. के विलम्ब से भुगतान करने के लिए विलम्ब शुल्क आरोपन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कम उठाव किये शराब पर ₹ 19.61 लाख की एम.जी.डी. और एम.जी.डी. तथा ई.टी.डी. के नहीं/देर से भुगतान के लिए विलम्ब शुल्क क्रमशः ₹ 2.78 करोड़ एवं ₹ 3.45 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद (दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के मध्य) संबंधित अधिकारियों (स.आ.उ./अ.उ.) ने कहा (दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के मध्य) कि विस्तृत सत्यापन के बाद कदम उठाये जायेंगे। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामला जुलाई 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

²⁷ बंदोबस्ती पंजी, राजस्व संचिका एवं अनुज्ञाधारी का खाता-बही लेजर।

²⁸ बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग एवं कोडरमा।

अध्याय-III

गैर-कर प्राप्तियां

अध्याय - III: गैर-कर प्राप्तियां

खान एवं भूतत्व विभाग

3.1 कर प्रशासन

राज्य में स्वामिस्व का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज समनुदान नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 द्वारा शासित होता है।

सरकार के स्तर पर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग तथा निदेशालय स्तर पर खान निदेशक, अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं। खान निदेशक को मुख्यालय स्तर पर एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और उप निदेशक खान (उ.नि.खा.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य को छः अंचलों¹ में विभक्त किया गया है, प्रत्येक एक उ.नि.खा. के प्रभार में होते हैं। अंचलों को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.पदा.)/ सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.पदा.) के प्रभार में हैं। जि.ख.पदा./ स.ख.पदा. स्वामिस्व एवं अन्य खनन बकाये के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जि.ख.पदा. तथा खा.नि. खनन पट्टा क्षेत्रों के निरीक्षण और खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा के लिए प्राधिकृत होते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने खान एवं भूतत्व विभाग की 51 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से छः² (12 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। नमूना जाँच की गई इकाइयों में 520 खनन पट्टों (बृहत् खनिजों के 39 और लघु खनिजों के 481) में से, लेखापरीक्षा ने 128 खनन पट्टों (बृहत् खनिजों के 19 और लघु खनिजों के 109) के अभिलेखों की जाँच की। इसके अलावा, 'झारखण्ड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य-कलाप' पर एक लेखापरीक्षा भी किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग की प्राप्तियां ₹5,461.36 करोड़ थी जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹594.42 करोड़ (11 प्रतिशत) एकत्र किया। लेखापरीक्षा ने 78 मामलों में ₹336.69 करोड़ की राशि की अनियमितताएं देखीं जैसा कि तालिका-3.1 में वर्णित है।

¹ चाईबासा, पलामू, धनबाद, दुमका, हजारीबाग एवं राँची।

² निदेशक खान, राँची; जिला खनन कार्यालयों- दुमका, गोड्डा, गुमला, पाकुड़ और साहिबगंज।

तालिका-3.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	झारखण्ड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य-कलाप	1	55.88
2	मासिक विवरणी देर से जमा करने पर दंड का अनारोपण	4	0.39
3	भण्डार का लेखा-जोखा कम करने पर दंड का अनारोपण	1	259.20
4	खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन पर दंड का अनारोपण	3	12.32
5	खनिजों के अत्यधिक उत्खनन पर दंड का अनारोपण	1	1.65
6	स्वामिस्व का अल्पारोपण	7	7.12
7	अन्य मामले	61	0.13
कुल		78	336.69

विभाग ने 2020-21 में इंगित किए गए 10 मामलों में ₹ 56.93 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया।

3.2.1 लघु खनिजों के खनन पट्टों का आवंटन

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा जारी आचार संहिता में यह प्रावधान है कि एक मंत्री को, पद ग्रहण करने के बाद और जब तक वह पद पर बना रहेगा/रहेगी (संहिता के पैरा 2 (सी) के तहत) किसी भी व्यवसाय को शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचना चाहिए।

झारखंड में लघु खनिजों के उत्खनन के लिए इच्छुक आवेदकों को, झारखंड लघु खनिज समनुदान (झा.ल.ख.स.) नियम, 2004 के अनुसार खनन पट्टा आवंटित किया जाता है। एक आवेदक जो झा.ल.ख.स. नियम, 2004 के नियम 9 (2) के तहत लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा प्राप्त करना चाहता है, उसे नियम 9 (3) से 9 (8) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म ए में एक आवेदन जमा करना होगा। नियम 9 (3) में आवेदकों की तीन पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और अस्थायी और स्थायी पते का प्रमाण जमा करने का प्रावधान है, नियम 9 (4) में ₹ 5,000 का आवेदन शुल्क जमा करने और जहां भी आवश्यक हो, भूमि का विवरण और खतियान की प्रतिलिपि जमा करने का प्रावधान है, नियम 9 (5) पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित स्वामिस्व या नियत लगान और भूतल लगान के भुगतान के संबंध में स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा करने का प्रावधान करता है, नियम 9 (6) आयकर विवरण की घोषणा के संबंध में एक शपथ पत्र जमा करने का प्रावधान करता है, नियम 9 (7) अन्य खनन पट्टों पर स्वामित्व या अन्य आवेदन जमा करने हेतु घोषित करने वाला एक शपथ पत्र जमा करने का प्रावधान करता है, नियम 9 (8) उन भूमि मालिकों से सतही अधिकार जमा करने का प्रावधान करता है जहां भूमि रैयती है। उपरोक्त नियम 9 (9) में आगे प्रावधान है कि यदि उप-नियम 3 से 8 में उल्लिखित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी

खनन पट्टे के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा।

लेखापरीक्षा ने पिछले पांच वर्षों (2017-22) के दौरान संबंधित जि.ख.पदा. द्वारा रांची और साहिबगंज जिलों में, जहां खनन पट्टों के अनियमित आवंटन के मामले समाचार पत्रों में उजागर हुए थे, लघु खनिजों के खनन पट्टों के आवंटन की समीक्षा की। 2017-22 के दौरान दिए गए खनन पट्टों के 65 मामलों (रांची में 32 और साहिबगंज में 33) में से 24 मामलों (प्रत्येक जिले में 12 मामले) की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई। खनन पट्टे के आवंटन के लिए खनन कार्यालयों द्वारा अपनाई गई मानक प्रक्रितियों का पता लगाने के लिए मामलों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि झा.ल.ख.स. नियमों (नियम 9 (3) से 9 (8)) का अनुपालन किए बिना आवेदकों को खनन पट्टे अनियमित तरीके से दिए गए थे। दो शपथ पत्रों के स्थान पर अपूर्ण विवरण के साथ एक ही शपथ पत्र जमा और स्वीकार करने; स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र केवल तभी स्वीकार करना, जब आवेदकों ने दूसरे पट्टे पर स्वामित्व होने का दावा किया हो; स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र के स्थान पर एकल घोषणा, शपथ पत्र के रूप में स्वीकार करना कि आवेदक के खिलाफ कोई खनन बकाया नहीं था के परिणामस्वरूप उल्लंघन हुआ था। विस्तृत अवलोकन निम्नानुसार हैं:

- सभी 24 मामलों में, झा.ल.ख.स. नियम 2004 के नियम 9 (6) और नियम 9 (7) के तहत आवश्यक अलग-अलग शपथ पत्रों के स्थान पर आवेदन के साथ केवल एक ही शपथ पत्र संलग्न किया गया था।
- 24 में से 17 मामलों में, जहां आवेदकों ने घोषणा की थी कि उन पर कोई खनन बकाया नहीं है, स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र, जैसा कि झा.ल.ख.स., 2004 के नियम 9 (5) में उल्लिखित है, आवेदन के साथ संलग्न नहीं पाया गया था। आगे, एक मामले में, रांची जिले में, न तो स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा किया गया था और न ही शपथ पत्रों में यह घोषित किया गया था कि आवेदक पर कोई खनन बकाया नहीं था।
- जिला खनन कार्यालय (जि.ख.का.), रांची में, एक आवेदक ने (शपथ पत्र में) घोषणा की थी कि उसके पास खनन पट्टा है, लेकिन जि.ख.पदा. द्वारा मांगे जाने के बावजूद उसने स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया।
- 24 में से सात मामलों में आवेदन के साथ संलग्न एकल शपथ पत्र में नियम 9 (6) के सभी तीन प्रावधान³ शामिल थे, जबकि तीन अन्य मामलों में केवल प्रावधान (बी और सी) घोषित किया गया था। 1 मामले में, केवल प्रावधान

³ घोषणा कि: (ए) अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है (बी) आवेदक पर लगाए गए आयकर का भुगतान किया गया है और (सी) आई.टी. अधिनियम, 1961 के तहत कर के स्व-मूल्यांकन के आधार पर आयकर का भुगतान किया गया है।

(ए और सी) घोषित किया गया था और 10 मामलों में, केवल प्रावधान (बी) घोषित किया गया था। तीन मामलों में, शपथ पत्र में सभी प्रावधानों का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

- 24 में से नौ मामलों में, आवेदन के साथ संलग्न एकल शपथ पत्र में (तीन प्रावधानों⁴ में से) केवल नियम 9 (7) का प्रावधान (ए) शामिल था, जबकि तीन मामलों में प्रावधान (ए) और (बी) घोषित किया गया था। बाकी 12 मामलों में, शपथ पत्र में प्रावधानों का कोई विवरण नहीं दिया गया था।
- पिछले आवेदनों के कालातीत हो जाने के बाद, यानी नियम 11(सी) के अनुसार आवेदन जमा करने की तारीख से 120 दिनों के बाद 20 आवेदकों द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ अगला आवेदन जमा किया गया था। हालाँकि, बाद के 15 मामलों में आवेदनों के साथ कोई नया दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था और चार (रांची में तीन और साहिबगंज में एक) मामलों में नए शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे। रांची के एक मामले में फोटो, ट्रेसिंग पेपर में गांव का नक्शा और नये शपथ पत्र जमा किये गये।
- 24 मामलों में से तीन (रांची में दो और साहिबगंज में एक) में, आवेदन कालातीत होने के बाद आवेदन की अंतिम तारीख से 120 दिनों के बाद आषय का पत्र (एल.ओ.आई) जारी किया पाया गया।
- झा.ल.ख.स. नियमों के नियम 9(1)(ड) के अनुसार, यदि कोई आवेदक एल.ओ.आई जारी होने के 180 दिनों के भीतर स्वच्छता प्रमाण पत्र (ई.सी.सी.) जमा करने में विफल रहता है, तो आवेदन कालातीत हो जाता है। 24 मामलों में से पांच (रांची में दो और साहिबगंज में तीन) में आवेदकों ने एल.ओ.आई जारी होने के 180 दिनों के बाद ई.सी.सी. जमा किया था। हालाँकि, उपायुक्त द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया गया और पट्टा प्रदान कर दिया गया।
- 24 में से दो मामलों में, जि.ख.पदा. रांची ने एल.ओ.आई. जारी होने के बाद स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र मांगा। हालाँकि, शपथ पत्र में आवेदकों ने उल्लेख किया था कि उन पर राज्य का कोई खनन बकाया नहीं है।
- सभी 24 मामलों में, खनन पट्टे के लिए आवेदन स्वीकार किए गए, कार्रवाई की गई और पट्टा प्रदान किया गया इसके बावजूद की स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा नहीं था और ऐसे शपथ पत्रों के आधार पर जो नियम 9 (6 और 7) के गैर-अनुपालन वाले थे।
- 24 नमूना मामलों में से, जि.ख.का., रांची में एक आवेदक, जो झारखंड के मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्त्व के प्रभारी मंत्री थे, ने उनके स्वयं के नाम पर पत्थर खनन पट्टे (लघु खनिज) के लिए 0.88 एकड़ भूमि, ग्राम अनगरा में

⁴ घोषणा कि आवेदक, व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से (ए) खनन पट्टा रखता है (बी) आवेदन किया है लेकिन पट्टा आज तक प्रदान नहीं किया गया है और (सी) एक साथ आवेदन कर रहा है।

(मई 2021) आवेदन किया था, जो अक्टूबर 2021 में प्रदान की गई थी। 3 फरवरी 2022 को पट्टा पंजीकृत किया गया था और खनन क्रिया-कलाप की शुरुआत के बिना, 4 फरवरी 2022 को प्रत्यार्पित कर दिया गया था।

राज्य में राज्य के मंत्रियों को खनन पट्टे के आवंटन के लिए प्रावधानों पर लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई जानकारी (मार्च 2023) के जवाब में, मंत्रीमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग, झारखंड सरकार ने सूचित किया (अप्रैल 2023) कि विभाग की ओर से मंत्रियों के लिए कोई नियम/दिशानिर्देश या आचार संहिता जारी की नहीं गयी है। राज्य में एम.एच.ए. द्वारा जारी आचार संहिता की प्रयोज्यता के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा आगे की पूछताछ (मई 2023) पर मंत्रीमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नियम 9 (6) और 9 (7) के तहत आवश्यक शपथ पत्रों के स्थान पर अपूर्ण विवरणों के साथ एकल शपथ पत्रों की स्वीकृति, साथ ही स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्रों के स्थान पर शपथ पत्रों के रूप में एकल घोषणाओं की स्वीकृति अनियमित एवं निर्धारित नियमों का उल्लंघन था।

आगे, लेखापरीक्षा को विभाग में किसी भी प्रणाली के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला जो सुनिश्चित करे कि खनन पट्टों का आबंटन: (i) केवल उन व्यक्तियों को मिले जो खनन पट्टे के आवंटन प्रक्रिया/देखरेख से नहीं जुड़े थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ताकी हितों के किसी भी टकराव से बच सके; (ii) भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए और (iii) झा.ल.ख.स. नियम, 2004 में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।

इस प्रकार, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा रांची और साहिबगंज जिलों में खनन पट्टे आवंटन की प्रथा झा.ल.ख.स. नियमों के उल्लंघन में था, और एम.एच.ए. द्वारा जारी आचार संहिता की सार के विरुद्ध था।

यह मामला नवंबर 2023 में खान एवं भूतत्व विभाग को सूचित किया गया था जिसके बाद दिसंबर 2023 में एक अनुस्मारक दिया गया था। हालाँकि, खदानों के आवंटन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए खान निदेशक, झारखंड रांची को संबोधित पत्र के प्रतिलिपि के अलावा विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2024)।

3.3 झारखण्ड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप


3.3.1 परिचय

विधि और न्याय मंत्रालय (विधि विभाग) भारत सरकार ने 12 जनवरी 2015 से प्रभावी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि. अधिनियम) में संशोधन (मार्च 2015) किया। उक्त अधिनियम की धारा 9बी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए प्रावधान करती है जो खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ हेतु काम करने के लिए एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा। अधिनियम मुख्य तौर पर एक राशि की रूपरेखा तैयार करता है जिसे बृहत् खनिजों के निष्कर्षण के लिए खनन पट्टा धारकों द्वारा डी.एम.एफ.टी. को सालाना भुगतान करना होता है। तदनुसार, भारत सरकार ने खा.ख.वि.वि. अधिनियम के तहत बृहत् खनिजों के पट्टाधारकों द्वारा डी.एम.एफ.टी. को भुगतान की जाने वाली राशि को अधिसूचित किया (सितंबर 2015)।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) भी शुरू की (सितंबर 2015) और पी.एम.के.के.के.वाई. के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 20ए के तहत राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। राज्यों को डी.एम.एफ.टी. के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में इसे शामिल करना आवश्यक था।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने झारखण्ड के प्रत्येक जिले में डी.एम.एफ.टी. के गठन के लिए अधिसूचना (नवंबर 2015) जारी की और 12 जनवरी 2015 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए झारखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियमावली (झा.डी.एम.एफ.टी. नियमावली) (मार्च 2016) तैयार किया। झा.स. ने लघु खनिजों के पट्टाधारकों द्वारा देय अंशदान की दर भी अधिसूचित की (जनवरी 2017)।

राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यों (परिशिष्ट-XII में वर्णित) और एक सदस्य सचिव (खान निदेशक) को मिलाकर डी.एम.एफ.टी./पी.एम.के.के.के.वाई. के तहत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की अनुश्रवण और समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (एस.एल.एम.सी.) का गठन (मार्च 2019) किया। डी.एम.एफ.टी. के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त (उपा.) शासी परिषद (शा. परि.) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं जिसमें 14 सदस्य होते हैं (जैसा कि परिशिष्ट-XIII में वर्णित है) और प्रबंधकीय समिति (प्र.स.) में पांच सदस्य होते हैं (जैसा कि परिशिष्ट-XIV में वर्णित है)। जिला स्तर पर इन दोनों निकायों की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:



संयुक्त/उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग (अब से विभाग) झारखण्ड सरकार, व्यवस्थापक की क्षमता में प्रत्येक डी.एम.एफ.टी. के सदस्य सचिव (उप.-वि.आ.) के साथ मानक ट्रस्ट विलेख निष्पादित करता है।

झारखण्ड में खनन प्राप्ति की स्थिति

झारखण्ड एक खनिज संपन्न राज्य है। देश के कुल खनिज संसाधनों का 40 प्रतिशत इस राज्य में है और राज्य में 30 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य कोयले के भंडार में प्रथम, लौह अयस्क के भंडार में दूसरे, ताम्र अयस्क के भंडार में तीसरे, बॉक्साइट अयस्क के भंडार में सातवें स्थान पर है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है।

खान एवं भूतत्व विभाग, बृहत् खनिजों के लिए केंद्रीय कानूनों जैसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) समनुदान नियम, 2016 और खनिज संरक्षण और विकास नियम (ख.सं.वि. नियम), 1988 को प्रशासित करता है। विभाग लघु खनिजों के लिए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियम, 2004 का भी संचालन करता है।

विभाग के वेब पोर्टल पर उपलब्ध डाटा/सूचना के अनुसार राज्य के खनन पट्टों की सितम्बर 2022 तक की स्थिति तालिका-3.2 में दर्शाई गई है।

तालिका-3.2
अंचलवार खनन पट्टों की स्थिति

खनन अंचल का नाम	बृहत् खनिजों के पट्टे			लघु खनिजों के पट्टे		
	कुल पट्टों की संख्या	कार्यरत पट्टों की संख्या	अकार्यरत पट्टों की संख्या	कुल पट्टों की संख्या	कार्यरत पट्टों की संख्या	अकार्यरत पट्टों की संख्या
धनबाद	138	59	79	542	82	460
दुमका	20	3	17	1,422	250	1,172
हजारीबाग	52	21	31	554	56	498
कोल्हान	97	11	86	453	52	401
पलामू	20	7	13	222	66	156
राँची	58	21	37	647	83	564
कुल	385	122	263	3,840	589	3,251

स्रोत- विभाग का वेब पोर्टल।

तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य में बृहत् खनिजों के कुल 385 पट्टे एवं लघु खनिजों के 3,840 पट्टे हैं। इनमें से बृहत् एवं लघु खनिजों के क्रमशः 263 एवं 3,251 पट्टे अकार्यरत हैं।

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3
खनन प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां	पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) या कमी (-)
2016-17	4,094.25	(-) 6.62
2017-18	5,941.36	(+) 45.11
2018-19	5,934.64	(-) 0.11
2019-20	5,461.36	(-) 7.97
2020-21	5,012.47	(-) 8.22

स्रोत- झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, राज्य की खनन प्राप्तियों में निरंतरता नहीं थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान खनिज प्राप्तियों का गैर-कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान (66.27 प्रतिशत) रहा है तथा राज्य द्वारा सृजित राजस्व (20.51 प्रतिशत) में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है।

2015-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए, दिसंबर 2020 और अप्रैल 2022 के मध्य 24 में से 6⁵ डी.एम.एफ.टी. की लेखापरीक्षा के साथ-साथ जिला खनन

⁵ बोकारो, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और राँची।

कार्यालय, (जि.ख.कार्या.) में एवं निदेशक खान एवं विभाग के सचिव के कार्यालय में उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की जाँच की गई थी।

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में, लेखापरीक्षा का दायरा डी.एम.एफ.टी. अंशदान और संसाधनों के अनुप्रयोग की जाँच तक सीमित था ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या (i) डी.एम.एफ.टी. अंशदान का संग्रह और वित्तीय प्रबंधन उचित और प्रभावी था; (ii) योजनाओं का नियोजन और चयन पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों और डी.एम.एफ.टी. नियमों के अनुरूप थे; तथा (iii) अनुश्रवण तंत्र का पर्याप्त रूप से प्रयोग किया गया था। लेखापरीक्षा नमूने का चयन राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षित इकाइयों तक पहुंच के आधार पर किया गया था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने छः नमूना जिलों में राज्य के कुल डी.एम.एफ.टी. संग्रहण के 52.79 प्रतिशत को आवृत आवरण किया जैसा कि तालिका-3.4 में दिखाया गया है।

तालिका-3.4

(₹ करोड़ में)

2015-21 के दौरान राज्य में कुल डी.एम.एफ.टी. संग्रहण	2015-21 के दौरान नमूना जाँचित जिलों में कुल डी.एम.एफ.टी. संग्रह का विवरणी		प्रतिशतता
	जिला का नाम	कुल संग्रहण	
6,855.81	बोकारो	613.58	52.79
	चतरा	849.37	
	धनबाद	1,724.95	
	हजारीबाग	312.25	
	लोहरदगा	22.28	
	राँची	97.05	
	कुल	3,619.48	

स्रोत- खान निदेशक।

सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के साथ 16 दिसंबर 2020 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नमूना और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। विभाग के सचिव के साथ 5 जुलाई 2022 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.3.2 डी.एम.एफ.टी. का प्रबंधन

मानक ट्रस्ट विलेख के साथ पठित झारखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियम, 2016 के अनुसार शासी परिषद (शा. परि.) ट्रस्ट के समग्र प्रबंधन, वार्षिक बजट को तैयार करने और अनुमोदन करने, वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी, लाभार्थियों की

सूची और वार्षिक प्रतिवेदन की सम्पुष्टि एवं राज्य विधानमंडल में रखे जाने के लिए सरकार को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रबंधकीय समिति (प्र.स.) निर्धारित तरीके से निधि के संग्रह, वार्षिक बजट तैयार करने में शा. परि. के साथ समन्वय करने, लाभार्थियों की पहचान करने, वार्षिक कार्य योजना विकसित करने, पी.एम.के.के.के.वाई. के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों की सूची को अनुमोदित करने, कार्य आदेश निर्गत करने और उसके लिए निधि विमुक्त करने, योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करने, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने एवं ऐसी अन्य गतिविधियों के लिये जिम्मेवार हैं जो ट्रस्ट के उद्देश्य को आगे बढ़ाती हैं।

ट्रस्ट के लिये यह आवश्यक है की, वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं के साथ-साथ अनुमोदित वार्षिक बजट और वार्षिक कार्य योजना को जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशन के लिए अग्रेषित करें।


3.3.3 डी.एम.एफ.टी. निधि का उपयोग

डी.एम.एफ.टी. निधि के उपयोग के लिये पी.एम.के.के.के.वाई. के प्रावधानित दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निधि का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा: अर्थात्
 - (i) पेयजल आपूर्ति;
 - (ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय;
 - (iii) स्वास्थ्य देखभाल;
 - (iv) शिक्षा;
 - (v) महिलाओं और बच्चों का कल्याण;
 - (vi) वृद्ध और दिव्यांग जनों का कल्याण;
 - (vii) कौशल विकास; तथा
 - (viii) स्वच्छता।
- निधि का 40 प्रतिशत तक उपयोग में लिये जाने वाले कार्य:
 - (i) भौतिक बुनियादी संरचना;
 - (ii) सिंचाई;
 - (iii) ऊर्जा और वाटरशेड विकास; तथा
 - (iv) खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

3.3.4 निधि प्रवाह व्यवस्था

डी.एम.एफ.टी. का बैंक खाता	<p>बृहत् खनिजों के मामलों में:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए खनन पट्टों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के संबंध में भुगतान की गई स्वामिस्व का 30 प्रतिशत। • 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिए गए खनन पट्टों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के संबंध में भुगतान की गई स्वामिस्व का 10 प्रतिशत। <p>लघु खनिजों के मामलों में:</p> <ul style="list-style-type: none"> • मौजूदा पट्टे, जो नीलामी के माध्यम से नहीं प्रदान किये गये हैं, के लिए स्वामिस्व का 30 प्रतिशत। • वैसे पट्टे, जो नीलामी के माध्यम से प्रदान किये गए हैं, के लिए स्वामिस्व का 10 प्रतिशत। • निर्माण कार्यों के निष्पादन में शामिल कार्य संवेदकों, एजेंसियों या निजी कंपनियों को 14 मार्च 2019 से स्वामिस्व के भुगतान के अलावा डी.एम.एफ.टी. अंशदान का भुगतान करना होगा।
---------------------------	--



कार्यकारी एजेंसियां	डी.एम.एफ.टी. द्वारा दिये गए कार्य के निष्पादन के लिए डी.एम.एफ.टी. से अग्रिम एवं अनुवर्ती भुगतान।
---------------------	--

3.3.5 लेखापरीक्षा के समक्ष बाध्यताएं

लेखापरीक्षा निष्कर्ष ट्रस्ट निधियों के वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं के नियोजन एवं चयन तथा निधियों की निगरानी आदि में पाई गई कमियों तक सीमित हैं। लेखापरीक्षा को निधियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण अभिलेखों/सूचनाओं तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी, अतः व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा चूक/कमियों के वास्तविक कारणों की जाँच एवं उसे प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। हालाँकि, चयनित जिलों में पाए गए अधिनियम/नियम प्रावधानों के गैर-अनुपालन, जिन्हें अभिलेखों के पूर्ण समूह के अभाव में प्रमाणित नहीं किया जा सका, को चिह्नित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में बाधा डालने और कार्यक्षेत्र को सीमित करने वाले जो कारक हैं, वे निम्नानुसार हैं:

- लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के सचिव और खान निदेशक से मांगपत्रों और अनुस्मारकों (सितंबर 2021 और अप्रैल 2022 के मध्य) एवं सक्रिय अनुसरण के बावजूद विभाग ने डी.एम.एफ.टी. पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

(एस.एल.एम.सी.) के कामकाज (नीतिगत निर्णय, निर्देश, सुधारात्मक उपाय, अनुश्रवण आदि) के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की।

- लेखापरीक्षा ने राज्य के मुख्य सचिव (मु.स.) जो एस.एल.एम.सी. के अध्यक्ष भी हैं, से डी.एम.एफ.टी. निधियों को संभालने में एस.एल.एम.सी. द्वारा प्रतिपादित कार्यों तक पहुंच प्रदान करने हेतु मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया (अक्टूबर 2021)। हालाँकि छः माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसने लेखापरीक्षा अधिदेश को बाधित किया क्योंकि एस.एल.एम.सी. राज्य स्तर पर डी.एम.एफ.टी. को केंद्रीय रूप से संभालने के लिए स्थापित एकमात्र निकाय है। एस.एल.एम.सी. के अभिलेखों तक पहुंच से इनकार ने लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डी.एम.एफ.टी. के प्रबंधन में एस.एल.एम.सी. के प्रदर्शन की जाँच करने और प्रतिवेदित करने से रोका।

- डी.एम.एफ.टी. अंशदान और स्वामित्व की मासिक संग्रह प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए विभाग के सचिव और खान निदेशक से भी अनुरोध एवं स्मारित (अगस्त 2021 और अप्रैल 2022 के बीच) किया गया था। हालाँकि, सात महीने (19 अप्रैल 2022) से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा, डी.एम.एफ.टी. अंशदान के आरोपण की सत्यता और राज्य द्वारा एकत्र किए जा सकने वाले अतिरिक्त अंशदान, यदि डी.एम.एफ.टी. नियमों के प्रख्यापन में देरी नहीं हुई होती, का पता लगाने में सक्षम नहीं था।

- विभाग को बार-बार स्मारित करने के बावजूद, योजनाओं के चयन और प्राथमिकता या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली एवं अधिनियम/नियमों के अनुपालन के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। अभिलेखों का इस प्रकार से अप्रस्तुतिकरण उस आधार की जाँच को रोकता है जिस पर खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान किए बिना संसाधन आवंटित किया गया था।

- खान निदेशक ने झारखण्ड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली (जिम्स) पोर्टल के डेटा डंप के अलावा उपरोक्त सभी अभिलेख/आंकड़े/सूचना आदि (जो प्रस्तुत नहीं किए गए थे) प्रदान करने का आश्वासन दिया। हालाँकि, अभिलेख तब भी प्रस्तुत नहीं किए गए जब लेखापरीक्षा दल ने पुनः (नवंबर 2021-अप्रैल 2022 के बीच) खान निदेशक के कार्यालय का दौरा किया, जिन्होंने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि क्षेत्रीय कार्यालयों (जि.ख.कार्या.) से मांगी गई आंकड़े/सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। डेटा डंप के नाम पर, जि.ख.कार्यालयवार डी.एम.एफ.टी. अंशदान के दैनिक संग्रह की एक्सेल शीट वाली एक सीडी लेखापरीक्षा को भेजी गई थी (नवंबर 2021)। अंशदान के हिसाब की जानकारी, सीडी (एक्सेल शीट) में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा जिम्स में संग्रहित किए जा रहे डी.एम.एफ.टी. अंशदानों के संग्रहण और गणना की प्रणाली को सत्यापित नहीं किया जा सका। खान निदेशक को

सूचित किया गया (दिसंबर 2021) कि यह डेटा डंप नहीं था बल्कि बिना स्वामिस्व और देय डी.एम.एफ.टी. अंशदान की जानकारी की एक्सेल शीट थी। डेटा डंप प्रदान करने के लिए पुनः किये गए अनुरोध (अप्रैल 2022) का जवाब नहीं दिया गया (18 मई 2022)।

इस प्रकार, अंतर्गमन सम्मलेन में विभाग के सचिव द्वारा पूर्ण सहयोग के आश्वासन के बावजूद लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिक अभिलेखों तक पहुंच पर प्रतिबंध, खासकर जब लेखापरीक्षा की सभी प्रक्रियाओं और लेखापरीक्षा करने के लिए मानदंड अंतर्गमन सम्मलेन में बताया गया था और अभिलेख प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ राज्य सरकार के मु. स. को सूचित किया गया था, इस संबंध में अग्रेतर जाँच परिक्षण की आवश्यकता को इंगित करता है।

विभाग के सचिव ने उत्तर में (जून 2022) बताया कि प्रत्येक डी.एम.एफ.टी. के अंशदान की प्राप्तियों का वर्षवार विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा दल को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

सचिव का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि विभाग ने डी.एम.एफ.टी. अंशदान की मासिक संग्रह प्रतिवेदन, एस.एल.एम.सी. के बैठकों की कार्यवाही, जिम्स पोर्टल के डेटा डंप, योजनाओं के चयन और प्राथमिकता के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान से संबंधित सूचना/अभिलेख प्रदान नहीं की।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.3.6 निधि का संग्रहण और वित्तीय प्रबंधन

झा.डी.एम.एफ.टी. नियमावली, 2016 के नियम 6 के प्रावधानों के तहत, प्र.स. पट्टेदारों/अनुज्ञप्ति धारकों/परमिट धारकों/नीलामीधारकों से निर्धारित दर पर निधि की वसूली के लिए जिम्मेदार है। आगे नियम निर्दिष्ट करता है कि अंशदान के भुगतान का तरीका बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा।

3.3.6.1 डी.एम.एफ.टी. निधि का संग्रहण और लेखांकन

खान निदेशक द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार 2015-21 के दौरान पट्टाधारकों/संवेदकों से डी.एम.एफ.टी. निधियों का कुल संग्रहण ₹ 6,855.81 करोड़ था। खान निदेशक ने यह भी सूचित किया (अप्रैल 2022) कि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹ 5,163.96 करोड़ (75.32 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से ₹ 3,000.74 करोड़ (43.77 प्रतिशत) 2015-21 के दौरान व्यय किए गए थे। डी.एम.एफ.टी. निधियों का वर्ष-वार संग्रहण तालिका-3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.5

डी.एम.एफ.टी. निधि का संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल डी.एम.एफ.टी. संग्रहण
2015-16	433.98
2016-17	1,332.37
2017-18	904.89
2018-19	1,364.87
2019-20	1,481.45
2020-21	1,338.25
कुल	6,855.81

स्रोत : निदेशक खान

- नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में, 2015-21 के दौरान पट्टाधारकों/संवेदकों से डी.एम.एफ.टी. निधियों का कुल संग्रहण (जैसा कि खान निदेशक की लेखों में दर्ज है) ₹ 3,619.48 करोड़ था। हालाँकि, नमूना- जाँच किए गए उपायुक्तों की नेतृत्व वाले डी.एम.एफ.टी. कार्यालयों ने इसी अवधि के दौरान डी.एम.एफ.टी. का कुल संग्रहण ₹ 3,537.40 करोड़ दर्ज किया था। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जाँच किए गए डी.एम.एफ.टी. कार्यालयों द्वारा संधारित संग्रहण विवरणी (बैंक विवरणी और लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन) के साथ खान निदेशक द्वारा संधारित अभिलेखों की तिर्यक-जाँच में इन विसंगतियों को देखा गया। नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में, 2015-21 के दौरान, निधियों के संग्रहण में असमानता, तालिका-3.6 में दर्शाया गया है-

तालिका-3.6

खान निदेशक और बैंक विवरणी के आंकड़ों की तुलना

(₹ करोड़ में)

जिला	2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान		
	बैंक विवरणी के अनुसार डी.एम.एफ.टी. कार्यालय का डी.एम.एफ.टी. संग्रहण	खान निदेशक के अनुसार डी.एम.एफ.टी. संग्रहण	अंतर
बोकारो	583.55	613.58	-30.03
चतरा	788.09	849.37	-61.28
धनबाद	1740.41	1,724.95	15.46
हजारीबाग	306.88	312.25	-5.37
लोहरदगा	23.67	22.28	1.39
राँची	94.80	97.05	-2.25
कुल	3,537.40	3,619.48	-82.08

स्रोत: खान निदेशक और संबंधित डी.एम.एफ.टी. के बैंक खाते और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, वास्तविक संग्रह के आंकड़ों और खान निदेशक द्वारा दर्ज आंकड़ों के बीच असमानता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने अक्टूबर

2021 में इसे चिन्हित किया था किन्तु विभाग ने, 2015-21 की अवधि के लिए डी.एम.एफ.टी. संग्रहण के उक्त अभिलेखों के दो सेटों के मिलान कर लिये जाने के बारे में सूचित नहीं किया था (27 मई 2022)।

• लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोयला, लिग्नाइट और रेत (भंडारण के लिए) के अलावा अन्य बृहत् खनिजों के लिए डी.एम.एफ.टी. अंशदान का उदग्रहण 17 सितंबर 2015 से, कोयला, लिग्नाइट और रेत (भंडारण के लिए) के लिए 20 अक्टूबर 2015 से और लघु खनिजों के लिए 13 जनवरी 2017 से प्रभावी था। चूंकि विभाग ने 2015-17 की अवधि के लिए स्वामिस्व और डी.एम.एफ.टी. अंशदान की मासिक संग्रहण प्रतिवेदन प्रदान नहीं की, अतः 2015-17 की अवधि के लिए डी.एम.एफ.टी. अंशदान का उदग्रहण हेतु विभिन्न कट ऑफ तिथियों के मद्देनजर स्वामिस्व संग्रह की तुलना में डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रहण का विश्लेषण लेखापरीक्षा नहीं कर सका। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने राज्य एवं नमूना जाँचित छः डी.एम.एफ.टी. में, 2017-21 की अवधि के लिए, स्वामिस्व संग्रहण के मुकाबले डी.एम.एफ.टी. अंशदान और संग्रहण का तुलनात्मक विश्लेषण किया। निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है:

➤ राज्य में डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रहण की स्थिति जैसा तालिका-3.7 में दर्शाई गई है।

तालिका-3.7

खान निदेशक के आंकड़ों और संग्रहित स्वामिस्व के आधार पर देय अंशदान की तुलना

(₹ करोड़ में)

अवधि	संग्रहित स्वामिस्व	स्वामिस्व पर 30 प्रतिशत ⁶ की दर से देय डी.एम.एफ.टी. अंशदान	खान निदेशक के अनुसार संग्रहित डी.एम.एफ.टी. अंशदान	अंतर
2017-18	4,902.50	1,470.75	904.89	565.86
2018-19	5,411.48	1,623.44	1,364.87	258.57
2019-20	4,874.08	1,462.22	1,481.45	-19.23
2020-21	4,676.74	1,403.02	1,338.25	64.77
कुल	19,864.80	5,959.43	5,089.46	869.97

स्रोत - निदेशक खान

खान निदेशक के द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों की तुलना में, डी.एम.एफ.टी. के अंशदान के संग्रह में ₹ 869.97 करोड़ की कमी थी। राज्य में स्वामिस्व के माह-वार संग्रह तथा तदनुरूप डी.एम.एफ.टी. संग्रहण के आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा, राज्य में स्वामिस्व संग्रहण के विरुद्ध आरोपणीय डी.एम.एफ.टी. अंशदान की गणना एवं टिप्पणी नहीं कर सका।

⁶ आरोपणीय डी.एम.एफ.टी. योगदान की गणना के लिए 30 प्रतिशत की दर लागू की गई है, क्योंकि यह दर 6 नमूना-जाँच किए गए जिलों में सभी मामलों में लागू थी।

अतः, विभाग को राज्य में संग्रहित स्वामिस्व के आंकड़ों को संकलित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, डी.एम.एफ.टी. अंशदान की गणना करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उदग्रहण एवं संग्रहण किया जाय।

➤ नमूना- जाँच किए गए छः डी.एम.एफ.टी. में, लेखापरीक्षा ने संग्रहित स्वामिस्व के आंकड़ों के आधार पर देय डी.एम.एफ.टी. अंशदान, बैंक विवरणी के अनुसार डी.एम.एफ.टी. के संग्रहण और खान निदेशक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना की। आंकड़ों में असमानता तालिका-3.8 में दिखाया गया है।

तालिका-3.8

संग्रहित स्वामिस्व के आधार पर देय अंशदान और बैंक विवरणी के साथ खान निदेशक के आंकड़ों की तुलना

(₹ करोड़ में)

जिला	खान निदेशक के अनुसार संग्रहित स्वामिस्व (वर्ष 2017-21 के दौरान)	स्वामिस्व के 30 प्रतिशत की दर से देय डी.एम.एफ.टी. का अंशदान	बैंक विवरणी के अनुसार डी.एम.एफ.टी. अंशदान	खान निदेशक के अनुसार संग्रहित डी.एम.एफ.टी. अंशदान
बोकारो	1,473.51	442.05	401.44	432.04
चतरा	1,983.96	595.19	528.15	586.65
धनबाद	4,805.07	1,441.52	1,388.37	1,219.99
हजारीबाग	973.71	292.11	256.56	261.93
लोहरदगा	113.44	34.03	17.60	16.63
राँची	304.65	91.40	70.93	73.11
कुल	9,654.34	2,896.30	2,663.05	2,590.35

स्रोत: निदेशक खान एवं सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. के बैंक विवरणी

₹ 2,896.30 करोड़ के उदग्रहणीय अंशदान के विरुद्ध बैंक विवरणी के अनुसार वास्तविक संग्रहण केवल ₹ 2,663.05 करोड़ था। परिणामस्वरूप, ₹ 233.25 करोड़ का कम आरोपण हुआ। इसके अलावा, खान निदेशक ने केवल ₹ 2,590.35 करोड़ का संग्रह दर्ज किया था, जो संबंधित जिलों के देय डी.एम.डफ.टी. अंशदान (संग्रहीत स्वामिस्व का 30 प्रतिशत) की तुलना में ₹ 305.95 करोड़ कम था। इस भिन्नता को समाशोधित करने की आवश्यकता है।

• नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में, विभिन्न स्तरों पर प्रतिवेदित किए गए संग्रह और स्वामिस्व के आधार पर देय डी.एम.एफ.टी. में अंतर का आगे विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा ने 2015-21 की अवधि के लिए स्वामिस्व और डी.एम.एफ.टी. संग्रह के संबंध में खनिज-वार, आदाता-वार और वर्ष-वार आंकड़ों की मांग की।

जवाब में, जिला खनन कार्यालय (जि.ख.कार्या.), चतरा और हजारीबाग ने 2016-21 के लिए आंकड़े प्रस्तुत किये, जबकि अन्य चार जि.ख.कार्या. ने अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये। लेखापरीक्षा ने इन दो जि.ख.कार्या. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को

संबंधित डी.एम.एफ.टी. के बैंक खाते और खान निदेशक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से मिलान किया जैसा तालिका-3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.9

खान निदेशक, जि.ख.कार्या. और बैंक विवरणी के आंकड़ों की तुलना

(₹ करोड़ में)

जिला	वर्ष	बैंक विवरणी के अनुसार डी.एम.एफ. का संग्रहण	ज़ि.ख.कार्या. के अनुसार डी.एम.एफ. का संग्रहण	खान निदेशक के अनुसार डी.एम.एफ. का संग्रहण
चतरा	2016-17	259.94	252.87	262.71
	2017-18	130.90	129.60	142.43
	2018-19	139.31	144.91	155.03
	2019-20	118.51	111.45	135.00
	2020-21	139.43	135.93	154.20
योग		788.09	774.76	849.37
हजारीबाग	2016-17	50.32	50.32	50.32
	2017-18	40.00	40.48	40.48
	2018-19	70.23	70.20	70.23
	2019-20	76.12	80.42	79.59
	2020-21	70.21	71.44	71.63
योग		306.88	312.88	312.25
कुल योग		1,094.97	1,087.64	1,161.62

स्रोत- खान निदेशक के अभिलेख, सम्बंधित जि.ख.कार्या. एवं सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. के बैंक विवरणी।

जि.ख.कार्या. चतरा एवं हजारीबाग के खनिज-वार, आदाता-वार तथा वर्ष-वार आँकड़ों की डी.एम.एफ.टी. के बैंक विवरणियों तथा खान निदेशक द्वारा प्रतिवेदित आँकड़ों से तुलना करने पर यह पाया गया कि दोनों डी.एम.एफ.टी. द्वारा खान निदेशक के आँकड़ों की तुलना में कम संग्रहण दर्शाया गया जबकि डी.एम.एफ.टी., चतरा ने जि.ख.कार्या. के आँकड़ों से अधिक संग्रह दर्ज किया और डी.एम.एफ.टी., हजारीबाग ने जि.ख.कार्या. के आँकड़ों से कम संग्रह दर्ज किया। अक्टूबर 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए इन विसंगतियों का समाशोधन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त दो जिलों को छोड़कर, खनिज-वार, आदाता-वार और वर्ष-वार, डी.एम.एफ.टी. अंशदान की मांग, संग्रहण और शेष की निगरानी के लिए प्रबंधकीय समिति द्वारा अभिलेखों को संधारित नहीं किया गया था। स्वामिस्व एवं डी.एम.एफ.टी. अंशदान पर आंकड़े/अभिलेखों के आदान-प्रदान के संबंध में डी.एम.एफ.टी. एवं जिला खनन कार्यालयों के बीच समन्वय का अभाव था। विभाग को इन अभिलेखों के रखरखाव नहीं करने के कारणों की जाँच करने, दोषी

अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

- नमूना-जाँच किए गए जिला खनन कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने राज्य में सभी पट्टों/अनुज्ञप्तियों/खनिजों/खनन कार्यों के प्रशासन के लिए झारखण्ड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली (जिम्स) नामक एक आईटी सक्षम प्रणाली की शुरुआत की है। इसके अलावा, जिम्स किराए, स्वामिस्व, शुल्क आदि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, और इन भुगतानों से संबंधित आँकड़ों को जिम्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जा रहा था। प्रारंभ में, इस तरह के भुगतान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से स्वीकार किया जा रहा था लेकिन बाद में स्वामिस्व का भुगतान ऑनलाइन मोड तक सीमित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने डी.एम.एफ.टी. के बैंक विवरण से देखा कि डी.एम.एफ.टी. अंशदान तीन माध्यमों से संबंधित बैंक खाते में जमा किया जा रहा था:

- जनवरी 2017 के पश्चात से जिम्स के पेमेंट गेटवे के माध्यम से;
- एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से; तथा
- नकदी के माध्यम से।

नमूना- जाँच किए गए जिलों में, लेखापरीक्षा ने 2017-20 के दौरान जिम्स में प्राप्त स्वामिस्व और डी.एम.एफ.टी. अंशदान के भुगतान के संबंध में आँकड़ों का विश्लेषण किया और स्वामिस्व के अनुपात में देय डी.एम.एफ.टी. अंशदान की राशि की तुलना जिम्स में प्राप्त डी.एम.एफ.टी. के वास्तविक भुगतान और बैंक विवरण (वास्तविक संग्रह) के अनुसार एकत्र की गई राशि से की, जैसा कि तालिका-3.10 में दिखाया गया है।

तालिका-3.10

स्वामिस्व के आधार पर देय डी.एम.एफ.टी. अंशदान के आँकड़ों की तुलना जिम्स में दर्ज आँकड़ों और बैंक विवरण में दर्शाए गए आँकड़ों से

(₹ करोड़ में)

अवधि	जिम्स के अनुसार स्वामिस्व का संग्रहण	स्वामिस्व 30 प्रतिशत की दर से देय डी.एम.एफ.टी. का अंशदान	जिम्स के अनुसार डी.एम.एफ.टी. का अंशदान का संग्रहण	बैंक विवरणी के अनुसार डी.एम.एफ.टी. का अंशदान का संग्रहण
2017-18	2,186.53	655.96	173.27	630.53
2018-19	2,642.86	792.86	653.11	635.02
2019-20	2,357.59	707.28	718.34	758.14

स्रोत- सम्बंधित जि.ख. कार्या. का जिम्स आंकड़े एवं सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. के बैंक खाते की विवरणी।

स्वामिस्व के आधार पर देय डी.एम.एफ.टी. अंशदान, जिम्स में प्राप्त डी.एम.एफ.टी. अंशदान और बैंक विवरण के अनुसार वास्तविक संग्रहित डी.एम.एफ.टी. अंशदान के

आंकड़ों में भिन्नता थी। विभाग को आंकड़ों के इस भिन्नता के कारणों की जाँच करने और इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

विभाग को जिम्मे की शुरुआत के बाद, तीन अलग-अलग तरीकों से डी.एम.एफ.टी. अंशदान जमा करने की अनुमति देने के बजाय डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रह के लिए आईटी सक्षम प्रणाली को एकल खिड़की के रूप में (उपयुक्त संशोधन करके, यदि आवश्यक हो) अनुमति देनी चाहिए थी।

- नमूना- जाँच किए गए छः में से चार जिलों में रोकड़ बही और बैंक विवरणी की जाँच से पता चला कि ₹ 55.29 लाख की राशि झा.डी.एम.एफ.टी. नियमावली, 2016 के नियम 6.3 का उल्लंघन कर बैंक ड्राफ्ट के बजाय नकद के माध्यम से एकत्र की गई थी जैसा तालिका-3.11 में विस्तृत है। इन नकद लेनदेनों में जिनसे ये राशि सम्बंधित थे उन जमाकर्ताओं के नाम और माहों का पता नहीं चल सका। इसके अलावा, जिस उद्देश्य के लिए उन्हें जमा किया गया था, उसका उल्लेख न तो रोकड़ बही में था और न ही बैंक विवरणी में था।

तालिका-3.11

नकद के माध्यम से जमा किया गया डी.एम.एफ.टी. अंशदान

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	अवधि	जमा की गई राशि
1	डी.एम.एफ.टी., चतरा	2019-21	17.85
2	डी.एम.एफ.टी., धनबाद	2016-21	9.82
3	डी.एम.एफ.टी., लोहरदगा	2016-20	24.50
4	डी.एम.एफ.टी., राँची	2019-20	3.12
कुल			55.29

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. का बैंक विवरणी

इस प्रकार, डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रहण और इसके लेखांकन ने इसकी सत्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया क्योंकि आंकड़ों के तीन सेटों को (खान निदेशक, जि.ख.कार्या. और डी.एम.एफ.टी. द्वारा) बिना किसी समाशोधन के बनाए गए थे। खान निदेशक, जो एस.एल.एम.सी. के सदस्य सचिव भी हैं और राज्य में डी.एम.एफ.टी. की समग्र अनुश्रवण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, ने डी.एम.एफ.टी. अंशदान के जो आंकड़े बताए वह डी.एम.एफ.टी. के बैंक विवरणी से मेल नहीं खाते। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद भी अंशदान के आँकड़ों का समाशोधन एक बार भी नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वामिस्व संग्रह और बैंक खातों के साथ डी.एम.एफ.टी. संग्रह के संग्रहण और समाशोधन की निगरानी के लिए एस.एल.एम.सी. द्वारा प्रतिवेदन /रिटर्न निर्धारित नहीं किए गए थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि आंकड़ों में असमानता डी.एम.एफ.टी. अंशदान के भुगतान के विभिन्न तरीकों के कारण था और आंकड़ों के समाधान किये जाने और डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रह के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित करने का आश्वासन दिया।

सारांश में:

- संग्रहित स्वामिस्व के आधार पर लगाए गए डी.एम.एफ.टी. अंशदान की सत्यता के संबंध में डी.एम.एफ.टी. और जि.ख.कार्या. के बीच कोई समन्वय नहीं था;
- डी.एम.एफ.टी. के बैंक खातों में प्रतिबिंबित डी.एम.एफ.टी. योगदान, जिला खनन कार्यालयों और खान निदेशक द्वारा संकलित आंकड़ों से मेल नहीं खाता था क्योंकि आंकड़ों के समाशोधन के लिए कोई तंत्र नहीं था; और
- इस तरह विभाग ने डी.एम.एफ.टी. अंशदान का आरोपण, उसके लेखांकन और डी.एम.एफ.टी. अंशदानों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

3.3.6.2 वार्षिक बजट

डी.एम.एफ.टी. विलेख वित्तीय वर्ष की शुरुआत से एक महीने पहले शासी समिति (शा.स.) द्वारा वार्षिक बजट को तैयार करने एवं उसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रावधानित करता है। प्रबंधकीय समिति (प्र.स.) वार्षिक बजट तैयार करने में शा.स. की मदद करता है। यदि किसी कारणवश, शा.स. निर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक योजना और बजट तैयार और अनुमोदित नहीं करता है, तो ट्रस्ट के अध्यक्ष (जिले के उपायुक्त) ट्रस्ट के वार्षिक कार्य योजना और बजट को तैयार और अनुमोदित करेंगे और जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अग्रेषित करेंगे।

पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देश प्रावधानित करता है कि ट्रस्ट निधि का कम से कम 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत गतिविधियों के लिए और 40 प्रतिशत तक अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2015-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए ₹3,537.40 करोड़ के कुल संग्रह में से ₹2,732.20 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। इनमें से ₹2,676.01 करोड़ (75.65 प्रतिशत) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं के लिए और ₹56.19 करोड़ (1.59 प्रतिशत) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये स्वीकृत किए गए थे जैसा कि तालिका-3.12 में दिखाया गया है।

तालिका-3.12
प्राथमिकता-वार स्वीकृति

(₹ करोड़ में)

डी.एम.एफ.टी. का नाम	कुल संग्रहण	'उच्च प्राथमिकता' वाले क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि	कुल संग्रहण पर प्रतिशतता	'अन्य प्राथमिकता' क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि	कुल संग्रह पर प्रतिशतता
बोकारो	583.55	494.05	84.66	18.38	3.15
चतरा	788.09	357.54	45.37	20.83	2.64
धनबाद	1,740.41	1,682.09	96.65	8.64	0.50
हजारीबाग	306.88	112.82	36.76	0.48	0.16
लोहरदगा	23.67	9.54	40.30	3.23	13.65
राँची	94.80	19.97	21.07	4.63	4.88
कुल	3,537.40	2,676.01	75.65	56.19	1.59

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. से प्राप्त आंकड़े

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला-

- नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में से चार⁷ में 'उच्च प्राथमिकता' वाले क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि, कुल संग्रहित राशि के 21.07 से 45.37 प्रतिशत के बीच थी। संसाधनों के कम प्रयोग के कारणों को न तो संचिकाओं में दर्ज किया गया था और न ही लेखापरीक्षा को बताया गया।
- नमूना- जाँच किए गए डी.एम.एफ.टी. में से किसी भी शा.स. ने पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। ट्रस्टों के अध्यक्ष (संबंधित जिलों के उपा.) ने भी वार्षिक बजट तैयार नहीं किया (हालाँकि शा.स. की विफलता पर ऐसा सुनिश्चित करना आवश्यक था) या डी.एम.एफ.टी. विलेख में प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार को प्रदान नहीं किया। जवाब में (मार्च और अक्टूबर 2021 के बीच) नमूना- जाँच किए गए डी.एम.एफ.टी. के उपा./उप.वि.आ. ने वार्षिक बजट तैयार न करना स्वीकार किया और चार (छः में से) डी.एम.एफ.टी. ने कहा कि इसे आगे से तैयार किया जाएगा। उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., हजारीबाग ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के निर्देश पर डी.एम.एफ.टी. निधि से खर्च किया गया है। हालाँकि, वार्षिक बजट तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन में विफलता के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी।
- राज्य के मुख्य सचिव और खान निदेशक (सदस्य सचिव के रूप में) की अध्यक्षता में एस.एल.एम.सी. विभाग के सचिव (अन्य सदस्यों के अलावा) के साथ

⁷ चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा एवं राँची।

राज्य में डी.एम.एफ.टी. की अनुश्रवण और समीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेखापरीक्षा ने एस.एल.एम.सी. द्वारा किए गए निधि की निगरानी और हस्तक्षेपों का विवरण सदस्य सचिव सह खान निदेशक, एस.एल.एम.सी. से मांगा (15 सितंबर 2021) जिसके बाद 23 सितंबर 2021 और 1 अक्टूबर 2021 के बीच अनुस्मारक दिए गए। आगे, मामले की सूचना विभाग के सचिव को भी दी गई (11 अक्टूबर 2021) जिसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को अनुस्मारक भेजा गया जिसकी एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को पृष्ठांकित की गई और 25 नवंबर 2021 और 4 अप्रैल 2022 को खान निदेशक को अनुस्मारक भेजा गया। हालाँकि, विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (26 मई 2022)। इस प्रकार विभाग, राज्य स्तर पर निधि की एस.एल.एम.सी. द्वारा निगरानी संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि जिलों को आवश्यक निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और सुधारात्मक उपाय अपनाए जायेंगे।

3.3.6.3 डी.एम.एफ.टी. नियमों का प्रख्यापन

भारत सरकार ने बृहत् खनिजों के पट्टा धारकों द्वारा भुगतान की जाने वाली डी.एम.एफ.टी. अंशदान की राशि निर्धारित (17 सितंबर 2015) की। राज्य सरकार ने डी.एम.एफ.टी. नियम, 2016 को प्रख्यापित (22 मार्च 2016) किया, लेकिन लघु खनिजों के पट्टा धारकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले डी.एम.एफ.टी. अंशदान की राशि को 13 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया अर्थात् भारत सरकार द्वारा खा.ख.वि.वि.अधिनियम में संशोधन (मार्च 2015) किये जाने के 21 महीने की देरी के बाद अधिसूचित किया। फलस्वरूप, लघु खनिजों के पट्टा धारकों से 21 महीनों (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 तक) के लिए कोई अंशदान एकत्र नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, इस अधिसूचना के 25 माह बीत जाने के बाद राज्य सरकार ने, संवेदकों, एजेंसियों या निजी कंपनियों से निर्माण कार्यों के दौरान उनके द्वारा लघु खनिजों के उपयोग पर स्वामिस्व की राशि पर डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रह के प्रावधान हेतु मार्च 2019 में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली में संशोधन किया।

खान निदेशक ने 2015 से 2020 की अवधि में माहवार स्वामिस्व संग्रहण, माँग (अगस्त 2021) किये जाने के बावजूद, प्रदान नहीं किया। अतएव, लेखापरीक्षा उस अतिरिक्त योगदान की गणना करने में असमर्थ थी जो राज्य द्वारा एकत्र किया जा सकता था, यदि डी.एम.एफ.टी. नियमों के प्रख्यापन में विलम्ब नहीं की गई होती।

नमूना- जाँच किए गए जिलों में लघु खनिजों और निर्माण अनुबंधों के संबंध में आरोपणीय डी.एम.एफ.टी. अंशदान, यदि सरकार ने अधिनियम (संशोधित) के प्रख्यापन के तुरंत बाद नियम प्रख्यापित किये होते, तालिका-3.13 में दिखाया गया है।

तालिका-3.13

डी.एम.एफ.टी. अंशदान का अवसर हानि

(₹ लाख में)

जिला का नाम	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 के दौरान लघु खनिजों के पट्टेधारियों से स्वामिस्व संग्रहण	स्वामिस्व के 30 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय डी.एम.एफ.टी.	फरवरी 2017 से मार्च 2019 के दौरान कार्य संवेदकों से संग्रहित स्वामिस्व	स्वामिस्व के 30 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय डी.एम.एफ.टी.	कुल उदग्रहणीय डी.एम.एफ.टी.
बोकारो	907.85	272.36	435.26	130.58	402.93
चतरा	618.24	185.47	1,011.27	308.38	488.85
धनबाद	686.80	206.04	1,679.04	503.71	709.75
हजारीबाग	393.59	118.08	1,525.28	457.58	575.66
लोहरदगा	105.33	31.60	820.78	246.23	277.83
राँची	988.79	296.64	6,419.58	1,925.87	2,222.51
कुल	3,700.60	1,110.18	11,891.21	3,567.36	4,677.54

स्रोत- निदेशक खान।

अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 के दौरान, लघु खनिजों के पट्टेधारियों से ₹ 37.01 करोड़ की स्वामिस्व एकत्र की गई और फरवरी 2017 से मार्च 2019 के दौरान चयनित जिलों में कार्य संवेदकों से ₹ 118.91 करोड़ की स्वामिस्व एकत्र की गई।

अगर राज्य सरकार ने खा.ख.वि.वि.अधिनियम, 2015 में धारा 9बी की प्रख्यापन के तुरंत बाद डी.एम.एफ.टी. नियम तैयार किए होते तो डी.एम.एफ.टी. योगदान के रूप में विभाग ₹ 11.10 करोड़ (लघु खनिजों के पट्टेधारियों से) और ₹ 35.68 करोड़ (संवेदकों से) की अतिरिक्त राशि संग्रहित कर सकता था। इस प्रकार, यदि डी.एम.एफ.टी. नियमों के प्रख्यापन में देरी नहीं की गई होती, तो राज्य छः नमूना जाँच किए गए जिलों में लघु खनिजों के पट्टेदारों और कार्य संवेदकों से डी.एम.एफ.टी. अंशदान के रूप में ₹ 46.78 करोड़ की अतिरिक्त राशि संग्रह कर सकता था। राज्य सरकार लघु खनिजों के पट्टा धारकों द्वारा भुगतान किये जाने वाले डी.एम.एफ.टी. अंशदान की दरों को अधिसूचित करने में विलम्ब के कारणों की जाँच करे तथा दोषी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

प्रत्युत्तर में विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

3.3.7 योजनाओं का नियोजन एवं चयन

निधि का प्राथमिक अधिदेश है: (i) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना (ii) खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान और बाद

में प्रतिकूल प्रभावों को कम करना/घटाना और (iii) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

झा.डी.एम.एफ.टी. नियमावली, 2016, ट्रस्ट विलेख और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देश प्रबंधन समिति द्वारा खनन संबंधी कार्यों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान किया जाना निर्धारित करते हैं। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार की जानी है और उसका रखरखाव किया जाना है।

पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए खान या खानों के समूह से दायरा निर्दिष्ट करेगी। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां खनन संबंधी कार्यों के कारण स्थानीय आबादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (भू.अ.पु.पु.उ.मु.पा.अ.) अधिनियम, 2013 की धारा 3 (सी) (प्रभावित परिवार⁸) और 3 (के) (विस्थापित परिवार) एवं संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से चिन्हित कोई अन्य प्रावधान के अधीन परिभाषित किया गया है।

खनन कार्यों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के लिए योजनाओं के चयन को निम्नलिखित प्रावधान नियंत्रित करते हैं:

(i) प्र.स. को, प्रभावित क्षेत्र की आबादी के अनुपात में, योजनाओं/परियोजनाओं के चयन के लिए संबंधित ग्राम सभा को निधि की मात्रा को परिचालित करना आवश्यक है।

(ii) ग्राम सभा प्राथमिकताएं निर्धारित कर गांव के लिए ट्रस्ट निधि द्वारा समर्थित विकासशील योजनाओं/कार्यों की पहचान करेगी।

(iii) उपलब्ध निधि के दायरे में, प्र.स. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम सभा को शामिल करते हुए तथा मुखिया/उप-मुखिया के साथ परामर्श करते हुए ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण के सिद्धांतों पर वार्षिक कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। स्वीकृति मिलने पर इन कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष में निष्पादित किया जाना है।

(iv) प्र.स. वार्षिक कार्य योजना शासी समिति को समीक्षा और अनुमोदन के लिए भेजेगी। प्र.स. वार्षिक कार्य योजना, एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद, योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करेगा, परियोजनाओं को मंजूरी देगा, इस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट निधि जारी और वितरित करेगा और ट्रस्ट निधि के उपयोगिता की प्रगति की निगरानी करेगा।

⁸ खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्ति जिनके पास खनन की जा रही भूमि पर कानूनी और व्यावसायिक अधिकार हैं, जिनमें भोगाधिकार और पारंपरिक अधिकार भी शामिल हैं।

(v) अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन से प्रभावित गांवों के लिए सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं और लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद किए गए कार्यों का प्रतिवेदन ग्राम-सभा को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(vi) ट्रस्ट अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं के साथ अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। एस.एल.एम.सी. डी.एम.एफ.टी./ पी.एम.के.के.के.वाई. के तहत चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

3.3.7.1 वार्षिक कार्य योजना

लेखापरीक्षा ने झा.डी.एम.एफ.टी. नियम, 2016, ट्रस्ट विलेख और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों से महत्वपूर्ण विचलन निम्नानुसार देखा:

(i) नमूना- जाँच किए गए किसी भी जिले ने किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी। इस संबंध में जिलों के उपायुक्तों (शा.स./प्र.स. के अध्यक्ष के रूप में) के प्रति न तो जवाबदेही तय की गई और न ही उनके विरुद्ध विचार किया गया।

(ii) नमूना- जाँच किए गए किसी भी जिले में ऐसे कोई अभिलेख या संचिका टिप्पणी नहीं थे जो यह दर्शाते हों कि संबंधित प्रबंधकीय समिति ने संबंधित ग्राम की जनसंख्या के अनुपातिक क्षेत्रवार निधि की मात्रा के संबंध में किसी भी ग्राम सभा को सूचित किया था। नमूना जाँच किए गए जिलों में भू.अ.पु.पु.उ.मु.पा.अ. अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों की सूची या किसी भी ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाये/परियोजनाएँ, यदि थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए।

(iii) नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में से तीन (बोकारो, धनबाद और राँची) में, संबंधित प्र.स. ने खनन कार्यों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों की पहचान नहीं की थी, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। इन जिलों ने खनन कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों की पहचान किए बिना 2016-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर ₹ 1,563.14 करोड़ व्यय किया जैसा कि तालिका-3.14 में दिखाया गया है।

तालिका-3.14

(₹ करोड़ में)

अवधि	जिला का नाम	डी.एम.एफ.टी. संग्रहण	चयनित योजनाओं की संख्या	व्यय
2016-21	बोकारो	583.55	57	413.47
	धनबाद	1,740.41	103	1,136.09
	राँची	94.80	171	13.58
कुल		2,418.76	331	1,563.14

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. से प्राप्त आंकड़े।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन जिलों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को उपायुक्तों द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित नहीं किया गया था। खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के अभाव तथा ग्राम सभा की गैर-भागीदारी में संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा अपने स्तर पर बिना विभाग को सूचित किये योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन अनियमित था एवं आगे जाँच की आवश्यकता को दर्शाता है।

(iv) अन्य तीन नमूना- जाँच किए गए जिलों (चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा) में, प्र.स. ने पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में जि.ख.कार्यो. और अंचल अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की थी। यह भी देखा गया कि डी.एम.एफ.टी., हजारीबाग ने केवल 2019-20 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की, हालाँकि, योजनाओं का चयन और क्रियान्वयन 2016-17 से किया गया था। पूछताछ पर उप.वि.आ.--सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., हजारीबाग ने बताया (जनवरी 2021) कि राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के निर्देश पर डी.एम.एफ.टी. निधि से व्यय किया गया था। तीन डी.एम.एफ.टी. ने 2016-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर ₹ 339.80 करोड़ का व्यय किया जैसा कि तालिका-3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.15

(₹ करोड़ में)

अवधि	जिला का नाम	डी.एम.एफ.टी. संग्रहण	चयनित योजनाओं की संख्या	व्यय
2016-21	चतरा	788.09	32	223.44
	हजारीबाग	306.88	143	106.34
	लोहरदगा	23.67	109	10.02
कुल		1,118.64	284	339.80

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. से प्राप्त आंकड़े।

(v) अनुसूचित क्षेत्रों (लोहरदगा और राँची) के अंतर्गत आने वाले डी.एम.एफ.टी. के मामले में, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सूची, साथ ही साथ लाभार्थियों की पहचान (ग्राम-सभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक) अभिलेख में नहीं पाए गए।

आगे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किए गए कार्यों के प्रतिवेदन भी अभिलेख में नहीं पाए गए।

(vi) लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने नमूना- जाँच किए गए किसी भी जिले में खनन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए खानों या खानों के समूहों से कोई दायरा निर्दिष्ट नहीं किया था। इस प्रकार, प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति की पहचान/अनियमित पहचान, क्षेत्रवार आनुपातिक निधि की मात्रा, ग्राम सभा द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के चयन/अनुमोदन के बिना और वार्षिक कार्य योजना तैयार किए बिना तथा डी.एम.एफ.टी. के निर्माण के उद्देश्य को विफल एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए डी.एम.एफ.टी. निधि से व्यय किया गया था।

(vii) हालाँकि जिला स्तर पर दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर और लगातार उल्लंघन हुआ था (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है), एस.एल.एम.सी. लेखापरीक्षा को कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका (हालाँकि सितंबर और अक्टूबर 2021 में माँगा गया था) कि उसने वार्षिक बजट तैयार करने, वार्षिक कार्य योजना, खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की पहचान, ग्राम सभा के परामर्श से योजनाओं का चयन और उनकी प्रगति की निगरानी, समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदन/विवरणी के माध्यम से एक तंत्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाया है जो डी.एम.एफ.टी. के स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक था। इससे डी.एम.एफ.टी. स्तर पर उपा./उप.वि.आ. द्वारा निधि के अधिनियम/नियमों के उल्लंघन के मार्ग को प्रशस्त किया।

उत्तर में, विभाग (जुलाई 2022) ने आश्वासन दिया कि खनन कार्यों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान के लिए तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे।

3.3.7.2 डी.एम.एफ.टी. निधि से योजनाओं एवं व्यय की स्वीकृति

पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देश और डी.एम.एफ.टी. नियमावली निर्धारित करते हैं कि:

(i) डी.एम.एफ.टी. निधि का कम से कम 60 प्रतिशत आठ प्रकार की सेवाओं के लिए उपयोग किया जाना है, जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्ध और दिव्यांग लोगों का कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता।

(ii) निधि के 40 प्रतिशत तक का उपयोग खनन जिले में भौतिक आधारभूत संरचनाएं, सिंचाई, ऊर्जा और वाटरशेड विकास और पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य उपायों से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाना है।

(iii) विकासशील और कल्याणकारी गतिविधियाँ जहाँ तक संभव हो, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित वर्तमान योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक की प्रकृति की होनी चाहिए।

(iv) डी.एम.एफ.टी. निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम-सभा द्वारा चयनित योजनाओं पर किया जाना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया गया हो।

(v) राशि, जो ट्रस्ट की वार्षिक प्राप्तियों के छः प्रतिशत से अधिक न हो, का उपयोग ट्रस्ट की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागत के लिए किया जा सकता है।

(vi) जहां तक संभव हो, कोई भी अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए। फाउंडेशन द्वारा अस्थायी/स्थायी पदों के सृजन और वाहन की खरीद के लिए राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। हालांकि, न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर लगाया जा सकता है।

3.3.7.3 विशिष्ट योजनाओं की विषम स्वीकृति

खान निदेशक ने प्रतिवेदित किया कि राज्य में वर्ष 2016-21 के दौरान कुल ₹ 6,855.81 करोड़ की निधि संग्रहण के विरुद्ध ₹ 4,444.05 करोड़ की राशि पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) की योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई थी जैसा कि तालिका-3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.16

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	कुल संग्रह	स्वीकृत राशि	संग्रह के विरुद्ध स्वीकृति की प्रतिशतता	व्यय की गई राशि
पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति	6,855.81	3983.07	58.10	2,309.24
आई.एच.एच.एल.		460.98	6.72	377.11
कुल	6,855.81	4,444.05	64.82	2,686.35

स्रोत- निदेशक खान द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा।

नमूना- जाँच किए गए जिलों में भी, योजनाओं की स्वीकृति अत्यधिक विषम थीं और ₹ 2,725.24 करोड़ की कुल स्वीकृति में से ₹ 2,560.44 करोड़ (कुल स्वीकृति का 93.95 प्रतिशत) की स्वीकृति जलापूर्ति और आई.एच.एच.एल. पर था जैसा कि तालिका-3.17 में दिखाया गया है।

तालिका-3.17

(₹ करोड़ में)

जिला का नाम	कुल डी.एम.एफ.टी. संग्रहण	विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि	पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए स्वीकृत राशि	आई.एच.ए च.एल. के लिए स्वीकृत राशि	जलापूर्ति एवं आई.एच.एच.एल. के लिए स्वीकृत कुल राशि	कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध प्रतिशतता
बोकारो	583.55	512.42	406.19	10.00	416.19	81.22
चतरा	788.09	378.37	271.16	69.91	341.07	90.14
धनबाद	1,740.41	1,690.74	1,561.35	117.95	1,679.30	99.32
हजारीबाग	306.88	106.34	94.08	10.85	104.93	98.67
लोहरदगा	23.67	12.77	8.79	0	8.79	68.83
राँची	94.80	24.60	7.20	2.96	10.16	41.30
कुल	3,537.40	2,725.24	2,348.77	211.67	2,560.44	93.95

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. द्वारा प्रस्तुत सूचना।

लेखापरीक्षा ने आगे, योजनाओं के संचिका, लेखापरीक्षा प्रश्नावली के उत्तर और संबंधित डी.एम.एफ.टी. द्वारा प्रस्तुत सूचना की संवीक्षा से देखा कि:

- अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में योजनाओं/परियोजनाओं का अनुमोदन/चयन ग्राम सभाओं द्वारा नहीं किया गया था।
- उपा. के साथ मुख्यमंत्री (अगस्त 2016) की बैठक एवं मुख्य सचिव द्वारा डी.एम.एफ.टी. (अक्टूबर 2016) पर समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त से यह देखा गया कि राज्य में पाईप द्वारा पेयजल और आई.एच.एच.एल. की योजनाओं का चयन योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश पर किये गए थे। मुख्य सचिव ने यह भी चिंता व्यक्त की (अक्टूबर 2016) कि विभाग ने डी.एम.एफ.टी. निधि से योजनाओं को लागू करने के लिए कोई उपाय नहीं किया था।
- 2016-21 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हुए आवश्यकता आधारित निर्धारण का कार्य नहीं किया गया था।

इस प्रकार, खनन सम्बंधित कार्यों से प्रभावित ग्राम सभाओं (लोगों) को योजनाओं के अनुमोदन/चयन में शामिल करने वाला परिकल्पित ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण विफल हो गया था। इसके स्थान पर, अधिनियम/ पी.एम.के.के.के.वाई. के विपरीत अधोमुखी दृष्टिकोण अपनाया गया था क्योंकि व्यय का बड़ा हिस्सा 'उच्च प्राथमिकता' वाले क्षेत्र के तहत चुनिंदा रूप से दो योजनाओं पर खर्च किया गया था, जिसका औचित्य दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में (जुलाई 2022) सरकार ने बताया कि जिलों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा।

3.3.7.4 पी.एम.के.के.के.वाई. के क्षेत्र से परे डी.एम.एफ.टी. से व्यय

नमूना- जाँच किए गए छः जिलों में से चार⁹ में, 2016-20 के दौरान पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के क्षेत्र से परे निष्पादित योजनाओं पर ₹ 9.02 करोड़ खर्च किया गया था जैसा कि तालिका-3.18 में दिखाया गया है।

तालिका-3.18

क्र. सं.	जिला का नाम	योजना/कार्य का नाम	योजना/कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1	बोकारो	ओपन जिम 24 सं.	1	1.08
2	चतरा	8 पुलिस थाने और एक पुलिस केंद्र में 9 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	1	1.15
3		नलकूप-(i) 2017-18 के दौरान किये गये सामान्य मरम्मत कार्य से संबंधित बकाया बिल के भुगतान हेतु (ii) 2018-19 के दौरान सामान्य मरम्मत और सुप्त इकाइयों को शुरू करने वाले कार्य।	1	4.25
4		18 लघु जलापूर्ति योजनाओं का जीर्णोद्धार	1	0.53
5		उपायुक्त कार्यालय भवन निर्माण	1	0.22
6		उपायुक्त कार्यालय में मीटिंग हॉल का निर्माण	1	0.25
7		उपायुक्त कार्यालय के लिए जनरेटर का क्रय	1	0.04
8		उपायुक्त कार्यालय की पहली मंजिल का जीर्णोद्धार	1	0.25
9		उपायुक्त कार्यालय में शौचालय एवं विश्राम गृह का निर्माण	1	0.09
10		उपायुक्त कार्यालय के मीटिंग हॉल के लिए फर्नीचर, साउंड सिस्टम आदि का क्रय	1	0.15
11	लोहरदगा	उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष का जीर्णोद्धार	1	0.15
12	राँची	मैकलुस्कीगंज में एक डाक बंगले का निर्माण	1	0.86
कुल			12	9.02

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. से प्राप्त आँकड़े/सूचनाएं।

इस प्रकार, इन योजनाओं/कार्यों का अनुमोदन और किया गया व्यय डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। इन्हें निम्नलिखित केस स्टडी में दिखाया गया है:

⁹ बोकारो, चतरा लोहरदगा एवं राँची।

केस स्टडी-1

जिला योजना कार्यालय, बोकारो ने बोकारो स्टील प्लांट आवासीय टाउनशिप, जो बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में है और बोकारो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र से परे है, के विभिन्न क्षेत्रों में ₹ 1.08 करोड़ की लागत से 24 ओपन जिम की संस्थापना के लिए निविदा (अक्टूबर 2019) को निष्पादित किया। जिम नवंबर 2019 और जनवरी 2020 के मध्य संस्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि उपा., बोकारो ने डी.एम.एफ.टी. निधि से उक्त कार्यों के भुगतान के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की थी (फरवरी 2020)। हालाँकि, डी.एम.एफ.टी. के अंतर्गत योजनाओं/परियोजनाओं के चयन और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही/अनुमोदन, जो कि एक पूर्व-आवश्यक शर्त थी, नहीं ली गई थी। ओपन जिम के संस्थापना का अनुमोदन स्वास्थ्य देखभाल के तहत दी गई थी लेकिन पी.एम.के.के.के.वाई. के तहत स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित कार्य के दायरे में ऐसी गतिविधि निर्दिष्ट नहीं है। इस प्रकार, उपा. बोकारो द्वारा अधिनियम/नियमों/पी.एम.के.के.के.वाई. प्रावधानों के विरुद्ध डी.एम.एफ.टी. निधि का दुरुपयोग किया गया था। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में डी.एम.एफ.टी. निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।



चित्र 1: बोकारो स्टील प्लांट टाउनशिप क्षेत्र के सेक्टर XII में ओपन जिम।

केस स्टडी-2

चतरा एवं लोहरदगा जिलों में उपायुक्त कार्यालय/कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के सात विभिन्न कार्यों से संबंधित उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कार्यों को क्रियान्वित किया गया और व्यय को 'प्रशासनिक व्यय' के रूप में दर्ज किया गया था। हालाँकि, उपा. कार्यालय/कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण, जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार प्रशासनिक व्यय की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार, डी.एम.एफ.टी. निधि से ऐसा व्यय करना प्रावधानों का घोर उल्लंघन था। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में डी.एम.एफ.टी. निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

केस स्टडी-3

डी.एम.एफ.टी., राँची में, मैकलुस्कीगंज में डाक-बंगले के निर्माण के लिए शासी परिषद द्वारा ₹ 85.86 लाख की राशि स्वीकृत (मई 2017) की गई थी। तदनुसार, यह कार्य जिला परिषद को प्रदान (मार्च 2018) किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह कार्य सितम्बर 2020 में पूर्ण किया गया था तथा व्यय को 'कौशल विकास एवं आजीविका' के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि, ऐसे निर्माण कार्य पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के अंतर्गत 'कौशल विकास और आजीविका' की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार, डी.एम.एफ.टी. निधि से ऐसा व्यय, डी.एम.एफ.टी. निधि के दुरुपयोग का एक मामला था, क्योंकि इस निधि को बनाने का उद्देश्य, ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा स्वयं ही इस तरह की गतिविधियों से विफल हो जाता है। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में डी.एम.एफ.टी. निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।



चित्र 2: डाकबंगला, मैकलुस्किगंज

केस स्टडी-4

डी.एम.एफ.टी., चतरा में पेयजल एवं स्वच्छता (पे. एवं स्व.) विभाग की 'मरम्मत एवं अनुरक्षण' से संबंधित दो योजनाओं हेतु 2017-19 के दौरान ₹ 4.78 करोड़, स्वीकृत किया गया था जिसमें से ₹ 4.52 करोड़ खर्च किए गए थे। नलकूपों एवं जलापूर्ति प्रणाली की 'मरम्मत एवं अनुरक्षण' राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित कोई चालू योजना/परियोजना नहीं थी। बल्कि, यह पे. एवं स्व. विभाग का एक नियमित एवं आवर्ती कार्य था जिसे पे.ज.स्व. विभाग के बजट से किया जाना था। आगे, डी.एम.एफ.टी., चतरा ने आठ पुलिस थानों एवं एक पुलिस केंद्र में नौ सार्वजनिक शौचालय के निर्माण से संबंधित ₹ 1.15 करोड़ की एक योजना की स्वीकृति दी थी। इस प्रकार, डी.एम.एफ.टी. के तहत इन योजनाओं की स्वीकृति, स्वीकार्य नहीं थी और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर थी। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में डी.एम.एफ.टी. निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

3.3.7.5 योजनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति

डी.एम.एफ.टी., बोकारो और चतरा में उपा./उप.वि.आ. द्वारा 2016-20 के दौरान चयनित 64 योजनाओं में से ₹ 247.08 करोड़ की लागत से निष्पादित नौ के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया था जैसा कि तालिका-3.19 में दिखाया गया है।

तालिका-3.19

जिला	योजना का नाम	योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
बोकारो	एक अल्ट्रा साऊण्ड मशीन का क्रय	1	0.19	घटनोत्तर स्वीकृति एवं आधिक्य भुगतान
	प्रत्येक 62 सरकारी विद्यालयों में एक स्मार्ट कक्षा का प्रावधान	1	0.98	घटनोत्तर स्वीकृति
	24 ओपन जिम	1	1.08	घटनोत्तर एवं दायरे से बाहर
चतरा	संपूर्ण टंडवा में पेयजल आपूर्ति	1	233.33	घटनोत्तर स्वीकृति
	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	9.31	घटनोत्तर स्वीकृति
	पुलिस थाना- 9 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	1	1.15	घटनोत्तर एवं दायरे से बाहर
	चार एम्बुलेंसों का क्रय	1	0.50	घटनोत्तर स्वीकृति
	धलकीगड़ा चेक डैम निर्माण	1	0.51	
	50 प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय	1	0.03	
कुल		9	247.08	

स्रोत: संबंधित डी.एम.एफ.टी. से प्राप्त आँकड़ा/सूचना।

वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले डी.एम.एफ.टी. के लिए ग्राम सभाओं के समन्वय से वार्षिक कार्य योजना तैयार और अनुमोदन करना आवश्यक है। इस प्रकार, योजनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति, डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था।

3.3.7.6 डी.एम.एफ.टी. निधि से अधिक व्यय

- उपा. बोकारो ने सदर अस्पताल, बोकारो के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी (यू.एस.जी.) मशीन (कलर डॉपलर) की खरीद पर डी.एम.एफ.टी. निधि से व्यय की स्वीकृति (सितंबर 2018) दी और ₹ 18.48 लाख का व्यय (जुलाई 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सिविल-सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति ने L1 आपूर्तिकर्ता द्वारा तकनीकी योग्यता के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण के आधार पर L2 आपूर्तिकर्ता की बोली

जिसने L1 आपूर्तिकर्ता (₹ 18.48 लाख) की बोली के विरुद्ध ₹ 25.31 लाख की बोली लगाई थी को अनुमोदित (सितंबर 2018) किया। आपूर्ति आदेश L2 आपूर्तिकर्ता को दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे संचिका की जाँच से पाया कि L1 आपूर्तिकर्ता को जिला क्रय समिति द्वारा पूर्व में ही तकनीकी रूप से योग्य (जुलाई 2018) घोषित कर दिया गया था और उप.वि.आ. बोकारो ने संचिका में अंकित किया था कि तकनीकी योग्यता के संबंध में सभी दस्तावेज संचिका में उपलब्ध थे।

तत्पश्चात, जिला क्रय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2019) कि L1 आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई निविदा दर पर भुगतान किया जाएगा। कमियों को ठीक करने के लिए, ₹ 4.70 लाख की लागत वाला एक हिस्सा (4D कनवेक्स प्रोव जाँच 4.0-7 omhz) आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया ताकि L1 के मूल्य ₹ 18.48 लाख को पूरा किया जा सके। हालाँकि, L1 आपूर्तिकर्ता ने मशीन के लिए ₹ 18.48 लाख की कीमत उद्धृत की थी जिसमें इसके सभी परिधीय, संलग्नक और सहायक उपकरण शामिल थे। इसलिए, सिविल-सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, ने ₹ 4.70 लाख के एक महत्वपूर्ण घटक पर समझौता करके L1 मूल्य पर मशीन खरीदी।

कॉन्वेक्स प्रोब्स मुख्य रूप से उदर के स्कैन के लिए उनकी व्यापक गहराई और गहरी पैठ के कारण उपयोग में लाई जाती है। इस प्रोव के अभाव में, विश्वसनीय उदर स्कैन संभव नहीं हो सकता है।

इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण घटक के बिना ही, यूएसजी मशीन पर डी.एम.एफ.टी. निधि से ₹ 18.48 लाख व्यय किए गए।

इसे इंगित किये जाने पर उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., बोकारो ने कहा कि मामले की जाँच के बाद विस्तृत अनुपालन किया जाएगा।

- डी.एम.एफ.टी., धनबाद में डी.एम.एफ.टी. की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ₹ 86.51 लाख प्रति वर्ष की लागत से (पांच सदस्यों के कोर टीम के लिए पेशेवर शुल्क ₹ 54 लाख, प्रबंधन शुल्क ₹ 32.51 लाख (पेशेवर शुल्क का 60.20 प्रतिशत तथा माल और सेवा कर) एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) को 24 महीने के कार्यकाल के लिए काम पर (अगस्त 2019) रखा।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.), समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) और भुगतान फाइल की जाँच से पता चला कि अगस्त से अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 की अवधि के लिए पेशेवर शुल्क और प्रबंधन शुल्क के मद में पी.एम.यू. को ₹ 10.43 लाख का भुगतान किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पेशेवर शुल्क और प्रबंधन शुल्क की राशि की गणना की और पाया कि पी.एम.यू. सदस्यों के एकल योगदान देने की तिथि के आधार पर केवल ₹ 6.44 लाख भुगतान था। इस प्रकार ₹ 3.99 लाख

का आधिक्य भुगतान या तो पी.एम.यू. से या आधिक्य भुगतान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली योग्य है।

इसे इंगित किये जाने पर उप.वि.आ. सह सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., धनबाद ने उत्तर दिया कि मामले की जाँच के बाद विस्तृत अनुपालन किया जाएगा।

3.3.7.7 परिहार्य दायित्व का सृजन

उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., धनबाद ने डी.एम.एफ.टी. धनबाद के पी.एम.यू. के रूप में कार्य करने के लिए प्रति वर्ष ₹86.51 की वार्षिक दर से 24 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए मेसर्स अन्स्ट एंड यंग (EnY) एलएलपी, के साथ एक समझौता ज़ापन (एम.ओ.यू.) (अगस्त 2019) निष्पादित किया, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 24 महीने तक और आगे बढ़ाया जा सकता था। एमओयू में सभी यात्रा और अन्य लागतों के भुगतान, जेब खर्च (सलाहकारों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च) तथा 12 महीने की अवधि के बाद शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रावधान शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने मेसर्स EnY एलएलपी, की आर एफ पी और वित्तीय बोली की जाँच की, जिससे पता चला कि प्रस्तावित मूल्य नियता थी और अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की वृद्धि संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, वित्तीय बोली और आरएफपी की अवहेलना में, समझौता ज़ापन में, 12 महीने की अवधि के बाद शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान गलत था और वित्तीय नियमों में अधिदेशित वित्तीय औचित्य का घोर उल्लंघन था साथ ही, डी.एम.एफ.टी. प्रशासन की लापरवाही का सूचक था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., धनबाद ने अनुबंध अवधि के 12 महीने पूरे होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि (दिसंबर 2020) की मंजूरी दे दी थी। इसके परिणामस्वरूप, अन्य व्यय के साथ ही, ₹8.65 लाख प्रति माह की परिहार्य दायित्व हुई।

इसे इंगित किए जाने पर उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., धनबाद ने कहा कि मामले की जाँच के बाद विस्तृत अनुपालन किया जाएगा। विभाग को दोषी पदाधिकारियों के प्रति जवाबदेही तय करनी चाहिए और आरएफपी शर्तों से परे भुगतान बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

3.3.7.8 लंबित परियोजनाएं/योजनाएं

छ: नमूना- जाँच किए गए डी.एम.एफ.टी. में योजना संचिकाओं की जाँच से पता चला कि 2016-21 के दौरान विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों को 625 योजनाएं प्रदान की गईं, जिनमें से ₹2,269.48 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 133 योजनाएं पूर्णता की निर्धारित तिथि के बाद भी पूर्ण होने के लिए लंबित थीं जैसा कि तालिका-3.20 में दिखाया गया है।

तालिका-3.20

(₹ करोड़ में)

जिला	कार्यकारी एजेंसियों को प्रदान की गई योजनाओं की संख्या	हस्तांतरित राशि	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अनुमानित लागत	अपूर्ण योजना पर किया गया व्यय	पूर्णता तिथि से विलंब की सीमा (महीने)
बोकारो	57	413.48	24	356.09	263.75	1-16
चतरा	32	237.10	18	276.12	156.12	1-29
धनबाद	103	1,136.52	14	1,551.13	993.04	2-45
हजारीबाग	143	106.34	5	73.80	62.24	0-2
लोहरदगा	109	10.02	39	2.33	1.44	27-34
राँची	181	18.04	33	10.01	2.33	6-14
कुल	625	1,921.50	133	2,269.48	1,478.92	

स्रोत- सम्बंधित डी.एम.एफ.टी. द्वारा प्रस्तुत आकड़ें/सूचनाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,478.92 करोड़ उन योजनाओं पर खर्च किए गए थे जो निधियों की उपलब्धता के बावजूद पूर्ण होने की तिथि से एक महीने से तीन साल से अधिक समय तक अपूर्ण थीं।

इस ओर इंगित किये जाने पर उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., बोकारो ने कहा कि योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि जि.ख.कार्या., चतरा और उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी. धनबाद और राँची (मार्च और सितंबर 2021 के बीच) ने कहा कि मामले की जाँच के बाद विस्तृत अनुपालन किया जाएगा। उपायुक्त, लोहरदगा (मार्च 2021) ने बताया कि 2017-18 और 2019-20 के बीच स्वीकृत 97 योजनाओं में से 88 पूर्ण हो चुकी हैं और शेष नौ योजनाओं का कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। उप.वि.आ.-सह-सदस्य सचिव, डी.एम.एफ.टी., हजारीबाग ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2021)।

3.3.7.9 कार्यकारी एजेंसी के पास डी.एम.एफ.टी. निधि का जमा रहना

डी.एम.एफ.टी., धनबाद के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डी.एम.एफ.टी. धनबाद की प्रबंधकीय समिति ने सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित दो योजनाओं के लिए ₹ 33.90 लाख स्वीकृत (जून 2018) किया और ₹ 33.90 लाख कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया। दामोदर घाटी निगम द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी न करने के कारण यह कार्य रद्द (मार्च 2021) कर दिया गया। इसके अलावा, प्र.स. ने पेयजल से संबंधित चार योजनाओं के लिए ₹ 14.92 लाख

स्वीकृत (अक्टूबर 2018) किया और कार्यकारी एजेंसी को ₹ 7.46 लाख हस्तांतरित किया। हालाँकि, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजनाओं को रद्द (जुलाई 2019) कर दिया गया।

यद्यपि कार्यकारी एजेंसियों को डी.एम.एफ.टी. को राशि वापस करने के लिए निर्देशित (जुलाई 2019 और मार्च 2021) किया गया था, दिसंबर 2021 तक राशि वापस नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबंधकीय समिति ने कार्यकारी एजेंसी को इन दो वर्षों के दौरान राशि वापस करने के लिए स्मरण नहीं कराया था।

विभाग उपरोक्त मामलों की जाँच करने और कार्यवाही करने के लिए सहमत हुआ (जुलाई 2022)।

3.3.8 अनुश्रवण तंत्र

अनुश्रवण तंत्र का उद्देश्य अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और विभागीय निर्देशों के उचित प्रवर्तन का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करना है। ये अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने में भी मदद करते हैं। एक कुशल अनुश्रवण तंत्र, निधि के त्वरित और कुशल उपयोग के लिए विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधन सूचना प्रणाली के निर्माण में भी सहायता करता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि एक उचित अनुश्रवण तंत्र संरचना की स्थापना, समीक्षा की जाए और इसे प्रभावी बनाए रखने के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहे। लेखापरीक्षा ने डी.एम.एफ.टी. निधियों की अनुश्रवण में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखीं:

3.3.8.1 शीर्ष और जमीनी स्तर पर अनुश्रवण

- सरकार ने एस.एल.एम.सी. के गठन को अधिसूचित किया लेकिन डी.एम.एफ.टी. के कार्यों की अनुश्रवण और समीक्षा के लिए कोई तंत्र या एस.एल.एम.सी. की भूमिका और जिम्मेदारी निर्दिष्ट नहीं की। विभाग कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सका कि एस.एल.एम.सी. ने कभी भी निधियों, योजनाओं/कार्यों की निगरानी या जिलों द्वारा निधि से किए गए प्रशासनिक व्यय की समीक्षा की थी (कंडिकाएँ 3.3.5 और 3.3.6.2)।
- एस.एल.एम.सी. ने झा.डी.एम.एफ.टी. नियमावली, 2016, ट्रस्ट विलेख और पी.एम.के.के.के.वाई. के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को जिलों में योजनाओं के चयन और व्यय करने के मामलों में (कंडिका 3.3.7.1) लागू नहीं किया। ऐसा कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया जो यह दर्शाता हो कि एस.एल.एम.सी. ने संग्रह की निगरानी, जि.ख.कार्या., खान निदेशक और बैंक खातों में प्रतिवेदित संग्रहण के आंकड़ों के बीच विसंगति का समाशोधन, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग और क्षेत्रों की पहचान, योजनाओं के चयन, वार्षिक बजट तैयार करने, वार्षिक कार्य योजना, योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति आदि हेतु आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी या निरीक्षण निर्धारित किया गया था।

- डी.एम.एफ.टी. नियमावली में, जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी और अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए डी.एम.एफ.टी. द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं की क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम-सभाएं क्षेत्र के लिए योजनाओं की पहचान करेंगी, प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करेंगी, वार्षिक योजनाएं विकसित करेंगी और डी.एम.एफ.टी. के अंतर्गत योजनाओं/कार्यों की निगरानी करेंगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो एस.एल.एम.सी. और न ही उपायुक्तों ने नमूना जांचित जिलों में ग्राम सभाओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया। यह योजनाओं की पहचान, चयन और अनुश्रवण में ग्राम सभाओं की गैर-भागीदारी का मुख्य कारण हो सकता है।

उत्तर (जुलाई 2022) में विभाग ने कहा कि एस.एल.एम.सी. का गठन एक कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से किया गया था लेकिन डी.एम.एफ.टी. नियमावली में ऐसे अनुश्रवण तंत्र के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। हालाँकि, तथ्य यह है कि एस.एल.एम.सी. की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अनुश्रवण तंत्र में वार्षिक बजट और कार्य योजनाओं की गैर-तैयारी, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों का अनियमित चयन, जि.ख.कार्या. द्वारा प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों के साथ बैंक खाते के संग्रहित आंकड़ों का असमाशोधन और योजनाओं के चयन में ग्राम-सभाओं की गैर-भागीदारी जैसी कमियाँ हुईं।

3.3.8.2 वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी

डी.एम.एफ.टी. विलेख के साथ पढ़े गए पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रबंधकीय समिति वित्तीय वर्ष पूरा होने के 60 दिनों के भीतर ट्रस्ट की वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित खातों को तैयार करेगा और शा.स. के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पिछले वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 60 दिनों के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित खातों को अनुमोदित करने के लिए शा.स. जिम्मेदार है। इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन डी.एम.एफ.टी. द्वारा अनुमोदन की तारीख से एक महीने के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और इसे ट्रस्ट के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। आगे, प्रत्येक ट्रस्ट की वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जानी है।

लेखापरीक्षा ने देखा की, नमूना- जाँच किए गए छः डी.एम.एफ.टी. में से तीन¹⁰ की प्र.स. ने पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं की थी। एस.एल.एम.सी. द्वारा दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करने के लिए, की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं था। इससे राज्य विधानमंडल उन जिलों में डी.एम.एफ.टी. की गतिविधियों और उपलब्धियों, नियमों

¹⁰ बोकारो, हजारीबाग और राँची।

और दिशानिर्देशों के अनुपालन में विचलन और खनन कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को दी गई राहत के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से विफल रहा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि एस.एल.एम.सी. लक्षित लाभार्थियों के हित में अपने अधिदेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के मामले में डी.एम.एफ.टी. पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं थी।

उत्तर में (जून 2022), विभाग ने वार्षिक प्रतिवेदन तैयार न करने को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने डी.एम.एफ.टी. के उपा.-सह अध्यक्ष के साथ मुद्दों पर निरंतर अनुवर्तन किया था। विभाग ने यह भी बताया कि उपा. को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की स्थिति तथा विलम्ब या उसके तैयार न होने के कारणों की जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। हालाँकि, सच्चाई अब भी यही है कि अक्टूबर 2021 में सरकार प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भेजे जाने के आठ महीने बीत जाने के बाद भी उजागर किए गए मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.3.9 निष्कर्ष

यदि डी.एम.एफ.टी. नियमावली के प्रख्यापन में विलम्ब न किया गया होता तो राज्य सरकार छः नमूना जाँच किए गए जिलों में डी.एम.एफ.टी. अंशदान के रूप में ₹ 46.78 करोड़ की अतिरिक्त राशि संग्रह कर सकती थी।

डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रहण की प्रणाली और उसका लेखा-जोखा, आंकड़ों की सत्यता के बारे में कोई उचित आश्वासन नहीं दे सका। झा.डी.एम.एफ.टी. नियमावली, 2016 में जि.ख.कार्या. और डी.एम.एफ.टी. के बैंक खाते के माध्यम से डी.एम.एफ.टी. संग्रह के आवधिक समाशोधन के प्रावधान का भी अभाव था। विभाग ने स्वामिस्व संग्रहण, आरोप्य डी.एम.एफ.टी. अंशदान और अधिरोपित डी.एम.एफ.टी. के डेटा डंप तक लेखापरीक्षा के पहुंच से भी इंकार किया।

किसी भी नमूना डी.एम.एफ.टी. के उपा. ने झा.डी.एम.एफ.टी. नियम, 2016, ट्रस्ट विलेख और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट या वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

नमूना- जाँच किए गए छः डी.एम.एफ.टी. में से तीन¹¹ ने खनन कार्य से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों/खनन क्षेत्रों की पहचान किए बिना और संबंधित गांवों की ग्राम सभा को शामिल किए बिना 2016-21 के दौरान डी.एम.एफ.टी. निधि से ₹ 1,563.14 करोड़ का व्यय किया। शेष तीन¹² डी.एम.एफ.टी. ने पी.एम.के.के.के.वाई. के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए

¹¹ बोकारो, धनबाद और राँची।

¹² चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा।

जि.ख.पदा. और अंचल अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित खनन क्षेत्रों की अनियमित पहचान कर वर्ष 2016-21 के दौरान ₹ 339.80 करोड़ का व्यय किया।

कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश पर योजना लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य हेतु राज्य में 'उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र' के अंतर्गत अन्य सेवाओं और 'अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र' की उपेक्षा करते हुए ₹ 4,444.05 करोड़ (कुल संग्रह का 64.82 प्रतिशत) दो प्रकार के कार्यों, अर्थात् पाईप द्वारा पेय जल और आई.एच.एच.एल. के लिए स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों को राहत उपाय प्रदान करने के लिए डी.एम.एफ.टी. के उद्देश्यों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों में निर्धारित ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण के सिद्धांत के विरुद्ध व्यक्तिगत योजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

लेखापरीक्षा को एस.एल.एम.सी. के कार्यकलाप की जाँच करने और प्रतिवेदित करने के पहुँच से वंचित किया था। डी.एम.एफ.टी. द्वारा किए गए योजनाओं/कार्यों और प्रशासनिक व्यय की निगरानी और समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र उपस्थित नहीं था। विभाग ने योजना निर्माण, योजनाओं/लाभार्थियों की पहचान और डी.एम.एफ.टी. के अंतर्गत कार्य के क्रियान्वन में कमियों की पहचान हेतु संबंधित ग्राम सभा के साथ कोई समन्वय स्थापित नहीं किया।

उपा. (या तो ट्रस्ट या डी.एम.एफ.टी. प्र.स. के अध्यक्ष के रूप में) ने निधि की निगरानी के अभाव में नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन में पी.एम.के.के.के.वाई. के दायरे से बाहर ₹ 9.02 करोड़ की 12 योजनाओं/कार्यों को क्रियान्वित किया, ₹ 247.08 करोड़ की नौ योजनाओं/कार्यों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की, वार्षिक योजना तैयार किये बिना ₹ 8.69 लाख का आधिक्य/अनियमित व्यय किया और ₹ 8.65 लाख की परिहार्य देनदारियों का सृजन करते हुए समझौता ज्ञापन निष्पादित किया।

3.3.10 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार निधि के बैंक खातों में वास्तविक राशि के साथ खान निदेशक, डी.एम.एफ.टी./जि.ख.कार्या. द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के विभिन्न समूहों के आवधिक समाशोधन के लिए एक प्रणाली विकसित कर सकती है। खान निदेशक को स्वामिस्व और संबंधित डी.एम.एफ.टी. अंशदान (सभी पक्षों द्वारा) का संग्रह अनिवार्य रूप से राज्य के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में जिम्स पोर्टल में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकती है।

- राज्य सरकार को डी.एम.एफ.टी. नियमों के अंतर्गत खनन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र की पहचान के लिए खान या क्लस्टर से दायरा निर्दिष्ट करनी चाहिए। राज्य सरकार डी.एम.एफ.टी. निधि के प्रभारी उपा./उप.वि.आ. को नियमित रूप से वार्षिक बजट, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने, प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की पहचान करने, झा.डी.एम.एफ.टी. नियम, 2016 और ट्रस्ट विलेख और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देश में निर्धारित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करके ग्राम सभाओं को शामिल करने का निर्देश दे सकती है। सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए विभाग को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को डी.एम.एफ.टी. निधियों के अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया हो और लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध हो, जिलों द्वारा समय-समय पर प्रतिवेदन और विवरणियां विभाग को भेजी जाये और एस.एल.एम.सी. द्वारा डी.एम.एफ.टी. का आवधिक निरीक्षण किया जाये।
- राज्य सरकार उन दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जिन्होंने पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर योजनाओं/कार्यों का चयन किया और जो अधिक/अनियमित भुगतानों का पता लगाने में विफल रहे। राज्य सरकार को उन दोषी अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय करनी चाहिए जिन्होंने लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत करने से इनकार किया था।

अन्य अवलोकन/कंडिका

3.4 स्वामिस्व के गलत दर का अनुप्रयोग

अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ की स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत, खनन पट्टा धारक, पट्टे वाले क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज पर अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट समय के लिए प्रयुक्त दर पर स्वामिस्व भुगतान करेगा। सितंबर 2019 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, स्टोन बोल्डर पर स्वामिस्व की दर को संशोधित कर ₹ 132 प्रति घन मीटर और चिप्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टोन बोल्डर पर स्वामिस्व को संशोधित करके

₹ 250 प्रति घन मीटर किया गया था। अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार, बॉक्साइट पर स्वामिस्व की दर एल्युमिना और एल्यूमीनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए भेजे गए अयस्क में निहित एल्यूमीनियम धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज एल्यूमीनियम धातु मूल्य का शून्य दशमलव छः प्रतिशत है। साथ ही, खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(1) में प्रावधान है कि खनन पट्टे का प्रत्येक धारक अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य करेगा। इसके अलावा, झारखण्ड खनिज पारगमन चालान विनियमन, 2005 के नियम 4 के अनुसार पट्टाधारियों को खनन स्थल से खनिज / अयस्क हटाने से पूर्व नमूना और विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

- जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ एवं साहिबगंज (जनवरी और फरवरी 2021 के बीच) में पत्थर व्यवसायियों के अभिलेखों सहित 318 लघु खनिज पट्टाधारियों में से 63 के मासिक विवरणी एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि 27 पट्टाधारकों ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान व्यवसायियों को 48.19 लाख घन फीट स्टोन बोल्डर का प्रेषण किया और ₹ 132 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 1.80 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया। व्यवसायियों के अभिलेखों की आगे की जांच से पता चला कि बोल्डर का उपयोग स्टोन चिप्स बनाने के लिए किया गया था और इस तरह ₹ 250 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 3.41 करोड़ का स्वामिस्व देय था। विभाग स्टोन बोल्डर के उपयोग को सत्यापित करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

- जिला खनन कार्यालय, गुमला में वृहत खनिजों के 27 में से 16 पट्टाधारकों के मासिक प्रतिवेदन और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2020) में पता चला कि बॉक्साइट के तीन पट्टाधारकों ने जनवरी 2017 से जून 2018 के दौरान नमूना और विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये बगैर बॉक्साइट में निहित एल्यूमीनियम के अनुपात को खनन योजना में अनुमोदित स्तरों से कम करके 3.50 लाख मीट्रिक टन बॉक्साइट के प्रेषण पर ₹ 6.19 करोड़ की स्वामिस्व के बजाय ₹ 5.98 करोड़ का भुगतान किया था। विभाग ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा अनुमोदित खनन योजना के सत्यापन के बिना दाखिल की गई विवरणियों को भी स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.51 लाख की स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद (दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच), जि.ख.पदा., साहिबगंज, ने अगस्त 2021 में अवलोकन के तहत मांग का सृजन किया जबकि जि.ख.पदा., पाकुड़ ने कहा कि विभाग से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था (अक्टूबर 2019 और अगस्त 2020 के बीच)। जिला खनन पदाधिकारी, गुमला ने बताया (दिसम्बर 2020) कि विस्तृत जांच के बाद वसूली की जायेगी। आगे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामला जुलाई 2021 और मार्च 2022 के बीच सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

राँची

दिनांक: 15 अप्रैल 2024

(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 26 अप्रैल 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(कंडिका 2.3.7.1 में संदर्भित)
विभाग द्वारा परिकल्पित चयन तंत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वाणिज्य कर अंचल का नाम	दावे किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की संख्या	दावे किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि	सत्यापित मामलों की संख्या	सत्यापित ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि	सत्यापित नहीं की गई मामलों की संख्या	सत्यापित नहीं की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि
1	आदित्यपुर	204	44.92	54	17.77	150	27.15
2	बोकारो	278	88.90	140	88.47	138	0.43
3	चाईबासा	121	6.05	32	3.07	89	2.98
4	चिरकुंडा	82	1.98	36	1.64	46	0.34
5	देवघर	95	3.88	39	3.68	56	0.20
6	धनबाद	249	27.01	147	25.52	102	1.49
7	धनबाद नागरीय	143	10.67	60	10.12	83	0.55
8	दुमका	47	2.38	18	1.46	29	0.92
9	गिरिडीह	51	4.70	20	4.56	31	0.14
10	गोड्डा	33	0.42	1	0.01	32	0.41
11	गुमला	29	0.18	3	0.08	26	0.10
12	हजारीबाग	83	29.49	35	28.88	48	0.61
13	जमशेदपुर	258	32.99	153	12.80	105	20.19
14	जमशेदपुर नागरीय	94	28.38	36	11.01	58	17.37
15	झरिया	42	3.65	7	2.97	35	0.68
16	कतरास	45	2.40	8	1.13	37	1.27
17	कोडरमा	80	6.40	18	6.25	62	0.15
18	लोहरदगा	6	0.13	2	0.09	4	0.04
19	पाकुड़	33	0.39	33	0.39	0	0.00
20	पलामू	35	1.07	22	0.98	13	0.09
21	रामगढ़	70	6.80	57	4.72	13	2.08
22	राँची पूर्वी	96	2.63	12	0.39	84	2.24
23	राँची दक्षिणी	143	10.35	8	0.81	135	9.54
24	राँची विशेष	145	13.32	56	11.88	89	1.44
25	राँची पश्चिमी	196	28.39	71	24.57	125	3.82
26	साहिबगंज	32	1.27	25	1.22	7	0.05
27	सिंहभूम	132	5.65	23	3.78	109	1.87
28	तेनुघाट	23	0.73	23	0.73	0	0.00
कुल		2,845	365.13	1,139	268.98	1,706	96.15

परिशिष्ट-II

(कंडिका 2.3.7.3 में संदर्भित)

अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली पर अनुवर्ती कारवाई में अनियमिततायें

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	दावे की तालिका	समुचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत दावे की राशि	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	समुचित अधिकारी द्वारा उठाया गया कुल मांग	डी.आर.सी.- 07 जारी करने की तिथि	मांग के विरुद्ध भुगतान	मांग की वसूली नहीं होना
1	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXZV	श्री राम अलोईस एवं इंगोट्स प्राइवेट लिमिटेड	15-11-2017	66.14	5 (सी)	66.14	13.10	7.92	87.16	27-04-2018	0.00	87.16
2	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXZO	बालाजी स्टील प्रोसेसर	27-12-2017	10.08	5 (सी)	10.08	1.41	1.01	12.50	23-08-2018	8.20	4.30
3	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXZJ	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	19-09-2017	4,289.14	5 (सी), 6 (बी)	3,703 .90	418.90	370.39	4,493.19	05-04-2018	3,400.39	1,092.80
4	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXZZ	बालाजी इंटर इंटरप्राइजेज	27-12-2017	18.49	5 (सी)	18.49	3.33	1.85	23.67	29-09-2018	18.49	5.18
5	चाईबासा	20XXXXXXXXXXXXZQ	ब्रेथवेट बर्न एवं जेस्सोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	26-12-2017	11.56	5 (सी)	11.56	3.93	1.16	16.65	18-12-2018	0.00	16.65
6	धनबाद	20XXXXXXXXXXXXZ0	राणा इंटरप्राइजेज	17-11-2017	3.57	5 (सी)	3.57	0.47	3.57	7.61	19-10-2018	0.00	7.61
7	धनबाद	20XXXXXXXXXXXXZI	प्रथमेश मल्टीकोम प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2017	3.62	5 (सी)	3.62	0.38	3.62	7.62	09-10-2018	0.00	7.62
8	धनबाद	20XXXXXXXXXXXXZ8	राधाकृष्णा इंटरप्राइजेज	27-12-2017	9.38	5 (सी)	2.80	0.30	2.80	5.90	09-10-2018	0.00	5.90
9	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXZ4	शशिकांत गोपालका	27-12-2017	11.57	5 (सी)	11.57	1.62	1.15	14.34	08-10-2018	0.00	14.34
10	दुमका	20XXXXXXXXXXXXZK	सुमन मेडिकल हॉल	10-11-2017	3.02	5 (सी)	0. 09	0.02	0.10	0.21	03-11-2018	0.00	0.21
11	कोडरमा	20XXXXXXXXXXXXZA	जलवा बीडी कंपनी	27-11-2017	17.31	5 (सी)	17.31	3.11	4.33	24.75	12-10-2018	0.00	24.75
12	कोडरमा	20XXXXXXXXXXXXZN	लकी इंटरप्राइजेज	29-10-2017	9.40	5 (सी)	5.99	1.08	1.49	8.56	12-10-2018	0.00	8.56
13	कोडरमा	20XXXXXXXXXXXXZS	पुंज लोयड लिमिटेड	29-11-2017	60.90	5 (सी)	60.90	10.96	15.22	87.08	12-10-2018	3.36	83.72

परिशिष्ट-II

(कंडिका 2.3.7.3 में संदर्भित)

अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली पर अनुवर्ती कारवाई में अनियमिततायें

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	दावे की तालिका	समुचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत दावे की राशि	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	समुचित अधिकारी द्वारा उठाया गया कुल मांग	डी.आर.सी.- 07 जारी करने की तिथि	मांग के विरुद्ध भुगतान	मांग की वसूली नहीं होना
14	कोडरमा	20XXXXXXXXXXXXZP	तुलस्यान मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	27-08-2017	40.24	5 (सी)	1.52	0.28	0.38	2.18	12-10-2018	1.52	0.66
15	पाकुड़	20XXXXXXXXXXXXZP	लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स	30-11-2017	6.25	5 (सी), 7 (सी)	6.20	0.65	0.62	7.47	22-06-2018	6.20	1.27
16	रामगढ़	20XXXXXXXXXXXXZ9	दुर्गा इंटरप्राइजेज	27-12-2017	7.79	5 (सी), 7 (बी) 7 (सी)	7.79	0.15	0.78	8.72	25-09-2018	0.00	8.72
17	रामगढ़	20XXXXXXXXXXXXZC	एम.एम. इंटरप्राइजेज	27-12-2017	6.82	5 (सी), 7 (बी) 7 (सी)	6.82	0.11	0.68	7.61	25-09-2018	0.00	7.61
18	रामगढ़	20XXXXXXXXXXXXZZ	धनराशि विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2017	23.52	5 (सी)	23.52	0.19	2.35	26.06	12-07-2018	0.00	26.06
19	राँची पूर्वी	20XXXXXXXXXXXXZ0	निमबस पाईप्स लिमिटेड	18-11-2017	2.53	5 (सी), 6 (बी)	2.53	0.38	0.25	3.16	29-09-2018	0.00	3.16
कुल					4,601 .33		3,964 .40	460 .37	419.67	4,844 .44		3,438.16	1,406.28

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZ7	दीपक केबल्स (आई.)लिमिटेड	02-09-2017	59.92	59.92	59.92	0.00	59.92	941	37.07	5.99	102.98
2	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZX	लॉर्ड बालाजी मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्राइवेट लिमिटेड	01-09-2017	37.84	37.84	37.83	32.25	5.58	942	3.46	0.56	9.60
3	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZI	पी.एस.पी.एल. स्टील प्रोसेस्सर प्राइवेट लिमिटेड	13-11-2017	11.55	28.61	11.55	0.00	11.55	869	6.60	1.16	19.31
4	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZ3	बी.एम.डब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड	27-09-2017	15.26	15.62	15.26	7.57	7.69	916	4.63	0.77	13.09
5	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZM	हरि ओम & कंपनी	28-08-2017	8.05	8.05	8.05	6.70	1.35	946	0.84	0.13	2.32
6	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZS	ए .एम.आई. इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2017	159.84	159.84	159.84	145.80	14.04	826	7.62	1.40	23.06
7	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZ2	जूही इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	20-09-2017	31.42	11.08	11.08	8.91	2.17	923	1.32	0.22	3.71
8	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZI	अपेक्स ऑटो लिमिटेड	23-12-2017	51.76	51.76	51.76	38.34	13.42	829	7.31	1.34	22.07

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
9	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZY	ब्लू स्टार माल्टेबल प्राइवेट लिमिटेड	25-12-2017	427.26	439.97	427.26	380.21	47.05	827	25.58	4.70	77.33
10	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZP	ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड	09-11-2017	9.97	9.77	9.97	0.00	9.97	873	5.72	1.00	16.69
11	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZ9	रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड	27-12-2017	749.69	749.69	749.69	630.92	118.77	825	64.43	11.88	195.08
12	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZU	अग्रवाल मेटकोम प्राइवेट लिमिटेड	21-10-2017	16.14	16.19	16.14	14.89	1.25	892	0.73	0.12	2.10
13	बोकारो	20XXXXXXXXXXZD	एफ.एम. इंटरप्राइजेज	20-11-2017	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	862	0.62	0.11	1.82
14	बोकारो	20XXXXXXXXXXZM	माँ तारा स्टील	23-12-2017	27.24	28.02	27.24	25.69	1.55	829	0.84	0.15	2.54
15	बोकारो	20XXXXXXXXXXZQ	निशा इंटरप्राइजेज	23-12-2017	16.27	16.27	16.27	12.60	3.67	829	2.00	0.37	6.04
16	बोकारो	20XXXXXXXXXXZS	ईश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	15-11-2017	83.04	63.46	60.16	55.60	4.56	867	2.60	0.45	7.61
17	बोकारो	20XXXXXXXXXXZ0	उमा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	24-10-2017	237.43	245.20	237.43	174.58	62.85	889	36.74	6.29	105.88
18	बोकारो	20XXXXXXXXXXZE	रिधि शिधि इंटरप्राइजेज	26-08-2017	22.45	2.26	22.45	1.45	21.00	948	13.09	2.10	36.19
19	बोकारो	20XXXXXXXXXXZ5	सरजू उद्योग	26-10-2017	17.20	17.45	17.20	14.23	2.97	887	1.73	0.30	5.00

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
20	चिरकुंडा	20XXXXXXXXXXZK	माँ बिन्ध्याचल इंडियन उद्योग	27-12-2017	5.16	5.16	5.16	4.63	0.53	825	0.29	0.10	0.92
21	देवघर	20XXXXXXXXXXZF	अनमोल अग्री फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	15-12-2017	8.29	8.29	5.09	0.00	5.09	837	2.80	0.51	8.40
22	धनबाद	20XXXXXXXXXXZU	शिवशक्ति इंटरप्राइजेज	26-08-2017	6.76	6.76	6.76	4.62	2.14	948	1.33	0.21	3.68
23	धनबाद	20XXXXXXXXXXZD	आदित्य मल्टीकोम प्राइवेट लिमिटेड	24-08-2017	1.45	1.45	1.45	0.31	1.14	950	0.72	0.11	1.97
24	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZB	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	25-12-2017	114.48	202.14	114.48	101.34	13.14	827	7.15	1.31	21.60
25	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZY	तिरुपति अर्थ & प्रोजेक्ट्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	04-11-2017	50.68	50.68	42.82	41.20	1.62	878	0.94	0.16	2.72
26	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	रॉयल कोल इंडस्ट्रीज	28-08-2017	0.64	0.64	0.64	0.00	0.64	946	0.40	0.10	1.14

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
27	दुमका	20XXXXXXXXXXZL	दुमका किसान विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड	11-10-2017	5.25	5.25	5.25	5.04	0.21	902	0.13	0.10	0.44
28	गिरिडीह	20XXXXXXXXXXZW	श्री लंगटा बाबा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2017	44.67	44.67	44.67	0.00	44.67	826	24.26	4.47	73.40
29	हजारीबाग	20XXXXXXXXXXZH	बिजय कंक्रीट उद्योग	25-10-2017	6.28	0.27	6.28	0.27	6.01	888	3.51	0.60	10.12
30	हजारीबाग	20XXXXXXXXXXZP	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	27-12-2017	2,590.79	2,584.94	2,342.53	1,265.90	1,076.63	825	584.03	107.66	1,768.32
31	हजारीबाग	20XXXXXXXXXXZA	मीनाक्षी फ्यूल्स	29-08-2017	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	945	2.89	0.47	8.01
32	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZD	टी.आर.एफ. लिमिटेड	27-12-2017	154.59	154.59	154.59	122.80	31.79	825	17.25	3.18	52.22
33	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZG	टिमकेन इंडिया लिमिटेड	27-12-2017	86.40	102.33	86.40	74.42	11.98	825	6.50	1.20	19.68
34	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZ0	गणपति स्टील लिमिटेड	25-12-2017	61.39	61.49	61.38	55.52	5.86	827	3.19	0.59	9.64
35	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZQ	टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम लिमिटेड	26-12-2017	211.29	79.33	211.29	79.32	131.97	826	71.67	13.20	216.84

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
36	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZ8	श्री जगरनाथ इंटरप्राइजेज	27-12-2017	7.68	7.97	7.68	7.65	0.03	825	0.01	0.10	0.14
37	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXZO	टाटा स्टील लिमिटेड	27-12-2017	723.53	768.21	723.53	0.00	723.53	825	392.49	72.35	1,188.37
38	झरिया	20XXXXXXXXXXZY	जय माँ गायत्री इंटरप्राइजेज	01-11-2017	211.03	212.53	211.03	0.00	211.03	881	122.25	21.10	354.38
39	झरिया	20XXXXXXXXXXZ9	के.जी.एन. इंटरप्राइजेज	04-09-2017	30.98	11.77	11.77	0.00	11.77	939	7.27	1.18	20.22
40	झरिया	20XXXXXXXXXXZ9	बजट साइन्स	24-10-2017	2.19	2.19	2.19	0.00	2.19	889	1.28	0.22	3.69
41	झरिया	20XXXXXXXXXXZY	सुशी इन्फ्रा & माइनिंग लिमिटेड	15-09-2017	5.68	5.68	5.68	0.00	5.68	928	3.47	0.57	9.72
42	पाकुड़	20XXXXXXXXXXZH	बर्षा ऑटोमोबाइल्स	01-12-2017	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	851	0.35	0.10	1.09
43	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZ6	दयाल एलाय & स्टील कास्टिंग	26-12-2017	4.57	4.57	4.57	0.00	4.57	826	2.48	0.46	7.51
44	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZ9	तिरुपति इंटरप्राइजेज	25-08-2017	0.86	0.86	0.65	0.00	0.65	949	0.41	0.10	1.16
45	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZF	पवन ऑटोमोबाइल्स	27-12-2017	7.64	7.64	7.64	0.24	7.40	825	4.02	0.74	12.16

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
46	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZE	ब्लैक पर्ल स्टील & मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2017	43.45	43.49	43.45	12.30	31.15	825	16.89	3.11	51.15
47	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZJ	ॐ कोक इंडस्ट्रीज	25-12-2017	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	827	2.59	0.48	7.84
48	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZ7	श्री बालाजी कोल ट्रेडर्स लिमिटेड	30-11-2017	140.97	140.97	140.97	0.00	140.97	852	78.97	14.10	234.04
49	राँची पूर्वी	20XXXXXXXXXXZ4	तिरुपति टेक्निकल सर्विसेज	31-08-2017	3.08	3.07	3.08	2.32	0.76	943	0.47	0.10	1.33
50	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXZN	ऑरेंज बिज़नेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2017	38.13	11.13	11.13	10.76	0.37	825	0.20	0.10	0.67
51	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXZO	भिलाई केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	30-10-2017	35.38	35.38	35.38	35.33	0.05	883	0.02	0.10	0.17
52	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZT	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	27-12-2017	947.45	19.80	769.81	19.80	750.01	825	406.85	75.00	1,231.86
53	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZC	के. त्रिपाठी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड	26-12-2017	5.29	5.29	5.29	0.00	5.29	826	2.87	0.53	8.69
54	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZQ	कुमार इंटरप्राइजेज & कंपनी	25-12-2017	2.45	2.45	2.45	0.00	2.45	827	1.33	0.24	4.02

परिशिष्ट-III
(कंडिका 2.3.8.1 में संदर्भित)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	अंतिम मु.व.क. विवरणी में अग्रणीत आई.टी.सी.	समुचित अधिकारी द्वारा अग्रणीत अनुमत्य आई.टी.सी.	अग्रणीत किए जाने योग्य आई.टी.सी.	अतिरिक्त आई.टी.सी. अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि दिनों में 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
55	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZI	एल.आर.फेरो एलाय प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2017	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	825	3.41	0.63	10.32
56	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZA	नेक्सरा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2017	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	826	1.31	0.24	3.95
57	सिंहभूम	20XXXXXXXXXXZF	अदिति स्टील्स	23-12-2017	7.75	7.75	7.75	5.15	2.60	829	1.41	0.26	4.27
	कुल				7,568.39	6,559.74	7,041.77	3,398.66	3,643.11		2,000.34	364.82	6,008.27

परिशिष्ट-IV
(कंडिका 2.3.8.2 में संदर्भित)
अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल की तिथि	दावे की राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अनुमत्य राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	अयोग्य क्रेडिट का प्रकार	गलत आई.टी.सी. के दावे का अयोग्य	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50 (3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZ6	इन्फ्रा लक्ष्मी (जे.वी.)	30-10-2017	16.73	16.73	0.00	16.73	स्रोत पर कर की कटौती	16.73	883	9.72	1.67	28.12
2	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXZN	अनविल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2017	119.42	119.42	0.00	119.42	स्रोत पर कर की कटौती	119.42	829	65.10	11.94	196.46
3	बोकारो	20XXXXXXXXXXZM	एच.एन. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	24-08-2017	113.79	113.79	0.00	79.42	स्रोत पर कर की कटौती	79.42	950	49.62	7.94	136.98
4	बोकारो	20XXXXXXXXXXZB	भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	21-12-2017	173.70	173.70	0.00	22.40	स्रोत पर कर की कटौती	22.40	831	12.24	2.24	36.88
5	बोकारो	20XXXXXXXXXXZP	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	27-12-2017	2,167.81	2,167.81	0.00	2,167.81	जले हुये वस्तुएं या निर्माण के दौरान खपत	2,167.81	825	1,175.96	216.78	3,560.55
6	चिरकुंडा	20XXXXXXXXXXZ9	कनवर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2017	4.05	1.67	2.72	4.05	स्रोत पर कर की कटौती	1.33	825	0.72	0.13	2.18
7	देवघर	20XXXXXXXXXXZ8	सतीश कुमार	14-11-2017	2.69	2.69	0.00	2.69	स्रोत पर कर की कटौती	2.69	868	1.54	0.27	4.50
8	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZP	जे.के. ओमक्स राकोन जे.भी.	14-12-2017	197.47	197.47	0.00	95.15	स्रोत पर कर की कटौती	95.15	838	52.43	9.51	157.09
9	दुमका	20XXXXXXXXXXZQ	रॉयल इंफ्राकन्स्ट्रूक्चर्स लिमिटेड	17-10-2017	56.67	56.67	0.00	56.67	स्रोत पर कर की कटौती	56.67	896	33.39	5.66	95.72

परिशिष्ट-IV
(कंडिका 2.3.8.2 में संदर्भित)
अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल की तिथि	दावे की राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अनुमत्य राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	अयोग्य क्रेडिट का प्रकार	गलत आई.टी.सी. के दावे का अयोग्य	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50 (3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
10	गिरिडीह	20XXXXXXXXXXXXZO	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	27-12-2017	216.02	216.02	0.00	216.02	स्रोत पर कर की कटौती	216.02	825	117.18	21.60	354.80
11	गिरिडीह	20XXXXXXXXXXXXZ1	मानिक चन्द गुप्ता	30-08-2017	9.77	9.77	0.00	3.50	स्रोत पर कर की कटौती	3.50	944	2.17	0.35	6.02
12	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXZB	ए.बी.कंस्ट्रक्शन	04-10-2017	1.49	1.49	0.00	0.46	स्रोत पर कर की कटौती	0.46	909	0.28	0.10	0.84
13	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXZT	द्वारका एंजीकोन प्राइवेट लिमिटेड	03-11-2017	14.31	14.31	0.00	14.31	स्रोत पर कर की कटौती	14.32	879	8.27	1.43	24.02
14	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXZJ	ए.एस.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	24-10-2017	0.98	0.98	0.00	0.98	स्रोत पर कर की कटौती	0.98	889	0.57	0.10	1.65
15	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXXXZW	टेक्नो ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड	23-08-2017	23.50	23.50	0.00	16.49	स्रोत पर कर की कटौती	16.49	951	10.31	1.65	28.45
16	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXXXZ2	आई.एल. & एफ.एस. वाटर लिमिटेड	27-12-2017	51.72	51.72	0.00	51.72	स्रोत पर कर की कटौती	51.72	825	28.06	5.17	84.95
17	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXXXZY	जे.के.सरफेस कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	20-11-2017	14.42	13.30	1.12	12.25	स्रोत पर कर की कटौती	11.13	862	6.31	1.11	18.55
18	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXZS	एक्सेल इंटरप्राइजेज	27-10-2017	8.58	8.58	0.00	4.17	स्रोत पर कर की कटौती	4.17	886	2.43	0.42	7.02

परिशिष्ट-IV
(कंडिका 2.3.8.2 में संदर्भित)
अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल की तिथि	दावे की राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अनुमत्य राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	अयोग्य अयोग्य क्रेडिट का प्रकार	गलत आई.टी.सी. के दावे का अयोग्य	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50 (3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
19	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXZQ	यूनिटेक पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27-12-2017	31.73	31.73	0.00	31.73	स्रोत पर कर की कटौती	31.73	825	17.21	3.17	52.11
20	साहिबगंज	20XXXXXXXXXXXXZN	श्री राम इंटरप्राइजेज	26-12-2017	87.22	87.22	0.00	87.22	स्रोत पर कर की कटौती	87.22	826	47.37	8.72	143.31
21	सिंहभुम	20XXXXXXXXXXXXZE	क्यू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	24-10-2017	85.81	85.81	0.00	54.14	स्रोत पर कर की कटौती	54.14	889	31.65	5.41	91.20
22	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXXZ1	पहाड़पुर कुलिंग टावर्स लिमिटेड .	27-12-2017	60.38	60.38	0.00	60.38	स्रोत पर कर की कटौती	60.38	825	32.75	6.04	99.17
कुल					3,458.26	3,454.76	3.84	3,117.71		3,113.88		1,705.28	311.41	5,130.57

परिशिष्ट-V

(कंडिका 2.3.8.3 में संदर्भित)

पूँजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	दावे की राशि	अग्रणीत योग्य राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50 (3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	बोकारो	20XXXXXXXXXXZM	सुन्दरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	01-11-2017	0.68	0.00	0.68	881	0.39	0.10	1.17
2	बोकारो	20XXXXXXXXXXZQ	ई.एस.एल. स्टील लिमिटेड	27-12-2017	5.44	0.00	5.44	825	2.95	0.54	8.93
3	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZM	मूरत कंस्ट्रक्शन	27-12-2017	1.92	0.00	1.92	825	1.04	0.19	3.15
4	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXZO	टाटा स्टील लिमिटेड	27-12-2017	894.76	0.00	894.76	825	485.37	89.48	1,469.61
5	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZA	नेक्सरा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2017	0.46	0.00	0.46	826	0.25	0.10	0.81
कुल					903.26		903.26		490.00	90.41	1,483.67

परिशिष्ट -VI

(कंडिका 2.3.8.4 में संदर्भित)

स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	दावे की राशि	अग्रणीत करने योग्य राशि	समुचित अधिकारी द्वारा अनुमत्य राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73(9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	बोकारो	20XXXXXXXXXXZ0	उमा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	24-10-2017	76.33	0.00	76.33	76.33	889	44.62	7.63	128.58
2	पलामू	20XXXXXXXXXXZ4	राकेश कुमार	12-09-2017	0.67	0.00	0.67	0.67	931	0.41	0.10	1.18
3	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZQ	राजेंद्र ऑटो सेन्टर	28-12-2017	3.31	0.00	3.31	3.31	824	1.79	0.33	5.43
4	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZK	तोशिबा वाटर सोल्यूसन प्राइवेट लिमिटेड	18-12-2017	47.88	46.66	47.88	1.22	834	0.67	0.12	2.01
कुल					128.19	46.66	128.19	81.53		47.49	8.18	137.20

परिशिष्ट-VII

(कंडिका 2.3.8.5 में संदर्भित)

पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	दावे की राशि	अग्रणीत करने योग्य राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73(9)के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXXXXS	ए.एम.आई. इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	26-12-2017	0.50	0.00	0.50	826	0.27	0.10	0.87
2	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXXZQ	ई.एस.एल. स्टील लिमिटेड	27-12-2017	37.00	0.00	37.00	825	20.07	3.70	60.77
3	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXXZ7	ऑटोमोटिव अक्सल्स लिमिटेड	27-12-2017	3.40	0.00	3.40	825	1.84	0.34	5.58
4	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXXZQ	एस.आर.जी. आयरन & स्टील लिमिटेड	05-09-2017	13.17	0.00	13.17	938	8.12	1.32	22.62
5	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXXZQ	टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम लिमिटेड	26-12-2017	3.45	0.00	3.45	826	1.87	0.34	5.66
6	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXXXXZO	टाटा स्टील लिमिटेड	27-12-2017	6.23	0.00	6.23	825	3.38	0.62	10.23
7	रामगढ़	20XXXXXXXXXXXXXZQ	राजेन्द्र ऑटो सेंटर	28-12-2017	3.88	0.00	3.88	824	2.11	0.39	6.38
8	सिंहभूम	20XXXXXXXXXXXXXZF	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	26-12-2017	7.80	0.00	7.80	826	4.24	0.78	12.82
कुल					75.43		75.43		41.90	7.59	124.93

परिशिष्ट-VIII

(कंडिका 2.3.8.6 में संदर्भित)

प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	दावे की राशि	अग्रणीत करने योग्य राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50 (3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73(9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZW	ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड	27-12-2017	2.01	0.00	2.01	825	1.09	0.20	3.30
कुल					2.01		2.01		1.09	0.20	3.30

परिशिष्ट-IX

(कंडिका 2.3.8.7 में संदर्भित)

कार्य सविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	दावे की राशि	अग्रणीत करने के लिए योग्य राशि	अयोग्य क्रेडिट की राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50 (3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73 (9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	चाईबासा	20XXXXXXXXXXZ3	डी.के. घोष	25-08-2017	1.37	0.00	1.37	949	0.86	0.14	2.37
2	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZW	एल. एंड टी. लिमिटेड	19-12-2017	154.42	0.00	154.42	833	84.58	15.44	254.44
कुल					155.79		155.79		85.44	15.58	256.81

परिशिष्ट- X

(कंडिका 2.3.8.8 में संदर्भित)

अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण

(₹ हजार में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	दावे की तालिका	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की राशि	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की तिथि	गलत लाभ की अवधि (दिनों में)	ब्याज आरोपणीय	ब्याज आरोप्य	ब्याज का अल्पारोपण	अर्थदंड आरोपणीय	अर्थदंड आरोप्य	अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	कुल
1	बोकारो	20XXXXXXXXXX XZL	एस.आर.बिल्डर्स	02-10-17	154.34	5 सी	154.34	29-08-18	331	33.59	28.80	4.79	15.43	0.00	15.43	20.22
2	चाईबासा	20XXXXXXXXXX XZI	वी.एन.आर. लक्ष्मी वी.जे.	16-12-17	11,326.29	5 सी	11,326.29	19-06-19	550	4,096.08	0.00	4,096.08	1,132.63	0.00	1,132.63	5,228.71
3	चिरकुंडा	20XXXXXXXXXX XZK	रतन कोल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	27-12-17	743.87	5 सी	743.87	06-06-19	526	257.28	0.00	257.28	74.39	0.00	74.39	33167
4	चिरकुंडा	20XXXXXXXXXX XZY	आर.के.ट्रेडर्स	27-12-17	341.33	5 सी & 7 सी	33.23	17-07-19	567	12.39	10.63	1.75	10.00	3.32	6.68	8.43
5	देवघर	20XXXXXXXXXX XZQ	सुनील हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड	01-12-17	3,102.13	5 सी	3,102.13	03-11-18	337	68740	431.08	256.32	310.21	221.77	88.44	344.76
6	धनबाद	20XXXXXXXXXX XZY	आदर्श इंटरप्राइजेज	27-12-17	1,149.30	5 सी	1,106.68	24-02-21	1,155	840.47	0.00	840.47	110.67	0.00	110.67	951.14
7	धनबाद	20XXXXXXXXXX XZD	जय माँ काली इंटरप्राइजेज	01-11-17	13,180.61	5 सी	13,180.61	22-03-21	1,237	10,720.71	0.00	10,720.71	1,318.06	0.00	1,318.06	12,038.77
8	दुमका	20XXXXXXXXXX XZ1	अजय कुमार झा	24-11-17	690.45	5 सी	690.45	19-03-19	480	217.92	0.00	217.92	69.04	0.00	69.04	286.96

परिशिष्ट- X

(कंडिका 2.3.8.8 में संदर्भित)

अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण

(₹ हजार में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	दावे की तालिका	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की राशि	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की तिथि	गलत लाभ की अवधि (दिनों में)	ब्याज आरोपणीय	ब्याज आरोप्य	ब्याज का अल्पारोपण	अर्थदंड आरोपणीय	अर्थदंड आरोप्य	अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	कुल
9	दुमका	20XXXXXXXXXX XZQ	हिम्मत सिंहका एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	27-12-17	8,971.99	5 सी	2,595.69	15-12-18	353	602.48	467.22	135.26	259.57	259.57	0.00	135.26
10	दुमका	20XXXXXXXXXX XZC	महेश कुमार अंजनी कुमार	28-08-17	220.33	7 बी	220.33	19-07-18	325	47.08	0.00	47.08	22.03	0.00	22.03	69.11
11	दुमका	20XXXXXXXXXX XZE	भक्त भाई	23-11-17	163.63	5 सी & 7 सी	163.63	09-05-18	167	17.97	0.00	17.97	16.36	0.00	16.36	34.33
12	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXX XZ4	छोटागोविंदपुर एवं बागबेरा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाय प्रोजेक्ट लिमिटेड	27-12-17	8,040.51	5 सी	8,040.51	21-07-18	206	1,089.10	653.61	435.49	804.05	804.05	0.00	435.49
13	पाकुड़	20XXXXXXXXXX XZB	लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक वर्क	30-11-17	624.65	5 सी & 7 बी	6,20.04	22-06-18	204	83.17	65.10	18.07	62.00	62.00	0.00	18.07
14	पाकुड़	20XXXXXXXXXX XZC	राजा मोटर्स	27-12-17	182.64	5 सी	2.31	22-06-18	177	0.27	0.21	0.06	10.00	10.00	0.00	0.06

परिशिष्ट- X

(कंडिका 2.3.8.8 में संदर्भित)

अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण

(₹ हजार में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	दावे की तालिका	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की राशि	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की तिथि	गलत लाभ की अवधि (दिनों में)	ब्याज आरोपणीय	ब्याज आरोप्य	ब्याज का अल्पारोपण	अर्थदंड आरोपणीय	अर्थदंड आरोप्य	अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	कुल
15	रामगढ़	20XXXXXXXXXX XZI	अरपी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	27-12-17	8,101.95	5 सी	8,101.95	25-09-18	272	1,449.03	0.00	1,449.03	810.19	0.00	810.19	2,259.22
16	राँची पूर्वी	20XXXXXXXXXX XZF	कोन एलीवेटर इंडिया (पी.) लिमिटेड	28-09-17	362.85	11	362.85	13-12-18	441	105.22	54.43	50.79	36.28	36.28	0.00	50.79
17	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXX XZN	ऑरेंज बिज़नेस सर्विस इंडिया (पी.) लिमिटेड	27-12-17	3,812.87	5 सी	2,700.19	08-01-20	742	1,317.40	0.00	1,317.40	270.02	0.00	270.02	1,587.42
18	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXX XZV	मोंटे कार्लो लिमिटेड	27-12-17	7,794.11	5 सी	7,794.11	26-08-19	607	3,110.81	0.00	3,110.81	779.41	0.00	779.41	3,890.22
19	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXX XZ2	जे.के.टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	27-12-17	1,780.68	5 सी	1,780.68	07-08-19	588	688.46	0.00	688.46	178.07	0.00	178.07	866.53
20	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXX X1H	एम.सी.एल.- के. एस. आई. पी. एल. (जे.वी.) धनबाद	27-12-17	7,208.28	5 सी	7,208.28	12-10-19	654	3,099.76	0.00	3,099.76	720.83	0.00	720.83	3,820.59

परिशिष्ट- X

(कंडिका 2.3.8.8 में संदर्भित)

अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण

(₹ हजार में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान-1 में दावे की राशि	दावे की तालिका	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की राशि	अस्वीकृत/प्रत्यावर्तन की तिथि	गलत लाभ की अवधि (दिनों में)	ब्याज आरोपणीय	ब्याज आरोप्य	ब्याज का अल्पारोपण	अर्थदंड आरोपणीय	अर्थदंड आरोप्य	अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	कुल
21	राँची विशेष	20XXXXXXXXXX XZ3	मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	21-12-17	86,080.67	5 सी & 7 बी	85,846.07	26-11-18	340	19,191.89	0.00	19,191.89	8,584.61	0.00	8,584.61	27,776.50
22	राँची विशेष	20XXXXXXXXXX XZB	सोनी एण्ड संस	23-08-17	60.43	5 सी	45.00	03-02-20	894	26.45	0.00	26.45	10.00	0.00	10.00	36.45
23	साहिबगंज	20XXXXXXXXXX XZJ	सुकृत फॉरवार्डिंग एजेंसी	25-12-17	604.80	75 सी	604.80	27-06-18	184	73.17	0.00	73.17	60.48	0.00	60.48	133.65
24	सिंहभूम	20XXXXXXXXXX XZJ	एस.एच. इंटरप्राइजेज	27-12-17	3,153.54	5 5 सी	2,634.91	07-02-19	407	705.14	479.55	225.59	263.49	0.00	263.49	489.08
कुल					1,67,852.25		1,59,058.95			48,473.23	2,190.63	46,282.60	15,927.82	1,396.99	14,530.83	60,813.43

परिशिष्ट-XI

(कंडिका 2.3.8.9 में संदर्भित)

झा.मू.व.क. विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम(मैसर्स)	ट्रान-1 दाखिल करने की तिथि	दावे की राशि	अग्रणीत करने योग्य राशि	अधिक दावा अग्रणीत	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2020 तक	धारा 50(3) के अन्तर्गत ब्याज	धारा 73(9) के अन्तर्गत अर्थदंड	कुल
1	देवघर	20XXXXXXXXXXZZ	श्री दुर्गा स्टील	28-10-2017	56.06	0.00	56.06	885	32.62	10.00	98.68
2	देवघर	20XXXXXXXXXXZK	देबोप्रिया सर्विसेज स्टेशन	27-12-2017	78.43	0.00	78.43	825	42.55	10.00	130.98
3	पलामू	20XXXXXXXXXXZ4	राकेश कुमार	12-09-2017	67.05	0.00	67.05	931	41.04	10.00	118.09
4	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXZT	रंजन कुमार	27-12-2017	58.26	0.00	58.26	825	31.60	10.00	99.86
कुल					259.80		259.80		147.81	40.00	447.61

परिशिष्ट-XII
(कंडिका 3.3.1 में संदर्भित)
राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग;
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग;
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण;
4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग;
5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग;
6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग;
7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा;
8. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग; और
9. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।

परिशिष्ट-XIII
(कंडिका 3.3.1 में संदर्भित)
शासी समिति

1. पुलिस अधीक्षक;
2. सम्बंधित जिले के वन प्रमंडल का वरिष्ठतम प्रमंडलीय पदाधिकारी;
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी;
4. सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी;
5. सम्बंधित उप-निदेशक, खान;
6. सम्बंधित उप-निदेशक, भूतत्व;
7. सम्बंधित जिला खनन पदाधिकारी;
8. जिला परिषद् के अध्यक्ष के प्रतिनिधि;
9. झारखण्ड लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधि;
10. माननीय सांसद के प्रतिनिधि;
11. जिले के सभी विधान सभा सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि;
12. दो प्रमुख खनन पट्टाधारी जो शासी समिति द्वारा नामित किये जायेंगे;
13. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रमुख एवं उप-प्रमुख; और
14. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के निर्वाचित मुखिया एवं उप-मुखिया।

परिशिष्ट-XIV
(कंडिका 3.3.1 में संदर्भित)
प्रबंधकीय समिति

1. पुलिस अधीक्षक;
2. सम्बंधित जिले के वन प्रमंडल का वरिष्ठतम प्रमंडलीय पदाधिकारी;
3. जिला/सहायक खनन पदाधिकारी;
4. सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी; और
5. जिला पंचायती राज पदाधिकारी।

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
आ. अधि.	आकलन अधिकारी
सहा. आयु. उ.	सहायक आयुक्त उत्पाद
अ. खा. निदे.	अपर खान निदेशक
सहा. ख. पदा.	सहायक खनन पदाधिकारी
कार्र. नो.	कार्रवाई नोट
के. अ. कर सी. शु. बो.	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
के. जी. एस. टी.	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर
मु. स.	मुख्य सचिव
सि. स. सह मु. चि. प.	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
कें. बि. कर	केंद्रीय बिक्री कर
वा. कर. मं.	वाणिज्य कर मंडल
वा. कर. वि.	वाणिज्य कर विभाग
उप आ.	उप आयुक्त
उ./सहा. आ. रा. क.	उप/ सहायक आयुक्त राज्य कर
जि. वि. आ.	जिला विकास आयुक्त
उ. नि. ख.	उप निदेशक खनन
डी. एम. एफ. टी.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट
जि. ख. प.	जिला खनन पदाधिकारी/कार्यालय
पे. एवं स्व.	पेयजल एवं स्वच्छता
उ. आ.	उत्पाद आयुक्त
ई. टी. डी.	उत्पाद परिवहन शुल्क
श. प.	शासकीय परिषद
झा. स.	झारखण्ड सरकार
जी. एस. टी.	वस्तु एवं सेवा कर
जी. एस. टी. एन.	वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली
आई. एच. एच. एल.	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
भा. नि. वि. श.	भारत निर्मित विदेशी शराब
नि. रि.	निरीक्षण रिपोर्ट
आई. टी. सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
सं. आ. रा. क.	संयुक्त आयुक्त राज्य कर
डी. एम. एफ. टी. नि.	झारखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियम
झा. जी. एस. टी.	झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर
जिम्स	झारखण्ड एकिकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
झा. मू. व. क.	झारखण्ड मूल्य वर्धित कर
प्र. स.	प्रबंधन समिति
एम. जी. डी.	न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क
ख. नि.	खनन निरीक्षक
खा. ए. ख. वि. ए. वि.	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
एम. ओ. यू.	समझौता ज्ञापन
रा. क. का. न्या.	राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीकरण
लो. ले. स.	लोक लेखा समिति
पी. एम. के. के. के. वाई.	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
पी. एम. यू.	परियोजना प्रबंधन इकाई
भू. अ., पु. और पु. अ. उ. मु. पा. अ.	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार
उ. अ.	उत्पाद अधीक्षक
वि. आ. क्षे.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
रा. जी. एस. टी.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एस. एल. एम. सी.	राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति
रा. क. अ.	राज्य कर अधिकारी
टी. डी. एस.	स्रोत पर कर कौटुकी
आर. एफ. पी.	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
यू. एस. जी.	अल्ट्रासोनोग्राफी
मू. व. क.	मूल्यवर्धित कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>